राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ६८वां दिवस [संख्या ४०

शुक्रवार, २४ अप्रेल, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर १९ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ११८१

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११८२

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी ।

अजमेर मेरवाड़ा क्रय विक्रय सोसाइटी फैडरेशन के फन्ड का गबन

११८३. श्री पी०के० चौधरी(फुलेरा) :

Will the Co-operative Minister be pleased to State:-

1. Is it correct that Registrar of Co-operative Societies is the President of the Ajmer Merwara Purchase Sales Societies Federation and one Shri Ganeshmal of Ajmer is working as the Secretary and Treasurer of the Federation ?

2. Is it Correct that the Secretary does not maintain any voucher for payment made and also invoices for the purchases made ?

3. Is it correct that in the Accounts books of the federation there is a debit balance of Rs. 1,07,102 in cash against Shri GaneshMal as on 30-6-53 ? Is it also correct that on the same date Shri Ganesh Mal had with him stocks of goods worth Rs. 95,788 belonging to the Federation ?

5. Is it correct that the debit balance in the Accounts of Shri Genesh Mal with the Federation rose from Rs. 17,757 on 30-11-57 to Rs. 1,52,265/- on 30-6-52.

Page No.2

(श्री पी. के. चौधरी)

5. Is it correct that the Accounts books of the Federation were audited during the year 1956-57 and the auditor submitted his report on 25-3-57 to the Asstt. Registrar, Co-operative Societies, Ajmer? If so, will the Minister place a copy of the report on the table of the House?

6. Is it also correct that Shri Ganeshmal had taken Rs. 85,000/- from certain scheduled banks at Ajmer in the name of the Federation and utilised it for his personal work?

7. What action the Government has so far taken to safeguard the interest of Federation and what further action it proposes to take in the same direction?

सहकारी मन्त्री (श्रीनाथूराम मिर्धा) : रजिस्ट्रार सहकारी समिति फेडरेशन के अध्यक्ष स्वयं नहीं थे, बल्कि भूतपूर्व रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, श्री गणेशमल मनोनीत मन्त्री के रूप में थे ।

(२) जी नहीं ।

(३) वह अपूर्ण है ।

(४) जी हां ।

(५) १७.७५७ रु० से नहीं बल्कि १२-७५७ रु० ६ आना ६ पा० से बढ़ कर १ लाख ५२ हजार २६५ रु० १५ आ० ६ पाई हुआ ।

(६) हां । ऑडिट की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(७) फेडरेशन के रिकॉर्ड से जानकारी नहीं मिलती ।

(८) इस फेडरेशन की हित रक्षा के लिए १९५३ में जांच अधिकारी द्वारा जांच कराई गई...

(ऑडिट की प्रति अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री पी० के० चौधरी : श्री गणेशमल से रुपया वसूल करने के लिए क्या इन्तजाम किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उत्तर मैं दे चुका हूँ ।

श्री पी० के० चौधरी : आपने कहा कि श्री गणेशमल ट्रेजरार नहीं थे । तो ट्रेजरार कौन था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया कि श्री गणेशमल को मन्त्री मनोनीत किया था ।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा सवाल था 'Whether he was Secretary and Treasurer both ?'
मैंने सवाल पूछा है उसमें पूछा है that he was Secretary and treasurer both.

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका जवाब दिया है कि वह ट्रेजरार नहीं था ।

श्री पी० के० चौधरी : वही मैं पूछ रहा हूँ ट्रेजरार कौन था ?

Page No.3

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे, नाम याद नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि ऑडिट रिपोर्ट के पेज पांच पर यह लिखा हुआ है कि गणेशमल ने सर्टि-फिकेट दिया है २३. ११. ५३ को, एक्चुअल स्टाक १४ हजार का है और बैंक बैलेन्स ७४ हजार का बताया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन से पेज़ की बात है ?

श्री पी० के० चौधरी : पेज़ ५।

श्री अध्यक्ष : वह रिपोर्ट आपके सामने है और उसके ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए वह मन्त्री महोदय ने बता दिया है कि यह कार्यवाही की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Has the challan been put up in the Court against the man concerned ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास इसकी सूचना नहीं है कि इसका चालान हुआ, कब हुआ, कब नहीं हुआ ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा है 'when was the case handed over to the Police ?'

श्री नाथूराम मिर्धा : पुलिस में केस देने के बाद से मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुलिस को १६५७ में केस दिया। उसके बाद दो साल गुजर गये, उसकी जानकारी करनी चाहिए कि पुलिस ने चालान किया या नहीं, क्या विस्तार हुआ ? पुलिस को केस दे दिया तो क्या फाइनल एक्शन हो गया ? You should look to it.

श्री नाथूराम मिर्धा : चालान हुआ या नहीं, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा कहना यह है कि आपको जानकारी होनी चाहिए, दो साल पहले आपने केस हैंड ओवर कर दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोऑपरेटिव के बहुत से केसेज़ चल रहे हैं, सब का कैसे मालूम हो सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : आपने फर्माया कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार उसका प्रेसीडेन्ट नहीं था।

The Asstt. Registrar of Ajmer City was the President. What were the functions of the President towards this Federation ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसने किस ड्यूटी को डिस्चार्ज किया, किसको नहीं किया यह तो स्टेट ऑफ एफेयर्स हैं सोसायटी के, वह आपके सामने रख दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : एक्सप्लेनेशन पूछा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो अब सर्विस में ही नहीं है।

Page No.4

प्रश्न संख्या ११८४

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ११८५

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

बामनवास से गढ़मोरां तक सड़क का निर्माण

११८६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :—

(१) क्या बामनवास से गढ़मोरां तक सड़क बनाने बाबत निर्माण मंत्री के पत्र संख्या २४०३ ता० २४–६–५८ में यह लिखा गया था कि उचित कार्यवाही के लिए चीफ इन्जीनियर, पी० डब्यू० डी० राजस्थान को लिख दिया गया है ?

(२) अब कब से यह सड़क निर्माण का कार्य चालू होगा ?

(३) क्या यह सही है कि हजारों रुपये लगा कर सड़क कच्ची बनाई गई थी जो बरसात में हर साल कट कट कर बह गई और जगह जगह खड्डे पड़ गये ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां ।

(२) यह कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(३) वर्षा से कुछ कट जाती है जिसकी आवश्यक मरम्मत कर दी जाती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

पुलिस विभाग में शार्ट हैंड रिपोर्टर का काम हैड कॉन्स्टेबिलों से लिये जाने के सम्बन्ध में

११८७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट स्पेशल मेन्युअल (पुलिस) के अन्दर यह प्रावधान है कि "शार्ट हैंड" (हिन्दी) रिपोर्टर का काम अधिकतर इन्स्पेक्टर व सब-इन्स्पेक्टर से लिया जाना चाहिये ? यदि हां तो क्या यह भी सही है कि राजस्थान में इस काम को अनेक हैडकॉन्स्टेबिलों से लिया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस एक्स्ट्रा काम के लिए इन हैड कॉन्स्टेबिलों को कोई एलाउन्स नहीं दिया जाता है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, गृह मन्त्री की ओर से) : (१) डिस्ट्रिक्ट स्पेशल मेन्युअल सरकार के विचाराधीन है अतः ऐसे प्रावधान का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । जो शार्टहैंड जानने वाले इन्स्पेक्टर, सब-इन्स्पेक्टर या हैड कॉन्स्टेबिल्स हैं उनसे यह काम लिया जाता है ।

(२) इस कार्य के लिये हैडकॉन्स्टेबिलों को कोई भत्ता नहीं दिया जाता ।

Page No.5

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिस्ट्रिक्ट स्पेशल मेन्युअल में इस प्रकार का प्रोविज़न है कि नहीं कि यह काम सब-इन्स्पेक्टर्स या इन्स्पेक्टर्स से लिया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि मेन्युअल सरकार के विचाराधीन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या अब तक कोई नियम नहीं है कि शार्टहैंड का काम किससे लिया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एज़ ए रूल तो कोई बात नहीं। जो डिपार्टमेंट में शार्टहैंड जानता है उसी से यह काम लिया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह ट्रेडिशन चला आ रहा है कि शार्टहैंड रिपोर्टर का काम इन्स्पेक्टर या सब-इन्स्पेक्टर से ही लिया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा नहीं है। जो जानता है उसी से यह काम लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

भरतपुर शहर में साइकिलों की चोरी

११८८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भरतपुर शहर में पिछले चार महीनों में कितनी साइकिलें चोरी गईं ?

(ख) क्या इन साइकिलों को चुराने में विद्यार्थियों का हाथ था ?

(ग) यदि हां, तो उक्त विद्यार्थी किन किन पाठशालाओं की कौन कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं ?

(घ) क्या सम्बन्धित शालाओं के मुख्याध्यापकों ने भी उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, गृह मन्त्री की ओर से) : (क) भरतपुर शहर में पिछले चार मास में ११ साइकिलें चोरी गई थी।

(ख) एक मुकदमें में एक विद्यार्थी सम्मिलित था।

(ग) वह मल्टी पर्पज़ हायर सेकेन्ड्री स्कूल का नवीं कक्षा का विद्यार्थी था।

(घ) उसका नाम स्कूल के रोल से दिनांक ८-२-५९ को ता० १-२-५९ से लम्बी अनुपस्थिति के कारण अलग कर दिया गया।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उस लड़के को अनुपस्थित रहने के कारण स्कूल से अलग किया गया या इस मुकदमें में सम्मिलित होने के कारण अलग किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गैर हाज़िर रहने के कारण।

श्री श्रीभानसिंह : ऐसे कितने केसेज़ हैं जिनमें गैरहाज़िर रहने के कारण लड़कों को स्कूल से अलग किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो एज्युकेशन डिपार्टमेंट कह सकता है।

Page No.6

श्री श्रीभानसिंह : क्या हैड मास्टर को रिप्रेजेन्ट किया गया था या उसने खुद ने ही अलग कर दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस प्रश्न का एज्युकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, मैं तो इतना ही अर्ज कर सकता हूँ कि गैर हाज़िर होने के कारण उसको स्कूल से अलग किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : यह ११ साइकिलें किनकी थीं, जो चुराई गई थीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भरतपुर के रहने वाले लोगों की थी, उनमें पाली के आदमी शामिल नहीं थे ?

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : कहां से चुराई गई थीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शहर से।

श्री मूलचन्द डागा : स्कूल से, कॉलिज़ से या और किसी जगह से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जहां भी मौका मिल जाता है। मेरे लड़के की साइकिल अभी थोड़े दिनों पहले ले गया, यह तो मौका लगाने की बात है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि साइकिलों की चोरियां इस साल में ज्यादा होने लग गई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कम से कम भरतपुर में।

प्रश्न संख्या ११८९

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११९०

श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीबाबा चौधरी।

जवाई बांध से पानी का वितरण

११९१. **श्री मोतीबाबा चौधरी**(बाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जवाई बांध में सन् ५८-५९ में अब तक कितना पानी आया तथा पानी का वितरण किस प्रकार किया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस साल रबी अभियान सफल बनाने में बहुत से काश्तकारान ने काफी अच्छी काश्त की, परन्तु उनको पूरा पानी नहीं दिया गया ?

(ग) यदि हां, तो किन किन को उक्त बांध से पानी नहीं दिया गया और ऐसी कितनी ज़मीन तैयार की हुई पानी नहीं देने से बेकार पड़ी रही।

उप-मन्त्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) सन् १९५८-५९ में जवाई बांध में मोरी के ऊपर २६३५ मिलयिन क्यूबिक फीट पानी आया उसमें से ४०० मिलियन क्यूबिक यूनिट फीट जोधपुर सिटी वाटर सप्लाई के लिये सुरक्षित रख के बाकी

Page No.7

(श्री भीखाभाई)

बचे हुए २२३५ मिलियन क्यूबिक फीट पानी का वितरण ५१,००५ बीघों की सिंचाई के लिये निम्न फार्मूला के मुताबिक किया गया :

२० बीघा खिल जमीन तक : पानी ८ बीघा में।

२१ बीघा खिल जमीन से १०० बीघा तक : ८ बीघा + १।५ बाकी रकबे में।

१०० बीघा खिल जमीन से ५०० बीघा तक + १।५ + १।६ बाकी रकबे में।

५०० बीघा खिल जमीन से ऊपर ८ बीघा +१।५ + १।६ +१।१० बाकी रकबे में।

(ख) पानी की कमी के कारण कुल ६४,६१६ बीघा खिल जमीन में से उपरोक्त फार्मूला के अनुसार कुल ५१,००५ बीघों में ही सिंचाई के लिये लिये पानी दिया जा सका।

(ग) भाग (क) में बताये गये पानी वितरण के स्केल से जिनकी जमीन ज्यादा जोती हुई थी उसको पानी नहीं दिया जा सका और ऐसी कुल करीब २ ४३,६१४ बीघे जमीन थी।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या उन काश्तकारों को हर्जाना दिया गया जिन्होंने अपनी जमीनें खिल कर बीज बो दिया और उनको पानी नहीं दिया गया।

श्री भीखाभाई : हर्जाना देने का सवाल नहीं है, पानी कम आया था इसलिये पानी कम दिया गया।

श्री दलपतसिंह : जिन काश्तकारों ने बीज बो दिया और उनको पानी नहीं दिया गया तो क्या उन काश्तकारों को नोटिस दिया गया था कि इस वर्ष उन्हें बन्ध से पानी नहीं मिलेगा ? पानी नहीं मिलने से उनकी खेती बर्बाद हो गई, तो क्या उनको नोटिस दे दिया गया था कि तुम काश्त न करो पानी नहीं दिया जायगा ?

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। आपने जो सूचना मांगी वह सूचना दे दी गई।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि फर्स्ट वाटरिंग में जितने काश्तकारों को पानी नहीं दिया गया था, उतनों को सेकिन्ड वाटरिंग में नहीं दिया गया ?

श्री भीखाभाई : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या पानी वितरण की कमेटी है ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री दलपतसिंह : क्या इससे शिवगंज तहसील को पानी देने की योजना है ?

श्री भीखाभाई : जो जवाई बांध का एरिया है उसमें ही पानी नहीं दिया जा सकता तो फिर और का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

वाटर वर्क्स का बोर्ड

११६२. श्री गिरधारीलाल (नोखा) :

Page No.8

(श्री गिरधारीलाल)

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) वाटर वर्क्स की बड़ी बड़ी योजनाओं को देखते हुए क्या वाटर वर्क्स का भी बिजलीघरों की तरह एक बोर्ड बनाने का सरकार विचार रखती है।

(२) क्या इस सम्बन्ध में इलेक्ट्रिक एन्ड वाटर वर्क्स फेडरेशन का भी कोई प्रस्ताव सरकार के पास आया है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

श्री गिरधारीलाल : फेडरेशन का प्रश्न सरकार के पास आया है उसके बारे में सरकार ने क्या कदम लिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ नहीं लिया, पड़ा है।

श्री गिरधारीलाल : कब सरकार के पास आया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा न कि वह विचाराधीन नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : क्या सरकार भविष्य में ऐसा बोर्ड बनाने का विचार नहीं रखती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

मदनगंज मिडिल स्कूल की इमारत

११६३. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या मदनगंज उपज़िला किशनगढ़ मिडिल स्कूल की इमारत छात्र संख्या के लिहाज़ से काफी है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस इमारत के साथ जो ८ दुकानें आधी बनी हुई पड़ी हैं उनको ४ कमरों में परिवर्तित करके इस कमी को पूरा करने का इरादा रखती है ?

(ग) यदि हां, तो ये कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मन्त्री की ओर से) : (क) जी नहीं परन्तु काम चलाऊ हैं। पिछले वर्षों में छात्र संख्या में वृद्धि होने से स्थान कुछ कम पड़ता है।

(ख) आवश्यकता की पूर्ति के लिये उनमें से ४ दुकानों पर टीन के छप्पर डलवा कर छात्रों के बैठने की व्यवस्था कर दी गई है और उनको ४ कमरों में परिवर्तित करने के लिये भी पी. डब्लू. डी. को लिखा जा चुका है।

(ग) आशा है कि अगले वर्ष यह कार्य पूरा हो जायेगा किन्तु जनता से भी स्थानभाव को दूर करने के लिए सहयोग की आशा की जाती है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सरकार को मालूम है कि जनता ने ६० हज़ार की बिल्डिंग दी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि पी. डब्लू. डी. को लिख दिया है कि उन चारों दुकानों को ४ कमरों में परिवर्तित कर दिया जाय।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : और जनता से आप क्या सहयोग चाहते हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या बहुत गर्मी के दिनों में टिनों के नीचे छात्रों को गर्मी नहीं लगती?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत गर्मी के दिनों में छुट्टियां हो जाती हैं।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा) : बिल्डिंग कब हैंड ओवर की थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सन् ५२ में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११६४

श्री भैंवरलाल 'कालाबादल'।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री दलपतसिंह।

अच्छी नसल की गायें पालने के उपयोग को प्रोत्साहन देने की योजना

११६५. श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार अच्छी नसल की गायें पालने के उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहती है? यदि हां, तो उसके लिये सरकार ने क्या क्या सहूलियतें प्रदान कर रखी हैं?

(२) क्या सरकार की उक्त कार्य के लिये भूमि देने की भी योजना है यदि हां, तो एक गाय पर कितनी बीघा भूमि दी जावेगी?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां। विकास विभाग द्वारा प्राइवेट केटल ब्रीडिंग फार्म स्थापित करने के लिये चार हज़ार रुपये अच्छी नसल की २० गायें खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है। उन २० गायों के लिए एक उत्तम नस्ल का सांड सरकार द्वारा मुफ्त दिया जाता है तथा सांड के वास्ते छप्पर बनाने के लिये रु० २५०) सहायतार्थ दिये जाते हैं। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा पंचायतों को मुफ्त में सांड बांटे जाते हैं। अच्छी नसल के सांड खरीदने के लिये २००) सहायतार्थ दिये जाते हैं तथा उन सांडों के लिये १०) माहवारी सहायता के रूप में भी दिये जाते हैं। बुल प्रिमियम योजना के अन्तर्गत रु० १०) माहवार प्रति बछड़ा ढाई साल तक के बछड़े वालों को प्रिमियम के रूप में दिये जाते हैं। ढाई साल के बाद सरकार उन्हें ५००) रु० तक की कीमत में खरीद लेती है।

Page No.10

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) पशुचिकित्सा विभाग में ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या गवर्नमेंट एक ही तरह के केटल की ब्रीड को सुधारने का प्रयत्न करती है। दूध देने वाली नसल को सुधारने के लिये क्या प्रोत्साहन देती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : दो तरह के व्यू पॉइन्ट हैं। एक तो मिल्क पॉइन्ट ऑफ व्यू और दूसरा बैलों का पोइन्ट ऑफ व्यू। राजस्थान में दो तरह की ब्रीड होती है एक तो कांकरी जो मालवा और सांचोर के इलाकों से पाई जाती है जहां बैल नहीं होते। राजस्थान में ८ ब्रीड हैं। जो दूसरे हैं बीकानेर में रखी है। जिससे अच्छे बैल पैदा किये जाते हैं। दूसरी छः प्रकार के ब्रीड है। हमको मिल्क और अच्छी नसल के बैल भी पैदा करना है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आपको मिल्क केटल नहीं चाहिये क्या ? क्या आपको बैल के लिये ही चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मिल्क के लिये भी चाहिये। किशनगढ़ अजमेर में रेढी हैं जानवर उसके अच्छे होते हैं बल्कि बहुत होते हैं। खेती के काम के लिये और बोझा ढोने के लिये अच्छे होते हैं। उनके बैल भी अच्छे होते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या ज़मीन देने की योजना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार के पास ज़मीन नहीं हैं। जिन लोगों के पास ज़मीन है उन लोगों को ही इस स्कीम के अनुसार ही जानवर दिये जाते हैं जिसका विवरण अभी मैंने आप को दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : नागोर के बैल कैसे होते हैं ?

श्री नाथुराम मिर्धा : नागौर के बैल अच्छे होते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : नागौरी बैलों के लिये दूध को बढ़ाने के लिये क्या रिसर्च किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस मामले में भी कोशिश करेंगे। दूध बढ़ाने के लिये भी सतर्क हैं। कोशिश करेंगे तो दूध भी बढ़ सकता है।

प्रश्न संख्या ११६६

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रूपाराम

राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट की जीप नं० आर० जे० के० १०१५

११६७ **श्री रूपाराम** (नोखा–सु०) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट हनुमा-

Page No.11

(श्री रूपाराम)

नगढ़ जंक्शन की जीप नम्बर आर० जे० के १०१५ तारीख १३.५.५८ से १४.५.५८ तक कहां कहां से पैट्रोल लिया और किस अफसर ने कहां से कहां तक दौरा किया और कौन ड्राईवर था ?

(२) क्या यह सच है कि सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर राजस्थान केनाल का लड़का मिस्टर ताज और एस. डी. ओ. गोपीराम ता: १३.५.५८ को निजी काम से हनुमानगढ़ से श्री गंगानगर में जाकर सिनेमा देखा जिसका नाम भाभी था और रात को गंगानगर रहे और १४.५.५८ को सिनेमा देखा जिसका नाम '१२ बजे' था, और निजी काम से १३.४.५८ से १४.४.५८ तक उक्त जीप १३७ मील चली और १४.५.५८ को वापिस हनुमानगढ़ आये। क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री सिंचाई विभाग (भीखा भाई) :

(१) जीप नं० आर. जे. के. १०१५ में ता: १३.५.५८ को एसिस्टेन्ट इंजीनियर श्री गोयल सरकारी कार्य से सांगरिया होते हुए हनुमानगढ़ से श्री गंगानगर गये। जीप के लिये पैट्रोल गंगानगर में खरीदा गया था। ड्राईवर बीरूराम था।

(२) श्री गोयल के साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं गया था। जीप १३५ मील चली और सरकारी काम के लिये काम में ली गई।

श्री रूपाराम : सरकारी काम क्या था ?

श्री भीखाभाई : वे सरकारी काम के लिये वास्तव में गये थे। वहां पर दर असल में वे भाखरा के जो इंजीनियर हैं उनके पास सामान था उसको देने के लिये बात थी। उसके लिये गये थे और उसके अतिरिक्त गंगानगर में एक कम्पनी है जो ट्रक वगैरा की रीपेअर करती है। उसके यहां ट्रक डी. ए. ४८ के दुरूस्ती की बात थी, इसलिये उधर गये।

श्री रूपाराम : हनुमानगढ़ से गंगानगर क्या सांगरिया कर जाना पड़ता है ?

श्री भीखाभाई : यह जोग्राफी की बात है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : क्या काश्मीर जाते समय गृह मंत्री अपनी पूरी फेमिली को कार में ले गये थे और पी० ए० को गाड़ी से आना पड़ा ?

श्री भीखाभाई : इसका संबन्ध इस से नहीं है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह रात दिन की शिकायत है। यह क्या केस चल रहा है ? कल ही माननीय होम मिनिस्टर ने कहा कि ले जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक इस प्रकार की प्रेक्टिस बन्द नहीं होगी तब तक राज्य की गाड़ियें दिन रात घर के काम में लेते रहेंगे...

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Then

(श्री श्रीमानसिंह)

the House would like to know the distance between Hanumangarh and Ganganagar.

श्री भीखाभाई : ३२ मील है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या ३२ मील की रिटर्न जरनी १३५ मील होती है।

श्री अध्यक्ष : वे सांगरिया भी गये थे।

श्री पी. के. चौधरी : वे सांगरिया क्यों गये थे ?

श्री भीखाभाई : मैंने बताया कि जो सामान था उसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या एस. इंजिनियर ने इस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज की है या डेली डायरी में दर्ज किया है कि वह इस काम के लिये जा रहा है।

श्री भीखाभाई : वह रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है मगर जो इन्फोर्मेशन विभाग की ओर से मेरे पास आई है वह मैं दे रहा हूं।

श्री भीमसेन : कोई भी बड़ा ऑफिसर जब इन्सपेक्शन के लिये जाता है तो इस प्रकार का नोट रेकार्ड में रहता है। क्या पर्टीक्यूलर केस में नोट है ?

श्री अध्यक्ष : वे कहते हैं इन्सपेक्शन के लिये थोड़े ही गये थे।

श्री पी० के० चौधरी : हैड क्वार्टर छोड़ने से पहले उन्होंने कहीं तो इसके इन्द्राज किये होंगे।

श्री भीखाभाई : जरूर किये होंगे।

श्री पी. के. चौधरी : मैं इसका जवाब हां या ना में चाहता हूं। आप हां या ना में बतावें।

श्री भीमसेन : जब रेलवे लाइन है तो फिर जीप में जाने की क्या जरूरत थी ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि सांगरिया गये थे। जल्दी काम होगा।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. १३. ५. ५८ से १५ तक आउट ऑफ हैड क्वार्टर रहे ?

श्री मदनसिंह : क्या आप यह उचित समझते हैं कि प्राइवेट आदमी उनके साथ जाए।

श्री भीखाभाई : वह तो अकेले ही गये थे।

श्री मदनसिंह : क्या यह उचित है कि उनके साथ कोई प्राइवेट आदमी गाड़ी में जाए ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर तो दे दिया है कि वे अकेले ही थे।

श्री गिरधारीलाल (नोहा) : क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. हनुमानगढ़ १३ तारीख से १५-५-५८ तक हनुमानगढ़ से बाहर रहे।

Page No.13

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न इससे संबन्धित नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, एस. डी. जो इस गाड़ी में थे और हनुमानगढ़ नहीं थे। और इन दोनों ने जा कर वहां पर सिनेमा देखा है। आप सच्ची बात नहीं कह रहे है ?

श्री अध्यक्ष : एसिस्टेन्ट इंजीनियर के अलावा और कोई नहीं था जब यह बात निश्चित रूप से कहते हैं तो फिर क्या है ?

श्री मदनसिंह : क्या यह इजाजत दे दी गई है कि दूसरे भी जा सकते हैं ?

श्री भीखाभाई : दरअसल गंगानगर होकर वहां गये थे और सरकारी काम के लिये गये थे।

श्री मदनसिंह : अपनी फेमिली को ले जा सकते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मंगलसिंह।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ले जा सकते हैं। होम मिनिस्टर जब काश्मीर गये थे जब अपनी फेमिली को गाड़ी में ले गये थे और उनका पी. ए. रेल में जाता है। उनकी फेमिली घूमने के लिये उनके साथ जाती है ?

श्री गिरधारीलाल : क्या माननीय मंत्री महोदय निश्चित तौर से बता सकते हैं कि केवल एसिस्टेन्ट इंजीनियर के सिवाय उसमें कोई नहीं था ?

श्री भीखाभाई : जो मेरे पास सूचना आई है उसको मैंने आपको बता दी है।

श्री अध्यक्ष : वे इस बात को कहते हैं कि अकेले थे और उनके साथ और कोई नहीं गया था। बिल्कुल केटेगरीकली कहते हैं फिर क्या बात है।

एक माननीय सदस्य : कल यह मंजूर किया था कि दो गये थे।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह ?

प्रश्न संख्या ११९८.

(अनुपस्थित)

श्री नाथीसिंह।

पेंशन की मंजूरी

११९९. श्री नाथीसिंह (कामा) : Will the Chief Minister be pleased to state : (1) Is the Government aware that during communal riots of 1947 certain Muslim employees of the then Bharatpur State had to flee from the State for their lives and that later on they were dismissed from service ?

2. Is the Government also aware that on representation from certain such muslim employees for grant of pensions the Matsya Government vide their Order No. 3694 dated 14/15th May, 1949 had issued some directive principles to examine the cases of such employees ?

3. Is the Government also aware that after examination Sarva Shri

(श्री नत्थसिंह)

SadiqAli, Driver State Garage Bharatpur (2) Akhtar, Zaman, Clerk Sessions Judge's Court, Bharatpur and (3) AfzalHussain, Mechanic Power House, Bhartpur have been granted pensions ?

4. Is the Government also aware that Shri Mohd. Saddiq an employee of the Dewan Dafter Bharatpur (Old records of the State kept in the Accounts office) who was dismissed under similar circumstances and satisfied the Conditions laid down in the aforesaid order of the Matsya-Govt. also applied for pension but was refused vide letter No. D. I. 8596/F.25 (8) Apptts. (b) 55 dated 13.7.55 from the Registrar Govt. Secretariat to the Commissioner, Jaipur ?

5. Will the Government be pleased to state the reasons why Shri Mohd. Saddiq has not been granted pension so far inspite of his repeated representations and the lapse of such a long time and how much more time will it take now to decide his case ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास, मुख्य मन्त्री की ओर से) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मैं मन्डे को दूँगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

शिवगंज क्षेत्र की नहर द्वारा सिंचाई

१२००. **श्री वीराराम** (सिरोही सु०) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे (१) क्या सरकार सिरोही ज़िले के शिवगंज क्षेत्र की भूमि को नहर द्वारा सिंचित करने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या योजना है ?

उप-मंत्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रबन्ध किया जावेगा।

श्री बीराराम : किस बांध से सिंचाई होगी ?

श्री भीखाभाई : अभी काना कोलर से हो रही है। आगे से दो साइट देखी गई हैं। एक है घंटला और एक है (अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट.

सीकर से राधा कृष्णपुरा तक सड़क निर्माण

१२०१. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : (१) क्या यह सही कि जिला विकास कमेटी, सीकर ने इस बात की सिफारिश की है कि सीकर के ग्राम राधाकृष्णपुरा को जोड़ने के लिए अधूरी बनी हुई सड़क का कार्य शीघ्र ही पूरा कराने की व्यवस्था की जाय ?

(२) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) इस विभाग को इसके मुत्तलिक कोई जानकारी नहीं हैं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या उन्होंने नि िए विभाग को लिखा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तक कोई इस विभाग के पास राइटिंग में नहीं आया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैंने कागज देखे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको कागज़ दिखाने के लिये ही रखे होंगे। अभी हमारे पास नहीं भेजे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

डूंगर कॉलेज बीकानेर में स्थान का अभाव

१२०२. श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : (१) बीकानेर में कितने सरकारी कार्यालय किराये के मकानों में स्थित हैं ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि डूंगर कॉलेज़ बीकानेर में भी स्थान का नितान्त अभाव है ? अगर हां, तो क्या सरकार डूंगर कॉलेज़ के वर्तमान भवन में उपरोक्त कार्यालय स्थानान्तरित कर तथा उक्त कॉलेज के लिये नया भवन बनवाने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री(श्री दामोदरलाल व्यास): (१) बीकानेर के १७ सरकारी कार्यालय किराये के मकानों में स्थित हैं। जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। डूंगर कॉलेज के लिए नया भवन बन जाने पर सरकारी कार्यालय जो किराये के मकानों में हैं, स्थानान्तरित कर दिये जावेंगे। डूंगर कॉलेज का नया भवन बनाये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री भीमसेन : यह भवन कब तक बन जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १९५९-६०।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर)) : आपने बताया कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक कार्यवाही क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिए खर्चा करना है मकान बनाना आदि है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बोंली से सवाई माधोपुर तक पक्की सड़क का निर्माण

१२०३ श्री पृथ्वीराज (गंगापुर सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का तहसील बोंली से

Page No.16

(श्री पृथ्वीराज)

खिरनी होते हुए सवाई माधोपुर तक जाने वाले कच्चे रास्ते को पक्का रोड बनाने का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो यह सड़क कब तक बन जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री पृथ्वीराज : क्या इस पर विचार होगा या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में है नहीं । हमारे पास में फन्ड भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

डाक बंगला कोटपुतली के चौकीदार व हरिजन का बकाया वेतन

१२०४ **श्री रामकरण सिंह** (कोटपुतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नानूराम चौकीदार और सूरज हरिजन दोनों डाक बंगले (कोटपुतली) में बहुत वर्षों से कार्य कर रहे हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उन्हें १६-६-५४ से २५-३-५७ तक का वेतन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) यह तो खेतड़ी ठिकाने के पास होने के कारण इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के अन्तर्गत इसकी देखभाल नहीं हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : इसको विभाग ने अभी तक नहीं लिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस डाक बंगले का ट्रान्सफर अभी हमको नहीं हुआ है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसका प्रबन्ध कौन करता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हम जब कभी जाते हैं वहां पर ठहरते हैं । हमारा प्रबन्ध वहां पर नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या सरकारी अधिकारी जिस समय वहां पर जाते हैं और ठहरते हैं, डेली चार्जेज पे करते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : किसको । वहां ठहरते हैं । बहुत से दूसरे लोग भी वहां पर ठहरते हैं उसी तरह से हम भी ठहरते हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या गवर्नमेन्ट के रिटन ऑर्डर मौजूद हैं कि गवर्नमेंट के ऑफिसर जावें तो वहां पर ठहरें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस डाक बंगले का मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है ।

Page No.17

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जब आपके अन्दर में इसका मैनेजमेंट नहीं है तो आपके अधिकारी वहां कैसे ठहरते हैं ? जब वे वहां पर जाते हैं तो कोई पेमेन्ट नहीं करते ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : क्या जो चौकीदार वहां रहता है उसको पे मिलती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : न चौकीदार हमारा है न डाक बंगला हमारा है।

श्री पी० के० चौधरी : आप उस चौकीदार से, ठहरते हैं तब काम लेते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : वे कहते हैं कि उनके पास वह डाक बंगला है ही नहीं वह तो प्राइवेट प्रोपर्टी है ।

श्री पी०के० चौधरी : Very strange, Mr.Speaker.The Govvernment is using this Bungalow and they say that...

श्री अध्यक्ष : The Department is not using. The Officer is using with the courtsy of the Thikana.

श्री श्रीमानसिंह : The House would like to know whether it is a Dak Bungalow or a private Bungalow or a private House belonging to the former Ruler of Khetri ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो खेतड़ी ठिकाने का प्राइवेट है ।

श्री पी० के० चौधरी : तो फिर आप कैसे जा कर ठहरते हैं, क्या वह धर्मशाला है ।

प्रश्न संख्या १२०५

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार ।

(अनुपस्थित)

रामसागर व तालाब शाही से सिंचाई

१२०६ **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रामसागर व तालाब शाही से दिनांक १० जनवरी ५६ से २२ मार्च ५६ तक कितना कितना पानी नहरों में दिया गया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त तालाबों में से किसानों की आवश्यकता से भी अधिक पानी देने से खड़ी फसलों को हानि हुई ?

(ग) यदि हां, तो जिस अधिकारी की गलती से फसलों को हानि हुई उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप मन्त्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) जो पानी दिया गया है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है

Page No.18

डॉ० बहादुरसिंह)

कि तालाब की मछलियों का ठेका दे दिया जाने के कारण पानी निकाल लिया ?

श्री भीखाभाई : इसका संबंध हमारे सिंचाई विभाग से नहीं है ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि इसके कारण ही बांडी और आस पास के गांवों की फसलें बर्बाद हुई।

श्री भीखाभाई : दर असल में पानी निकलने का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। मेरे पास कितना कितना और कब तक पानी चला इस सब का हिसाब मेरे पास मौजूद है । आप चाहते हैं तो अलग आकर देख सकते हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या पानी अधिक देने से फसलें बरबाद हुई ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सरकार इसकी जांच करने के लिए तैयार है कि पानी अधिक देने से फसलें बरबाद हुई ?

श्री भीखाभाई : एक तरफ आप यह बता रहे हैं कि पानी निकाल लिया इसके कारण से फसलें खराब हुई और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पानी ज्यादा दिया गया इससे फसलें खराब हुई वास्तव में ये दोनों विरोधी बातें हैं आप जानकारी क्या चाहते हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : पानी की आवश्यकता नहीं होते हुए भी अधिक पानी निकाल दिया गया इसके कारण फसलें खराब हुई ।

श्री भीखाभाई : मैंने जवाब दिया कि यह कारण नहीं है। नीचे बांध में लो लाइनें एरिया में थीं। इसका कारण केवल यह है कि आम तौर से गन्ने की फसल करते हैं और इस वक्त गेहूं की खेती की इस वजह से उनको नुकसान हुआ । कुछ ऐसी भी खबर आई है कि कुछ मेडों को किसानों ने काट दिया इससे भी नुकसान हुआ जरूर है ।

डॉ० बहादुरसिंह : पानी अधिक होने से ओवर फॉल हुआ और इससे नुकसान हुआ।

श्री भीखाभाई : यह बात नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आपने बताया कि लो लाइन एरिया में होने से नुकसान हुआ, तो आप हाइयर लेवल पर पानी सप्लाई करते ।

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि यह केनाल के पास की बात है। हमेशा काश्तकार गन्ने की खेती करते थे और इस समय उन्होंने गेहूं की खेती की और गेहूं को उतने पानी की आवश्यकता नहीं थी इसलिए यह नुकसान उनको हुआ।

श्री पी० के० चौधरी : पानी का सीपेज कितनी दूर तक हुआ था ?

श्री भीखाभाई : यह डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है जो हमेशा होता है वही तय हुआ होगा ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : यह पता था कि ओवर फॉल होता है तो ऐसी खेती करने से क्या मतलब ?

Page No.19

श्री भीखाभाई : ओवर फॉल का मैंने नहीं कहा सीवेज जरूर होता है जिसको काश्तकार लोग फायदे के रूप में लेते थे और गन्ने की खेती करते थे। किन्तु इस साल एक्सपेरीमेंट की तौर पर उन्होंने गेहूं बोया इस कारण वहां की फसल खराब हो गई है। अब उन्होंने यह भी रियेलाइज कर लिया कि एक दफा गलती कर दी आयन्दा से ऐसा नहीं करेंगे :

जयपुर शहर में सड़क दुर्घटनायें

१२०७. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी ५६ से लेकर अब तक जयपुर शहर में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई ? उसके हताहतों की संख्या कितनी है ? सूची सदन की मेज़ पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(ख) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(ग) जन साधारण में सड़क शिष्टाचार (रोड सेन्स) विकसित करने के लिए सरकार क्या उपाय करती है ?

(घ) क्या सरकार महसूस करती है कि सड़क पर आदेशात्मक संकेतों का अभाव भी इन दुर्घटनाओं के कारण हैं ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता गृह मन्त्री की ओर से) : (क) सन् १९५९ में जनवरी से मार्च तक २६ एक्सीडेन्टस की रिपोर्ट हुई जिनमें २३ व्यक्ति आहत हुये विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) सरकार ने मुख्य बाज़ारों में भीड़ के समय भारी वाहनों की आमद रफ्त पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और जौहरी बाज़ार में भारी वाहनों का प्रवेश सुबह ७ बजे से रात को ९ बजे तक बन्द कर दिया है। गति की सीमा १५ मील प्रति घण्टा निर्धारित कर दी गई है। एक गश्ती पत्र शहरों में अनाधिकृत प्रवेश फुटपाथ व सड़क नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(ग) जनता में सड़क ज्ञान व नागरिक ज्ञान की शिक्षा देने हेतु लोगों को लाउड स्पीकर्स द्वारा आदेश दिये जाते हैं और पेम्पलेट्स जिनमें ये आदेश हैं पुलिस द्वारा वितरण भी किये जाते हैं।

(घ) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह महसूस करती है कि तीन महीनों में २६ दुर्घटनायें और ४ की मृत्यु ये इतनी अधिक है कि इनको रोकने के लिये विशेष व्यवस्था होनी चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पिछले साल के मुकाबले इस साल कम है कॉरसपोंडिंग ईयर के तीन महिने में जितनी दुर्घटनायें हुई वहां पारसाल केवल जनवरी में ४२ एक्सीडेन्टस हुए ?

डॉ० चन्द्रकला : क्या इनका कारण

Page No.20

(डॉ० चन्द्रकला)

नागरिकों में सिविक सेन्स की कमी के कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके दो कारण हैं एक तो जयपुर शहर की आबादी बढ़ती जा रही है और दूसरा कारण है जयपुर शहर के जो मेन रोड्स हैं वे नेशनल हाई वे में आजाने के कारण दिल्ली अजमेर जाने वाला ट्राफिक इधर से ही गुजरता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : तो माननीय मन्त्री महोदय का यह कहना है कि ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती जायगी त्यों त्यों दुर्घटनायेंभी बढ़ेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ज्यों ज्यों पब्लिक में सिविक सेन्स आता जायगा दुर्घटनाओं में भी कमी होती जायगी।

डॉ० चन्द्रकला : जो गश्ती दल आपने बना रखा है वह कभी कभी गश्त करता है या स्थायी तौर पर करता है और सड़कों के नियमों का उल्लंघन करता है उनको चालान करता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हर जगह ट्रफिक पुलिस रहती है और वह मार्ग का इशारा करती है अगर उनके इशारों का कोई उल्लंघन करता है तो उसका चालान भी किया जाता है।

श्री महेन्द्रसिंह : आबादी जो बढ़ रही है उसको कम करने का कोई इन्तजाम किया है ?

श्री अध्यक्ष : ये एक्सीडेन्टस हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिये फेमिली प्लानिंग सेन्टर्स हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वन वे ट्रफिक जो किया गया है उन स्थानों पर कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं हुई जो इस प्रकार चेक किया करे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी मोटर तो एक दफा गलती से चली गई थी उसको तो रोक लिया गया था शायद आपकी मोटर नहीं रोकते होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माणक चौक की चौपड़ पर और चान्दपोल की चौपड़ पर ट्रफिक पुलिस का इन्तजाम नहीं है इस कारण हालांकि वन वे ट्रफिक कर रखा है फिर भी ट्रफिक पुलिस के इन्तजाम न होने की वजह से दोनों तरफ से ट्रफिक चलता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। आपके कहने के मुताबिक पुलिस का और ज्यादा इन्तजाम किया जा सकता है।

डॉ० चन्द्रकला : आपने गश्ती दल के बारे में उत्तर दे दिया मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या गश्ती दल और ट्रफिक पुलिस अलग अलग हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ट्रफिक पुलिस तो वह है जो इशारा करती है और गश्ती दल अलग है दोनों का काम एक है।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि एक

(डॉ० चन्द्रकला)

गश्ती दल शहरों में अनधिकृत फुटपाथ व सड़कों के नियम का उल्लंघन करते हैं उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं तो क्या कार्यवाही करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पेट्रोलिंग पार्टी लोगों को गिरफ्तार करती है चालान करती है ।

डॉ० चन्द्रकला : पटांक जो लिखे हुए हैं वे इस तरह से लिखे हुए है बिना रोशनी के रात्रि में पढ़े नहीं जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : पटांक क्या उटपटांग लिखे हुये हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उटपटांग होंगे तो जरूर ठीक कर दिया जायगा ।

पाली जिले के अध्यापकों का दैनिक भत्ता व वेतन

१२०८. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

पाली ज़िले की मिडिल व प्राइमरी स्कूलों के किन किन अध्यापकों को पिछले छः माह व उससे अधिक समय से दैनिक भत्ता व वेतन नहीं मिला है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास शिक्षा मन्त्री की ओर से) :

(१) ऐसा कोई भी अध्यापक नहीं है जिसे वेतन नहीं मिली हो । अध्यापक टूरिंग ऑफिसर नहीं है अतः दैनिक भत्ते का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुलिस हैडक्वार्टर्स जयपुर में डिप्टी-सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस श्री दुबे द्वारा मेस फंड के दुरुपयोग की शिकायत

११८२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पुलिस हैडक्वार्टर्स जयपुर में मेस के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ? यदि कोई नियम बने हुये हैं तो उसकी एक प्रति सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ?

(२) एक अप्रेल सन् १९५८ को कितना मेस फंड पुलिस हैडक्वार्टर्स जयपुर में था ? यह फंड किस प्रकार एकत्रित किया जाता है ? क्या यह सही है कि इस फंड के उपयोग के सम्बन्ध में कुछ अनियमिततायें पाई गई हैं ? यदि हां तो क्या क्या ? इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस श्री दुबे के विरुद्ध मेस फंड के दुरुपयोग के कारण कोई जांच हुई ? यदि हां तो किसके द्वारा और उसका क्या नतीजा रहा ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, गृह मन्त्री की ओर से) :

(१) पुलिस लाइन्स जयपुर में नियमानुसार चलाये जा रहे हैं । मेस में खाने वालों के ही चुने हुए व्यक्तियों के हाथों में इसका इन्तज़ाम रहता है और वे ही जरूरत की

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

वस्तुएं खरीदकर मेस नियमावली के अनुसार यह ध्यान में रखते हुए कि खुराक के पैसे कम हो सामान खरीदते हैं और मेस चलाते हैं। पुलिस लाइन में बड़े अधिकारी समय समय पर हिसाब चेक करते हैं व चुने हुए व्यक्तियों पर कड़ी दृष्टि रखते हैं।

(२) दिनांक १-४-५८ को मेस फंड में १५,२२५ रू० थे। यह काशन मनी के रूप में मेम्बर्स से एकत्रित किया जाता है। अभी तक इसके दुरुपयोग का कोई भी केस दृष्टि-गोचर नहीं हुआ है और इसलिये कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ।

(३) जी नहीं। यह नहीं पाया गया कि मेस फंड का दुरुपयोग किया है और इसलिये जांच का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : यह रूपया कहां जमा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह फंड में जमा है। मेस फंड में है।

श्री भैरोंसिंह : फंड में जमा है या बैंक में या पुलिस हैडक्वार्टर में है कहां है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नियमों में देख लीजिये जहां जमा होना चाहिये वहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : नियमों में यह उल्लेख नहीं है कि रुपया कहां जमा होना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इतना कह सकता हूं रुपया जमा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डि० वाई० एस० पी श्री दुबे ने इस पद पर आने से पहले जब वे रिजर्व इन्स्पेक्टर के पद पर थे इस फंड के दुरुपयोग के कारण उसका ट्रांसफर किया गया और वर्तमान डी० आई० जी० श्री हनुमान शर्मा ने उसकी जांच की थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रश्न के भाग ३ के उत्तर में मैंने कह दिया जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक पर्टीकुलर प्रश्न पूछ रहा हूं जिस समय श्री दुबे रिजर्व इन्स्पेक्टर के पद पर थे उस समय उन्होंने इस मेस फंड के रूपये का दुरुपयोग किया था और जिसकी जांच श्री हनुमान शर्मा डी० आई० जी द्वारा हुई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उस समय की मैं नहीं कह सकता लेकिन जिस बात के लिये आपने अपने प्रश्न में पूछा था उसके लिये मैंने कह दिया जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : इससे यह माना जाय कि ऐसी कोई जांच नहीं हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इससे पहले कोई जांच हुई हो तो मुझे पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : इससे हिसाब का ऑडिट कब कब हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दर असल यह रुपया ऐसा है जिसमें महिने की पहली तारीख को पैसा ले लिया जाता है और वह महिने के आखिर में खर्च हो जाता है

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि इसका ऑडिट हुआ है या नहीं ?

Page No.23

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस समय जानकारी नहीं है। रूल्स में प्रोवाइड होगा तो जरूरी हुआ होगा।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स में प्रोवाइड है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ऑडिट हुआ है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नियमानुसार ही कार्यवाही की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आप पन्द्रह हजार रुपया जमा बतलाते हैं वह क्या मेस फंड का है मन्थली अकाउन्ट का जो एडवांन्स के रूप में लिया गया है वह है या दूसरा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १-४-५८ तक इतना रुपया था मेस फंड में जो रुपया लेते हैं वह महिने के अन्त में खर्च हो जाता है यह एडवान्स के तौर पर लेते हैं वह रुपया है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह हैं कि जो रुपया १५ हजार आप बतलाते हैं वह मन्थली अकाउन्ट के खर्च का है या क्या। मेरे कहने का मतलब यह है कि १० रुपया माहवार जो कॉन्स्टेबिल और हैड कॉन्स्टेबिल से लिया जाता है वह जब तक ए० एस० आई न हो तब तक वह दस रुपया जमा रहता है तो यह रुपया कौन सा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ; कॉशन मनी का रुपया है। हर महिने में जो खर्च होता है उसके लिये एडवान्स की तौर पर रुपया लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : यह कॉशन मनी का रुपया है जो डिपोजिट की तौर पर काम आता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कॉशन मनी एडवान्स मनी के नाम से है सरकार का इस प्रकार का नियम है।

श्री अध्यक्ष : यह रुपया कॉशन मनी का होगा जो पर्मानेन्ट मनी के तौर पर काम आता है। जब तक सर्विस में रहता है वह रहता है फिर बाद में वह उनको मिलता है।

श्री भैरोंसिंह : जब कॉशन मनी का है तो वह एडवान्श मनी जैसा ही है तो क्या यह सरकार का नियम है कि वह हैड क्वार्टर में रहना चाहिये या बैंक में ? और बैंक में रहना चाहिये तो अकाउन्ट किसके नाम से होना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके रूल्स बने हुए हैं। उसके अनुसार होना चाहिये, रूल्स की कापी मैंने आपको दे दी है।

श्री अध्यक्ष : वे तो चुने हुए व्यक्ति हैं। वे ही करते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कोई न गर्वनमेंट मनी है न इससे सरकार का कोई सम्बन्ध हैं उनके अपने रूल्स बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आप जांच कर लीजिये कि उन रूल्स का पालन होता हैं या नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां। यह करा लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि

(श्री भैरोंसिंह)

यह फन्ड जिस पर्पज़ के लिये इकट्ठा किया जाता है । उसके अलावा उस फन्ड से रकम उधार दी जाती है और दी है और वह रकम यहां सदन में सवाल पूछने के बाद में वसूल की गई है वापिस ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह रुपया अधिकारियों का ही है । गवर्नमेंट मनी है । वे उसको रूल्स के अनुसार हैंडल करते हैं । इसलिये यह सवाल यहां असेम्बली में आना ही नहीं चाहिये था क्योंकि यह गवर्नमेंट फन्ड नहीं है । उनका रूल है ऑडिट होना चाहिये । otherwise we are not concerned. They can deal with the money as they please.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस फन्ड को रेगुलेट करने के लिये आई जी. पी. के नियम बनाये हुए हैं और ये गवर्नमेंट इन्स्ट्रक्शन्स के अन्तर्गत आते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये सब रूल्स के अन्तर्गत होते हैं और हिसाब ऑडिट भी होता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो रुपया इन रूल्स के अन्तर्गत कलक्ट किया जाता है उन नियमों में प्रावधान है कि केवल सुपरवाइज़री कमेटी इस प्रकार के लोन्स दे दे सकती है । सुपरवाइज़री कमेटी के ऊपर के अधिकारियों के इन्स्ट्रक्शन से ऐसे लोगों को लोन दिया गया है कि जो किसी तरह से इस फन्ड के सदस्य नहीं हैं और जिन अधिकारियों को इस तरह इन्स्ट्रक्शन्स देने का और लोन देने का कोई अधिकार नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने केवल भ्रष्टाचार की बात कही उसका मैंने जवाब दिया है । अब इस तरह से लोन दिया गया या दिया जाता है या नहीं इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है इस समय ।

श्री अध्यक्ष : वे और जानकारी कर लेंगे कि रूल्स का पालन होता है या नहीं ।

गवर्नमेंट हाईस्कूल सिरोही में स्थानाभाव

११८५. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही-श्री दलपतसिंह द्वारा पूछा गया) :

Will the Minister for Education be pleased to state:-

Whether there is shortage of accommodation in the Government High School at Sirohi? Does the Government contemplate constructing more class room there ?

राजस्व मन्त्री : (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मंत्री की ओर) : जी हां सरकार आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करेगी परन्तु वहां की जनता को भी इस सम्बन्ध में सहायता करनी चाहिये ।

श्री दलपतसिंह : अगर जनता तैयार है क्या तो सरकार उन परविचार करके काम शुरू कर देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार करेगी ।

Page No.25

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह

(अनुपस्थित)

सब-इन्स्पेक्टर की नियुक्ति

११६४. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा मु.) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १६५७ में कितने व्यक्तियों को सब-इन्स्पेक्टर बनाया गया ?

(ख) सब-इन्स्पेक्टर का सिलेक्शन कौन करता है और किस आधार पर ?

(ग) क्या सिलेक्शन करते समय शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स का भी ध्यान रखा जाता है ?

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष कितने व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब के लिये गये ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता गृह मंत्री की ओर से) : (क) सन् १६५७ में कोई सब-इन्सपेक्टर भरती नहीं किया गया।

(ख) सब-इन्सपेक्टरों के सिलेक्शन करने हेतु उम्मीदवारों से प्रार्थना पत्र ज़िला एस० पी० द्वारा आमन्त्रित किये जाते है जो कि आगे रेन्ज डी० आई० जी० को समर्पित करते हैं । रेन्ज़ हैडक्वार्टर्स पर उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा के पश्चात् रेंज डी० आई० जी० पी० कलेक्टर तथा डिविज़नल हैडक्वार्टर एस० पी० के बोर्ड द्वारा इन्टरव्यू होता है । रेन्ज डी० आई० जी० पी० प्रश्नोत्तर पंजिकाओं की इन्टरव्यू में उम्मीदवारों को दिये गये नम्बरों की लिस्ट के साथ, पुलिस हैड क्वार्टर पर भेजते है । प्रश्नोत्तरों को जांचने के बाद रिजल्ट शीट तैयार की जाती है और सबसे अधिक नम्बर पाने वालों को प्रत्येक रेन्ज़ के अनुपात से योग्यतानुसार सिलेक्शन किया जाता है ।

(ग) साढ़े बारह प्रतिशत रिक्त स्थान शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्डस ट्राइब्स के के उम्मीदवारों के लिये रिजर्व रखी जाती हैं और वे अगर योग्य पाये जावें और मिलते हैं तो ले लिये जाते हैं ।

(ग) गत वर्ष चार व्यक्तियों में से जो बतौर एस० आई० भर्ती किये उनमें एक शिडूल कास्ट का था ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर मु.) शिड्यूल्ड ट्राइब में से कितने चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक लिया गया । उनको आप दोनों में शामिल कर सकते हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : नहीं साहब, यह नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष : २५ पर्सेन्ट हो गया ।

Page No.26

श्री रामचन्द्र (डग–सु.) : क्या इन व्यक्तियों का इम्तिहान ही होता है या पुराना रिकॉर्ड भी देखा जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रॉ हैंड लिये जाते हैं उनका इम्तिहान होता है, प्रोमोशन में इम्तिहान नहीं होता।

श्री रामचन्द्र : रॉ हैंड से मतलब क्या है ? पुराने कॉन्स्टेबिल, हैड कॉन्स्टेबिल से या बिल्कुल नये रिक्रूटमेन्ट से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नये रिक्रूटमेंट से। उनके लिये यह रक्खा गया है। प्रमोशन वालों के लिये नहीं।

श्री रामचन्द्र : रॉ हैंड से बिल्कुल रॉ हैंड जिन्होंने पुलिस में पहले कभी नौकरी की नहीं या जो पुराने वर्क कर रहे हैं पर छोटे कॉन्स्टेबिल वगैरह हैं उनसे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नये से मतलब उन्हीं से है जो विभाग में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : इम्तिहान दोनों का होता है।

श्री रामचन्द्र : और जो पुराने पुलिस विभाग के एक्सपीरियेन्स्ड हैं उनको नहीं लिया जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां तो सब के लिये मौका है। पर उनका प्रोमोशन होता है, जिस का कोटा अलग है। डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट का कोटा अलग है।

श्री रामचन्द्र : आपने फर्माया कि यह तो कोटा नियत है। पहले तो रॉ हैंड का कितना है ?

श्री अध्यक्ष : रिक्रूटमेन्ट करने के दो तरीके होते हैं। रॉ हैंड भी होते हैं और प्रोमोशन से भी लिये जाते हैं जिसमें पुराने मुलाजिमों को मौका दिया जाता है।

श्री रामचन्द्र : मेरा निवेदन तो यह है कि जिनका इम्तिहान लिया जाता है, जिन का डिपार्टमेन्टल प्रमोशन होता है, उनका इम्तिहान होता है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो दोनों के लिये है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जब आप साढ़े बारह पर्सेन्ट का सिद्धान्त मानते हैं तो फिर प्रमोशन में उनको यह पर्सेन्टेज़ क्यों नहीं देते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो प्रोमोशन में यह कोटा मुकर्रर नहीं है। जो सर्विसेज़ में आते हैं तब उनके लिये कोटा मुकर्रर है। आयन्दा प्रोमोशन में कोटा मुकर्रर नहीं है, प्रमोशन आन मैरिट्स होते हैं।

श्री गोकुलचन्द जाटव (लछमनगढ़): क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सब-इन्स्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है तो क्या उसके लिये ८००) जमा करना पड़ता है और वह पैसा उसको अपनी जेब से देना पड़ता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रुपया कितने

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जमा कराने पड़ते हैं, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मंगलसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल पंवार ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय अध्यक्ष एक भीमसेन जी का प्रश्न है। १२०२।

श्री अध्यक्ष : आप पूछना चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : १२०५।

श्री गिरधारीलाल : नहीं साहब, १२०२।

श्री अध्यक्ष : इसका तो उत्तर दिया जा चुका है।

(विराम)

६. ६. म० पू०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री दिलीपसिंह ने २२।४।५६ से सत्र के अन्त तक विधान-सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की है। क्या सदन की यह राय है कि उनको सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान का जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

विधायी कार्य

६. ८ म० पू०

राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १६५६

(विचार विमर्श एवं पारण)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान प्रेमिसेज रेन्ट कन्ट्रोल एण्ड एविक्शन अमेंडमेंट बिल, १६५६ इस समय विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स यदि देखें जावें तो कुछ ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ कानून की खामी को दूर करने की चेष्टा की है। पहले का जो कानून बना हुआ था। उस में इस बात की खामी थी कि यदि ऐसे मामले में डिस्ट्रिक्ट जज़ के पास यदि कोई निर्णय होता है तो उस निर्णय की अपील कहां और किस अदालत में की जा सकती है ? इसमें जहां तक सिविल कोर्ट्स का क्वेश्चन आता है इस प्रकार के मामले,

(श्री भैरोंसिंह)

यदि सिविल कोर्ट्स के अन्दर प्रस्तुत किये जाते हैं तो उनके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

लेकिन अपील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां होती है। अब प्रश्न यह पैदा हुआ कि यदि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां ही ओरीजिनली किसी केस का फैसला हुआ है तो उस दावे की अपील किस स्थान के ऊपर की जाये। जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि डिस्ट्रिक्ट जज की अपील हाईकोर्ट में की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस कानून की की खामियों को दूर करने का प्रश्न आता है इस बिल के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन इसके क्लॉज़ २ में लिखा है: "Amendment of Section 22, Rajasthan Act 17 of 1950--In Section 22 of the Rajasthan Premises (Control of Rent & Eviction) Act, 1950, (1) For sub-section (1), the following shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted, namely-'(1) From 'every decree or order passed by a court under this Act an appeal shall lie to the court to which appeals ordinarily lie from original decrees and orders passed by such former court". इसका मतलब यह हुआ कि सन् १९५० का जो कानून है उस कानून के अन्दर सन् १९५६ के अन्दर संशोधन किया जा रहा है। सन् १९५६ में संशोधन हो या सन् १९५६ के आगे जाकर भी संशोधन हो संशोधन करने का जो प्रश्न है वह समझ में आ सकता है। लेकिन १९५६ में कानून बनाया जाये और सन् १९५० से उसको लागू किया जाये याने ६ वर्ष के पहले से उसको प्रभाव में लाया जाये यह कुछ समझ में नहीं आता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ भी हमारा कानून आज है या अब तक के जितने भी कानून हमने बनाये हैं उन कानूनों के बारे में जनमानस के हृदय में इस बात का पूर्ण विश्वास नहीं है कि आज जिस कानून के अन्तर्गत हमें कोई प्रोटेक्शन मिल रहा है या प्रोसीडिंग चालू है। वह कानून आज जिस प्रकार से विद्यमान है लेकिन आज के ५ वर्ष बाद जाकर उस कानून को बदला जा सकता है। केवल बदला ही नहीं जा सकता उस कानून को पांच वर्ष पहले से लागू भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि बीच में जितनी भी इस प्रकार की कार्यवाही कानून के अन्तर्गत हुई उन सारी कार्यवाहियों को रद्द करार दें। यह बात सही है कि विधान सभा के हाथ में इस प्रकार का अधिकार है। विधान सभा इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग कर के अपने बनाये हुए कानूनों में किसी भी समय संशोधन कर दें, लेकिन क्या यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार के अधिकारों का उपयोग कई बार घातक भी सिद्ध होता है। आज राजस्थान में एक प्रकार की परम्परा सी बनी हैं कि कानून में कोई भी खामियां हैं। उन खामियों को लेकर यदि कोई मामला हाईकोर्ट में चला जाये और कानून की खामी के कारण किसी व्यक्ति के पक्ष में हाईकोर्ट ने या किसी कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो हमारी सरकार कहने को जरूर कहती है कि जुडीशरी के जितने भी जजमेन्टस होते हैं, उन जजमेन्ट्स को उसी प्रकार मानती है जिस प्रकार से मानने चाहिए। लेकिन होता क्या है? ज्यों ही कानून बना और बनने के बाद

(श्री भैरोंसिंह)

उसके विपरीत यदि जुडिशियरी का कोई ऑर्डर हुआ तो सरकार उस जुडिशियरी के आर्डर को इनइफेक्टिव करने के लिए उस कानून में रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से परिवर्तन करने की चेष्टा करती है। तो उसका मतलब यह हुआ कि, कोई कोर्ट में जाये और कोर्ट में किसी प्रकार की सरकार की गलती मालूम हो गई, तो उसको दुरुस्त करने का सरकार का जो अधिकार है। उसका अतिक्रमण करके जुडिशियरी को इनइफेक्टिव बनाने की कोशिश करती है। अध्यक्ष महोदय, जनता का एक काम यह भी हो सकता है कि सरकार की त्रुटियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करे और जुडिशियरी का ध्यान आकर्षित करे। लेकिन केवल ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से और सरकार का ध्यान उस ओर जाये या जुडिशियरी इस चीज़ को इस प्रकाश में इन्टरप्रेट करे कि उसका वास्तविक अर्थ निकाला जाये। केवल इसी दृष्टिकोण को लेकर लोग जुडिशियल कोर्ट में नहीं जाते बल्कि जो कानून गलत बने हुए हैं उसके कारण से जो उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ा है उस विपरीत प्रभाव से रिलीफ प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति कोर्ट की शरण में जाता है। अब उसको रिलीफ न मिले और उसकी सारी कार्यवाहियों का केवल इतना सा असर निकाला जाये इसके कारण जो कानून का विपरीत प्रभाव पड़ा था। वह पड़ेगा लेकिन शब्दों में हेरफेर करके उसको कानून बनाया जायेगा तो उसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति न तो जुडिशियल आफिसर के पास जाये और न किसी कोर्ट में जाये और जो कुछ सरकार ने कर दिया उसको मानकर बैठ जायें। तो जुडिशियरी को जो इनइफेक्टिव बनाने की बात आती है उस पर हम सब को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसमें भी लिखा है कि 'the following shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted, namely" आज लागू किया और यह समझा जायेगा कि सदा से लागू है। अब इसमें दो प्रश्न पैदा होंगे। एक तो वह केसेज़ जो डिस्ट्रिक्ट जज़ की कोर्ट में थे, जिनकी अपील नहीं हो सकी थी। अपील का जिनका प्राविज़न नहीं था। अब उस अपील के बारे में हम प्रोविज़न रखते हैं। अपील के अन्दर लिमिटेशन का प्रश्न पैदा होता है। जब लिमिटेशन का प्रश्न पैदा होता है तो एक सिविल कोर्ट की अपील डिस्ट्रिक्ट जज़ के यहां अपील की जाती है उसमें लिमिटेशन का प्रश्न आता है। अब लिमिटेशन का क्वेश्चन इस डिस्ट्रिक्ट जज़ की अपील के बारे में नहीं रहेगा क्योंकि आज तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज़ के द्वारा फैसले हुए हैं। जिनकी अपील नहीं हो सकी वह सारे के सारे अब हाईकोर्ट में जा सकेंगे और इसलिए जा सकेंगे कि लिमिटेशन का क्वेश्चन शायद इसमें नहीं है। अब मान लीजिए कि लिमिटेशन का क्वेश्चन है थोड़ा सा यह मानकर चलें तो और भी वह अधिक घातक है और घातक इस सेन्स में है कि हमने उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया और इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ हमने आज संशोधन किया है वह सन् १६५० से लागू है। तो उसके ऊपर जो उस एक्ट में लिमिटेशन का ऑलरेडी प्रोविज़न है वह सन् ५० से लागू है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट जज़ की अपील हाईकोर्ट में कराना चाहते हैं। वह उस लिमिटेशन के क्वेश्चन से अपने आप समाप्त हो जायेगी और इससे जो कुछ

(श्री भैरोंसिंह)

मतलब हम निकालना चाहते हैं वह नहीं निकलेगा। अब देखना यह है कि सरकार किस प्रकार का दृष्टिकोण अख्तियार करती है। तो उस लिमिटेशन के क्वेश्चन को बिलकुल अवाइड करके जिनकी अपील नहीं हो सकी उनके लिए अपील का प्रोविज़न रखकर उसको लिमिटेशन से एग्ज़म्प्ट नहीं करना है तो shall be deemed always to have been substituted इसका कोई सेन्स नहीं होता है क्योंकि यह उस दिन से लागू होता है जिस दिन से कानून था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें जो टाइम का प्रश्न पैदा होता है और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन अराइज़ होता है। यह दोनों ऐसे हैं जिनमें एनोमाली पैदा होगी। उस सारे स्पष्टीकरण के लिए मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री महोदय करेंगे और जो कुछ मैंने कहा है उसको माननीय मन्त्री महोदय सही समझें और इस प्रकार का संशोधन लाकर उसको दूर करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल जिस सम्बन्ध में लाया गया है उसकी मन्शा ऑब्जेक्ट और रीज़न्स से साफ है। मौजूदा जो कानून है उसके मुताबिक जो सब–आर्डीनेट कोर्ट्स हैं सिविल कोर्ट्स या मुनसिफ उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज़ के यहां प्रोवाइड कर रखी है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज़ के यहां कोई केस होगा तो उसकी अपील नहीं है। हालांकि इसके बारे में निगरानी हाईकोर्ट में हो सकती है, इसमें ऐसा प्रोविज़न है। उस समय जब यह कानून बना तो उस समय यह ध्यान में नहीं आया कि डिस्ट्रिक्ट जज़ के यहां भी ऐसे मुकदमे हो सकते हैं और अगर उसके पास होंगे भी तो उनका क्या होगा ? उस समय यह ध्यान में नहीं था। इस प्रकार के रेण्ट के केसेज़ छोटे ही होते हैं। लेकिन बड़ी वैल्यूएशन के केसेज़ हो सकते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज़ के यहां जायें। अब कुछ केसेज़ ऐसे हैं जो हाईकोर्ट में पेन्डिंग हैं, याने उनका रिवीज़न पेन्डिंग है लेकिन उनकी अपील हाईकोर्ट में नही है। इसलिए इसको रिस्ट्रोपेक्टिव इफेक्ट होने से यह असर होने वाला है कि जो हाई कोर्ट में अपील रिवीज़न के लिए पेन्डिंग हैं वह उनको सुन सकेंगे। इसके पहले जो कुछ हो गया उसको रेगुलेराइज़ करने की मन्शा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें डिस्क्रीमिनेशन होगा। जिन लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर अपील कर दी उसके लिए प्रोविज़न कर दिया और चूंकि यह प्रोविज़न पहले नही था और जिन लोगों ने नहीं की उन लोगों को डिबार कर दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिबार नहीं कर दिया। रिवीज़न का प्रोविज़न ऑल–रेडी है।

श्री भैरोंसिंह : रिवीज़न का है अपील का नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले से रिवीज़न का है और किसी के नोटिस में नहीं है तो उसका क्या किया जाय ? रिवीज़न लागू हुआ और जो केसेज़ पेन्डिंग हैं उसको प्रोवाइड करने की मन्शा है। एक अपील तो चाहे डिस्ट्रिक्ट जज़ की कोर्ट में हो चाहे मुकद्मा सिविल जज़ की कोर्ट में हो हम प्रोवाइड

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

करना चाहते हैं। कानून की मन्शा है। यह जो पेंडिंग केसेज़ हैं उनको रेग्युलेराइज़ होने की बात नहीं है और कोई डिसक्रीमिनेशन होने की बात है। रिवीज़न का प्राविज़न ऑलरेडी है और कई केसेज़ हाई कोर्ट में पेंडिंग भी हैं। इसलिए डिस्क्रीमिनेशन की बात नहीं है। यह बात नोटिस में आई है कि इस तरह से लॉ में खामी है। उसको रेग्युलेराइज़ करने की बात है। डिस्क्रीमिनेशन होने का सवाल पैदा नहीं होता है रिवीज़न फाइल नहीं किये तो उसका सवाल पैदा नहीं होता है। मयाद खत्म हो गई तो कार्य क्या करें? इसमें किसी तरह की आपत्ति की बात नहीं है।

यह कानून लेजिस्लेचर का बनाया हुआ था तो केवल गवर्नमेंट की इसके लिए जिम्मेदारी नहीं है। यह लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी है। लेजिस्लेचर ने उस समय ऐसी कोई बात नहीं समझी तो नहीं रखी। अनुभव होने लगा तो यह रखा है। लॉ एक्सपीरियन्स पर बेस्ड करते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी डेवेलप होती है और अपने अनुभव निकालती है वैसे वैसे कानून बनाती है। नये नये कानून बनाये जाते हैं। कहीं गलती होगई या ऐसी बात होगई तो यह बात हमेशा कही जाती है। जब भी कोई अमेंडमेंट रखा जाता है तो यह बात कही जाती है और उसके जवाब में भी यही बात कही जाती है। उसके बावजूद यह चीज़ रिपीट की जाती है। यह बात गलत है कि एमेंडमेंट नहीं ला सकते। गवर्नमेंट की कानून बनाने में कोई कमी रही तो लॉ इज प्रोग्रेसिव उसके इन्टरप्रिटेशन के सवाल की बात है तो यह इन्टेग्रेटेड कानून है। जहां तक इन्टरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात है वह जुडिशियरी का काम है। इसका ऑलरेडी इन्टरप्रिटेशन हुआ है। मन्शा डिटर्मिन करने का लेजिस्लेचर का फर्ज है। उसको (इन्टरप्रिटेशन) क्रियान्वित करने के लिए यहां पर एमेंडमेंट लाये जाते हैं। एक अपील का उस समय प्रोवाइड नहीं किया गया था इसलिए किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : एक अपील प्रोवाइड नहीं की गई उसके कारण जो लोग अपील नहीं कर सके तो उनका राइट गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसीलिए जिन्होंने रिवीज़न कर दिया तो रिवीज़न में फैसले होगये, और अब चूंकि कानून में अपील प्रोवाइडेड नहीं थी। उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो डिस्क्रीमिनेशन कैसा है? पेंडिंग केसेज़ हैं उनकी एक अपील हो जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितनी रिवीज़न की एप्लीकेशन्स हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं? आपके पास इसके स्टेटिस्टिक्स हैं क्या?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस तरह की कम्प्लेन्ट आई है कि डिस्ट्रिक्ट जज़ के जजमेंट के खिलाफ प्रोवाइडेड नहीं है। कुछ केसेज़ पेन्डिंग हैं इस तरह की जानकारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितनी रिवीज़न एप्लीकेशन पेंडिंग हैं हाई कोर्ट में?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तहकीक नम्बर नहीं बता सकता हूं। मुझे जानकारी लॉ डिपार्टमेंट ने यह दी है कि कुछ केसेज़ पेंडिंग हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने पेंडिंग हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं नहीं कह सकता हूं कि कितने हैं लेकिन कुछ केसेज़ हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप एमेंडमेंट किस बिना पर ला रहे हैं जब कि आपके पास स्टेटिस्टिक्स नहीं हैं ?

श्री पी. के. चौधरी : There is no quorum Sir.

श्री अध्यक्ष : कोरम है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह एक अपील प्रोवाइड की है । डिस्ट्रिक्ट जज़ के फैसले की अपील प्रोवाइडेड नहीं थी । कानून की मन्शा साफ थी कि एक अपील प्रोवाइडेड हुई है ।

श्री पी० के० चौधरी : Quorum is lacking.

श्री अध्यक्ष : There is quorum.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसलिए मैं समझता हूं कि यह हार्मलैस लेजिस्लेशन है । इसको जैसा है वैसा ही पास करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब क्या बोलना बाकी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो दलील माननीय मंत्री महोदय ने दी है कि जैसे जैसे वे अनुभव करते जाते हैं वैसे वैसे कानूनों में संशोधन करते जाते हैं, तो अध्यक्ष महोदय यह कहा जाता है कि Fools learn by their own experience, while wise men learn by the experience of others. खुद के अनुभव करके सीखने की बात ठीक नहीं है । दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए । सवाल यह खड़ा होता है कि आज आखिर संशोधन लाने की जरूरत क्यों हुई । डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला अगर कोई कर दिया तो उसकी फर्स्ट अपील होना चाहिए । उसका रिवीज़न हाई कोर्ट में एलाऊ करते । रिवीज़नल पॉवर्स हाई कोर्ट को हैं किसी केस को एग्ज़ामिन करने के । इसलिए मैं यह समझता हूं कि आप इस बात के बारे में चिन्ता क्यों करते हैं ? यह भी हो सकता है कि हाई कोर्ट रिवीज़नल पॉवर्स को एक्सरसाइज करते समय डिस्ट्रिक्ट जज़ के जज़मेंट को सेट एसाइड करदे डिस्ट्रिक्ट जज़ को केस को सुनने का अधिकार नहीं था । केस सुनने का अधिकार नीचे की अदालत को था । तो नीचे की अदालत ने नहीं सुनकर डिस्ट्रिक्ट जज ने उसकी समाअत की । कानून में यह लिखा हुआ है और आप जानते हैं कि प्रत्येक आदमी सबसे पहले नीचे की अदालत में पहुँचता है और यदि कोई नीचे की अदालत में न पहुँचकर डिस्ट्रिक्ट जज को जाकर एप्रोच करता है और डिस्ट्रिक्ट जज डिसीज़न

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दे देता है तो उसके खिलाफ ऊंची कोर्ट में जाता है तो मैं समझता हूं कि रिवीज़नल पॉवर्स जो हाई कोर्ट में वेस्ट करते हैं, वे रिवीज़न की पॉवर्स को एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। कानून में यह लिखा है। कानून में यह स्पष्ट बात है कि एक अपील होनी चाहिए तो कानून के प्रोवीन के अनुसार एक अपील डिस्ट्रिक्ट जज़ में कार्य करेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि नीचे की अदालत अगर कोई फैसला देती है तो डिस्ट्रिक्ट जज़ के यहां होती है उसकी पहली अपील। डिस्ट्रिक्ट जज़ ने उस जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज़ कर लिया तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। जैसे कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के मातहत एस. डी. ओ. के फैसले की पहली अपील कलेक्टर के यहां होनी चाहिए और फिर उसकी अपील कमिश्नर के यहां होती है और रिवीज़न रेवेन्यू बोर्ड में लाई करता है। अगर किसी ने कलेक्टर के यहां अपील न करके कमिश्नर के यहां कर दी और कमिश्नर ने अपने पॉवर्स एक्सरसाइज़ करके फैसला दे दिया तो ऐसा फैसला देना उसके जुरिस्डिक्शन में है। कई बार इस प्रकार के फैसले हुए हैं। क्योंकि कमिश्नर को कलेक्टर के पॉवर्स हैं, इसलिए जो वह डिसीज़न देता है वह विद्इन हिज़ जुरिस्डिक्शन है। इसलिए रेवेन्यू बोर्ड केवल रिवीज़नल पॉवर्स एक्सरसाइज़ कर सकता है और करके सारे डिसीज़न को एग्ज़ामिन करता है। मैं समझता हूं कि इस केस में भी यह हो सकता है। जिन डिस्ट्रिक्ट जजेज़ ने फैसले दिये उन्होंने पहले तो यह गलती कर दी कि उनको जुरिस्डिक्शन को ओवरलुक नहीं करना चाहिए था। सारे केसेज़ जिनकी समाअत लोएस्ट कोर्ट में थी उनको लोएस्ट कोर्ट में भेज देना चाहिए था। उनको ट्राई नहीं करना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : ऐसे कई केसेज़ हो सकते हैं जिनकी डिस्ट्रिक्ट जज ही समाअत ले सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No Sir, there can be no case of this type which a District Judge can take cognizance of under this Act.

श्री अध्यक्ष : छोटी अदालतें कितनी ही हैं उसका....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें अदालत का सवाल नहीं है। एविक्शन का मामला है। इजेक्टमेंट का सवाल है। इसमें लोएस्ट कोर्ट, मुन्सिफ में जाकर करे और उसके खिलाफ अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होगी। डिस्ट्रिक्ट का ओरिज़नल जुरिस्डिक्शन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : I think there can be cases in which the court of first instance would be the Sessions Court, the District Court. I think there is a possibility of that.

श्री मूलचन्द डागा : Yes sir.

श्री अध्यक्ष : अगर वह नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं पड़े। उन्होंने इन्टेन्शन नहीं बताया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्टेन्शन यही होना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो दलील दी गई है। जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में दिया गया है चूंकि हाई कोर्ट में रिवीज़न के केसेज़ पेंडिंग हैं, वह रिवीज़न मैं समझता हूं कि सब पर लागू होगा। उन केसेज़ पर नहीं होगा जिनकी समाअत डिस्ट्रिक्ट जज़ के यहां हो सकती है। फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में होती है। ऐसे केसेज़ उन्होंने सैकड़ों डिसाइड कर दिये हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता। इसमें लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जज़ के जो फैसले हैं उनकी अपील प्रोवाइडेड नहीं है इसलिए यह एमेंडमेंट ला रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसमें पेंडिंग केसेज़ के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं आपने जो प्रोविज़न कर दिया है कि 'shall be deemed always to have been in force' तो उसमें उससे बड़ी एनामोलस पोज़ीशन पैदा हो जायगी। जो रह गये हैं उनका क्या होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पेन्डिंग केसेज़ पर लागू होगा और केसेज़ पर लागू होने का सवाल नहीं है। वह ऑलरेडी तय हो चुके हैं, रिवीज़न में उनका कोई सवाल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्वेश्चन इस बात का है कि इस मामले में किसी को मालूम नहीं था कि इस प्रकार की चीज है क्या ? सवाल यह है कि उन्हें मालूम नहीं कि हाई कोर्ट में अपील होगी या नहीं। उनकी रिवीज़न की एप्लीकेशन है। इस कानून के आधार पर वे अपील कर दें तो वह अपील ट्रीट की जायगी।

(विराम)

कौन से ऐसे मामले हो सकते हैं ? I would like to be enlightened on this point. In which case only a District Judge have jurisdiction to try a case under this Act ?

श्री अध्यक्ष : You can ask for clarification. मेन पर्पज़ इसका यह है कि ओरिज़िनल डिग्री या ऑर्डर्स कोर्ट में पास किये गये हैं, उनके लिए एक दफा अपील करने का राइट दिया जाय that is the basis under this Bill.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) **:** अगर कोई केस एरिया का है, वह १० हजार से ज्यादा का है, वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा न कि किसी सिविल कोर्ट या मुन्सिफ कोर्ट में।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्ट्रिक्ट जज़ के यहां होगा। वैसे वकालत छोड़े समय हो गया लेकिन ऐसा होता है, डिस्ट्रिक्ट जज के यहां हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : हो सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसे केसेज़ होंगे, हाई कोर्ट में पेन्डिंग भी है। यह मेरी जानकारी है, मैं समझता हूं, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अपील के लिए प्रोवाइड कर देना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं यह जैसा है वैसा ही पारित कर देना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पॉइन्ट पर क्लीअर नहीं हुआ। सवाल यह है कि ऐसे कौन से केसेज़ हो सकते हैं ? जो ओरिजिनल डिक्री के मामले हैं वे एरियर्स की बिना पर डिस्ट्रिक्ट जज़ के यहां पर नहीं जाते हैं, वहां इविक्शन के सवाल जाते हैं। कामन ला के तहत एक रेमेडी प्रोवाइड की है अपील की। अगर एरियर १८ महीने के बाकी हैं, कितने का भी हो, पांच हजार की हो, तीन हजार की हो, उसका इविक्शन हो सकता है। उसका जुरिस्डिक्शन मोनेटरी लेवल पर वेस्ड नहीं है, कुछ जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट को दिया गया है, कुछ सिविल, मुन्सिफ जज़ को दिया गया है। आप कोई केस इस तरह का नहीं बता सकते जिस केस में मोनेटरी लेवल पर जुरिस्डिक्शन अराइज़ होता हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा है कि सूट्स किस पर दायर होती है। वह स्यूअल रेंट पर होती है। अगर रेंट १२ हजार का है, तो सूट डिस्ट्रिक्ट जज के सामने हो सकती है और किसी कोर्ट में नहीं होती है। अगर किसी बिल्डिंग की रेन्टल वेल्यू १२ हजार है, १० हजार से ज्यादा है तो वह केस डिस्ट्रिक्ट जज़ के यहां हो सकता है और किसी जगह नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : देखिये कुछ भी हो, एक डाउट क्रियेट हुआ है। कई लोगों के रिप्रजेन्टेशन करने पर उसको दूर करने के लिए सरकार अमेंडमेंट ला रही है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिससे अधिकार लिया जा रहा हो या और कोई बात हो, The Act will become very clear by the introduction of this section.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें यह चेंज होनी चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि ओरिज़िनल डिक्री या ऑर्डर पर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील वेस्ट होगी और जो नीचे के थी उनकी डिस्ट्रिक्ट जज़ के यहां वेस्ट होगी। किसी ने डिस्ट्रिक्ट जज के यहां सूट फाइल किया जब कि वह नीचे कर सकता था और डिस्ट्रिक्ट जज ने वापिस नहीं किया, वह पेंडिंग है, उसकी अपील होगी या नहीं, सवाल यह है। इसका फायदा सब को हो, इसका क्लेरीफिकेशन नहीं हुआ। जो बात कह रहे हैं माननीय मंत्री जी, इसका नतीजा यह होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज ने जितने केसेज़ डिसाइड किये हैं वे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के थे और रोंगली जुरिस्डिक्शन को एज्यूम करके किया है। अगर पेंडिंग है तो उस पर डिसीज़न होगा ? ये दोनों चीजें कब होगी ? एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था या नहीं, दूसरे जो पेडिंग हैं, उन पर अपील होगी या नहीं। मैं समझता हूँ यह उनके बारे में नहीं था जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझता हूं कि ओरिज़िनल जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट जज़ का था, उसने कोई केस ट्राई किया है, उस पर अपील प्रोवाइड होनी चाहिए। उसको प्रोवाइड किया गया है। इसमें कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज़ ने एज्यूम कर लिया था, और पॉवर वेस्टेड नहीं थी, तो वैसे ही खत्म हो जायगा। हाई कोर्ट में रिवीज़न होकर हाई कोर्ट खत्म कर देगा। जो लोअर कोर्ट्स में केस होते हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट जज़ को पॉवर होगी,, उसके लिए अपील प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें डाउट की बात नहीं है, जैसा है वैसा पास कर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन लोगों ने अपील नहीं की है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज़ के जज़मेंट के खिलाफ नहीं हो सकती थी। उन्होंने अपील नहीं की क्योंकि अपील हो नहीं सकती थी, there was no provision of appeal. लिमिटेड ले डाउन हो गई, इस कारण अपील नहीं की है। अब आप प्रोविज़न कर दीजिये कि दो तीन मन्थ का पीरियड प्रोवाइड हो जाय ताकि जिन लोगों के केसेज़ पर डिस्ट्रिक्ट जज़ ने डिसीज़न दिया है, वह अपील कर सकें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि उसकी आवश्यकता नहीं है। मुन्सिफ और सिविल कोर्ट के जज़मेंट की फर्स्ट अपील हो गई, डिस्ट्रक्ट जज के जजमेंट की नहीं हुई, उसके लिए रिवीज़न के लिए प्रोविज़न है। अब जो रिवीज़न पेंडिंग हैं, उनको अपील में हाईकोर्ट में कन्वर्ट कराने का राइट होगा।

श्री अध्यक्ष : राइट है या नही, We are not concerned with that.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिवीज़न और अपील में फर्क होता है। रिवीज़न हाई कोर्ट करता है और अपील मेरिट्स पर हाईकोर्ट में एग्जामिन की जाती है इसलिए जो केसेज पेडिंग हैं, वे कन्सीडर होंगे या नहीं, इस तरह एक अनामोलस पोजीशन हो जाती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि रिवीज़न और अपील के दायरे में

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले रिवीज़न की पावर्स मौजूद थी इसलिए अपील की नहीं। अगर अपील की पॉवर होती है तो अपील करते हैं। आपने रिवीज़न की पावर दे रखी है इसलिए अपील नहीं की, अब आप उसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पहले लॉ में दे नहीं रखा था।

श्री अध्यक्ष : है या नहीं that will depend upon the interpretation the High Court gives on this. यदि रोंगली एज्यूम करके जजमेंट दिये हैं, अपील का कानून है नहीं तो कैसे ट्रीट करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं साहब....

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट में अपील के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने बताया कि रिवीज़न हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं। उनके बताने की मन्शा थी कि जो डिक्री या आॅर्डर ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुए थे, उनकी अपील का सवाल नहीं था. इसलिए रिवीज़न के लिए हाई कोर्ट में गये, just to show that there can be cases in which original decree or order has been passed by District Juage.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर दूं कि ऐसे केसेज में से जो डिस्ट्रिक्ट जज ने डिसाइड किये हैं, उनमें से ५० पर्सेन्ट ने अपील नहीं की, और ५० पर्सेन्ट ने रिवीज़न पेश किये। अब सवाल पेश होता है कि रिवीजन पेश कर दिये तो हाई कोर्ट रिवीजन की पॉवर एक्सरसाइज करेगी। अगर हाई कोर्ट अपेलेन्ट की पावर एक्सरसाइज़ कर सकती तो मेरिट्स पर जा सकती

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

थी और उनको जस्टिस मिल सकता था। पहले आपने अपील के लिए रखा नहीं। अब ऐसा मालूम पड़ता है कि जिन लोगों ने रिवीजन के लिए किया, उनमें से कुछ लोग हो सकते हैं। जिनको स्पेशल फायदा पहुंचाना चाहते हैं और क्योंकि रिवीजन के केस रिओपिन नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि सब केसेज मेरिट्स पर जायं। डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में फैसले होते हैं, उन लोगों को रिवीजन में फायदा पहुँचा नहीं सकते इसलिए अपील में कनवर्ट करा कर हाई कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आप ऐसा प्रोवीजन कर दीजिये क्योंकि आखिर सैकड़ों लोग हैं, जिन्होंने अपील नहीं की है, वह इससे महरूम रह जायेंगे, उनके लिए हम चाहते हैं कि आप प्रोविजन कर दीजिये कि डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला कर दिया तो उनकी हाई कोर्ट में अपील होगी। जो पेंडिंग केसेज हैं हाई कोर्ट में, उनमें रिवीजन की पॉवर्स को एक्सरसाइट करते हुए वे जैसा चाहें वह कर देंगे। रिवीजन करने से ही अपील का फायदा नहीं पहुँचाया जा सकता। इस दृष्टि से प्रोविजन किया है। जिस प्रकार फर्स्ट और सेकिंड अपील का प्रोविजन किया है, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि सब में अपील का प्रोविजन कर दीजिये। एक तरफ पेंडिंग केसेज़ में नहीं करते हैं और दूसरी तरफ करते हैं, यह एक तरह डिस्क्रिमिनेशन करके चलेंगे। मैं समझता हूं कि यह राइट आप सबको दे दीजिये, इसमें आपत्ति नहीं है। जिससे मेरिट्स पर केसेज एग्ज़ामिन करें जायं, और लोगों को फायदा पहुँचा सकें। मैं निवेदन करूंगा कि इसको पेंडिंग केसेज पर लागू कर दीजिये तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो यह डिस्क्रीमिनेशन है। अगर आप इसे ओमिट न करें तो सब पर लागू कर दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने जो कानून बनाया है सबके लिये बनाया है इसमें सबको फायदा मिलने वाला है। किसी एक आदमी पर इसका असर पड़ेगा, उस डिसिजन से ऐसा कोई मामला हो उसमें उसको अपील का अधिकार होना चाहिये इसमें प्रोवाइड नहीं किया। इसलिये हमने अपील प्रोवाइड कर दी है। किसको फायदा या नुकसान होगा यह हम नहीं देखते, एक यूनिफाइड कानून पास करते हैं। सिंपल बात है, इसको इसी तरह पास कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

६.४१ म० पू०

राजस्थान फोरेस्ट (अमेंडमेंट) बिल, १६५६
(विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान फोरेस्ट अमेंडमेंट बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रोटेक्टेड फोरेस्ट का किया है वह उचित नहीं है। राइट नहीं है उनको आप रख सकते हैं पर जिनको राइट था और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रोटेक्टेड फोरेस्ट होने के कारण उनको राइटस एक्स्ट्विंगिश नहीं करना चाहिये। जिनके राइट्स एक्स्ट्विंगिश नहीं हैं उनके राइट्स को एक्स्ट्विंगिश करने का यह नया तरीका निकाल दिया है। यह तो इसी तरह हुआ कि किसी का पर्मिट छीनना है तो नेशनेलाइज़ कर दीजिये। देवली कोटा रूट को और फिर कह दिया कि हम अभी नेशनेलाइज़ नहीं करना चाहते।

इसी मंशा के साथ आपने और लिख दिया है कि जिन लोगों के राइट्स एक्स्ट्विंगिश हो गये उनके राइट्स रिवाइव नहीं होंगे तो इसके माने यह हुए कि जिनके राइट्स एक्स्ट्विंगिश नहीं उनको प्रोटेक्टेड फोरेस्ट डिक्लेअर कर दीजिये। इसके बारे में मुझे आपत्ति है। जहां तक अधिकार का प्रश्न है यह आप रखिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कन्वीन्स कर दूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : I have given an amendment to it Sir.

श्री अध्यक्ष : बाद में लेंगे यह प्रस्ताव लेने के बाद में।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं थोड़ा खुलासा के तौर पर निवेदन कर दूँ कि इस पर आगे चर्चा न चले। अभी तक जैसा कि हमने एम्स एन्ड ऑब्जेक्ट्स में लिखा है कि फोरेस्ट्स के कानून में रिर्जव्ड फोरेस्ट्स हैं या डिक्लेअर करना चाहें कि रिर्जव्ड फोरेस्ट्स नहीं रहेंगे तो कर सकते हैं पर प्रोटेक्टेड फोरेस्ट, चूंकि दूसरी तरह का फोरेस्ट है, लोगों के राइट्स दूसरी तरह के हैं, उसको एक दफा प्रोटेक्टेड फोरेस्ट घोषित कर देते हैं तो फिर उनको नहीं ले सकते। खास तौर से एक प्रोटेक्टेड फोरेस्ट्स पिछले दो चार वर्षों में किये हैं, उनमें से उन लोगों के राइट्स खेवटदार, बिस्वेदार, जागीरदार थे उनको अपने फोरेस्ट में लेकर फोरेस्ट में रखा है। पर उनमें कुछ लोगों के गांवों के पास जमीन पड़ती थी, पशुओं के चराई के पोइन्ट ऑफ व्यू से कई दिक्कतें आईं और खास तौर से अजमेर के इलाके में कई समस्याएं खड़ी हुई हैं. प्रोटेक्टेड फोरेस्ट के एरिया में जमीनें के लिये तो डिक्लेअर प्रोटेक्टेड फोरेस्ट हो गया पर उनको हम वापिस छोड़ नहीं सकते। वह जमीन खेवटदारों की थी राइट्स वाले लोगों की थी, पुराने जमाने के लोगों के राइटस थे उनको छुड़ा कर प्रोटेक्टेड फोरेस्ट रखे हैं, उनको वापिस रिवाइव कर दें तो जिन गांव वाले लोगों के लिये रखना चाहते हैं ग्रेजिंग पर्पज़ के लिये वह सारा एम ही खत्म हो जायगा और ज्यादा लोगों की भलाई के लिये जो चीज़ लाना चाहते हैं वह मंशा ही डिफीट हो जायगी। कुछ इलाकों में गांव वालों के लिये हार्डशिप हो गई है, प्रोटेक्टेड फोरेस्ट में जमीनें आ गई हैं तो आम लोगों के फायदे के लिये इस बिल में इस धारा को रखा गया है ताकि ज्यादा लोगों को दिक्कत न हो।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इसमें यह क्यों नहीं रख दिया जाय कि पब्लिक के काम में जो आ रहा है वह पब्लिक को दे दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रोटेक्टेड फोरेस्ट

Page No.39

(श्री नाथूराम मिर्धा)

का मतलब ही यही है कि पब्लिक के कुछ राइट्स हों, ग्रेजिंग के हों, दूसरे प्रकार के हों पर इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जो गोचर की भूमि में कम राइट्स हैं तो राइट्स तो ऑलरेडी लोगों के प्रोटेक्टेड फोरेस्ट्स में हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

क्लॉज़ २।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I move the amendment that in clause (2) sub-clauee (4) add the following words at the end namely "and it may also be released from forest and transferred under revenue administration."

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में बहुत सा ऐसा फोरेस्ट एरिया है जो गांवों के बीच में भी होता है और सही माने में हम उसे फोरेस्ट नहीं मान सकते जो आम तौर पर लोग बाग उनकी डे टू डे नीड्स के लिये, "गौचर के लिये इस्तेमाल करते" थे, ऐसे एरिया को या जो कल्चरेबल एरिया हैं, जिसमें कि खेती हो सकती है, ऐसे भी बहुत से एरिया को फोरेस्ट में रखा गया है और ऐसे एरिया को फोरेस्ट में रखा गया था तो कुछ वर्ष पहले ऐसी विचारधारा देश में चल रही थी कि डेजर्ट को रोकने के लिये और मुंशी साहब ने वन महोत्सव शुरू किये थे। कि जगह जगह प्लान्टेशन शुरू किया गया था, और कई एरिया को सरकार ने बहाव में आकर फोरेस्ट एरिया घोषित कर दिया था। यह जो अमेंडिंग बिल आ रहा है वह नोर्मल फोरेस्ट को प्रोटेक्टेड फोरेस्ट डिक्लेअर कराने के लिये है। मैं यह अमेंमेंड रखता हूं कि ऐसी ज़मीन को जो कल्चरेबल लैंड है, उसको फोरेस्ट एरिया में रखने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती। डेज़र्ट का बोर्डर एरिया है उसमें कल्चरेबल लैंड को फोरेस्ट में रख सकते हैं पर थ्रू आउट स्टेट, स्प्रेड आउट ही, आबादी के पास ही जो ज़मीन है, जिसमें कल्टिवेशन हो सकता है उसको फोरेस्ट एड्मिनिस्ट्रेशन के नीचे रखना मैं उचित नहीं समझता।

अभी जब हम 'ग्रो मोर फूड' की बात करते हैं तो जो एरिया फोरेस्ट के एरिया में है और उसमें काश्त हो सकती है उसको फोरेस्ट से रिलीज कर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे देना चाहिये ताकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस ज़मीन को कोई कल्टिवेशन के लिये लेना चाहे तो रिलीज़ कर सकता है। यह जो इन्डिस्क्रीमिनेट फोरेस्ट डिक्लेअर कर रखा है, जहां फोरेस्ट डिक्लेअर करने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती वहां फोरेस्ट डिक्लेअर कर रखा है, वह ठीक नहीं, हां जो पहाड़ियां हैं, स्माल हिल्स हैं, स्लोप्स हैं जिनमें कल्टिवेशन नहीं हो सकता उस तक ही फोरेस्ट एरिया सीमित रखा चाहिये न कि आबादी के बीच में। कई जगह आबादी के बीच बीच में जो फोरेस्ट रख रखा है और जिस ढंग से रख रखा है उसको देखते हुए वर्तमान में जो पॉलिसी है, उसके अनुसार आबादी के पास के एरिया को भी फोरेस्ट एरिया

(श्री पी. के. चौधरी)

घोषित कर सकते हैं। शुरू से डिसाइडेड पॉलिसी है उस को देखते हुए ऐसे फोरेस्टस रेवेन्यू विभाग को दे दिया जाय। ताकि जो काश्त करने लायक ज़मीन हो उस पर काश्त किया जा सके।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक १९५८ पर जो संशोधन फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं समर्थन करती हूं। जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है यह ठीक है कि

श्री अध्यक्ष : रिलीज़ होने के बाद स्टेटस क्या हो जायगा। फोरेस्ट भी तो दो तरह के हैं रिजर्व फोरेस्ट और प्रोटेक्टेड फोरेस्ट।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके अलावा तीसरा फोरेस्ट है नहीं विलेज़ फोरेस्ट डिक्लेअर करके विलेज़ फोरेस्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वह विलेज़ के काम में आयगा।

डॉ० चन्द्रकला : (जारी) अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जयपुर शहर के पास कुछ भूमि ऐसी है जिसको फोरेस्ट एरिया डिक्लेअर किया हुआ है। जिसको फोरेस्ट विभाग की ज़मीन कहा जाता है। जयपुर शहर का विस्तार हुआ और ऐसी हालत में जब शहर की आबादी उस तरफ बढ़ती है वहां पर शहर का विकास होता है तो वहां आबादी को बसाने की जरूरत मालूम हुई तो वैसी हालत में वह ग्राउन्ड लेने की आवश्यकता हुई उस समय यह अनुभव हुआ कि यह ज़मीनवन विभाग की है जब तक रेवेन्यू विभाग के अधिकार में नहीं आती है इसको दे नहीं सकते। जहां पर नगरपालिका नहीं है अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड नहीं वहां इस तरह के सवाल नहीं आयेंगे। नगरपालिका के क्षेत्र में जहां इस प्रकार की ज़मीन है वन महोत्सव के सिलसिले में जिसको फोरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया गया बाद में उसकी उपयोगिता मालूम पड़ी फोरेस्ट को तो वह काम नहीं आयेगी वैसी हालत में उसको प्रोटेक्टेड फोरेस्ट डिक्लेयर करना कहां तक ठीक है।

श्री अध्यक्ष : नगरपालिका का प्रश्न दूसरा है। जहां तक आबादी में कनवर्ट करने का सवाल है वहां वन विभाग और रेवेन्यू विभाग दोनों मिल करके रिलीज़ कर सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्या जयपुर की बात कह रही हैं यहां तो रिलीज़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज्यों ज्यों शहर बढ़ेगा उसके साथ साथ अफोरस्टेशन करना भी उतना ही जरूरी है। शहर के पास इस प्रकार का फोरेस्ट रखना जरूरी है प्लान के हिसाब से यह रखा है इस प्रश्न को इसको साथ जोड़ने से कोई लाभ नहीं। फोरेस्ट की जो ज़मीन है वह तो रहेगी ही।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय मन्त्री महोदय, को पता नहीं वह ज़मीन रेवेन्यू विभाग को दे दी गई है और वह बसाने के लिये काम में आने वाली है। वन विभाग की कमी रही हो किन्तु अब तो वह सारी ज़मीन अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के आधीन है वह अलॉट कर रही है।

Page No.41

(डॉ० चन्द्रकला)

इस तरह से मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक हम इस प्रकार से रिवाइव नहीं करेंगे डिफीकलटी आयगी । हम तो यह चाहते हैं कि फोरेस्ट लैन्ड है जिसको हम फोरेस्ट के लिये छोड़ देते हैं उस पर ऐसी सुविधायें मिलनी चाहिये कि वह जनता के काम आ सके । इस विधेयक से वह होता हुआ दिखाई नहीं देता इसलिये जो संशोधन फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका समर्थन करती हूं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन इस प्रकार है क्लॉज दो को सब-क्लॉज ५ जो इस प्रकार है

"(5) From the date so fixed, under sub-section (4), such forest or portion thereof shall cease to be a protected forest, but the rights, if any, which have been extinguished therein shall not revive in consequence of such cessation." मैंने इसमें 'not' शब्द को डिलीट करने के लिये संशोधन रखा है । माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दिया था मूल धारा २६ है । उसके अन्दर इस प्रकार से है प्रोटेक्टड फोरेस्ट डिक्लेयर किया जायगा ।

"29. Protected Forests-(1)- The Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, declare the provisions of this chapter applicable to any forest land or waste land which is not included in a reserved forest but which is the property of Government or over which the Govt-ernment has proprietory rights or to the whole or any part of the forest produce of which the Government is entitled."

तो इसके अन्दर जब तक किसी फोरेस्ट को छोड़ा हुआ है उसको प्रोटेक्टेड फोरेस्ट डिक्लेयर करेंगे । हमें इस प्रकार का अनुभव है कि सीकर में गोचर भूमि का एक बीड था । उसको प्रोटेक्टेड फोरेस्ट में ले लिया वह इसलिये ले लिया गया उसके लिये यह आश्वासन दिया गया था कि इसके अन्दर पेड लगायेंगे घास उगायेंगे और उसके बाद सब लोगों के जिस प्रकार के पहले राइट्स थे उसी प्रकार का राइट्स उस पर फिर भी रहेगा । चराने वगैरह की जो सुविधा थी वह फिर दे दी जायगी इस प्रकार का आश्वासन था । इसका अर्थ यह है कि जब यह कानून लागु हो जायगा जिस किसी भी भूमि का प्रोटेक्टेड फोरेस्ट के नाम से विकास करेंगे उस भूमि पर जिस प्रकार के राइट्स पहले हासिल थे वही राइट्स यदि मिलते हैं तो गांव वालों को लाभ होगा । लेकिन यह होता नहीं है और न कानून में ऐसा प्रावधान भी है । अब यह संशोधन लागू हो जायगा तो हर फोरेस्ट पर जितने भी पब्लिक के राइट्स थे वे रिवाइव नहीं होंगे । सरकार उसको नीलाम करेगी ठेकेदारों को देगी इस तरह से सरकार ने तो इससे आमदनी का जरिया बना लिया है । अभी तक जिसका उपयोग जन साधारण के लिये खुला था वह उपयोग अब नहीं हो सकेगा । यह जो कानून बनाया जा रहा है वह जो पहले राइट्स थे उनको छिनने की गरज से बनाया जा रहा है । अब क्या होगा कि हर जमीन को प्रोटेक्टेड फोरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जायगा उसके बाद उसकी नीलामी होगी । इसमें यह भी नहीं है कि कितने अर्से तक वह प्रोटेक्टेड रखा जायगा

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

यह भी कुछ खुलासा नहीं है सरकारी की मर्जी आयगी उतने दिन तक उसको प्रोटेक्टेड फोरेस्ट में रखा जायगा यह सरकार की मर्जी पर होगा। इस थोड़े से लाभ के कारण सरकार प्रोटेक्टेड फोरेस्ट डिक्लेयर करना चाहती है उसके लिये धारा २९ में इस प्रकार का प्रावधान है कि डिक्लेयर करने के पहले जितने भी राइट्स वगैरह हैं उन सारे अधिकारों को लेखबद्ध किया जायगा। लेकिन जब रिलीज़ किया जायगा वे राइट्स रिवाइव नहीं होंगे यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। सरकार जितने दिन अधिकार रखेगी उतने दिन तक उसमें कोई भी पशु गाय आदि न चरा सकेगा सरकार उसका विकास करेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य को कन्फ्युजन हो रहा है राइट्स और इजमेन्ट में फ़र्क है राइट्स कुछ है इजमेन्ट कुछ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Easemen is also a right. Rights and easements are different, but easement is also a right.

श्री अध्यक्ष : जनता को जो चराने के अधिकार थे वे तो रहेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : राइट का मतलब समझा दिया है विस्वेदारों के राइट्स खेवटदार के राइट्स थे उन राइट्स को खत्म करके प्रोटेक्टेड फोरेस्ट डिक्लयर कर के उनके राइट्स तो खत्म कर दिये गये हैं किन्तु पब्लिक के राइट्स चराने के और घास काटने आदि के है वे तो चालू है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जो कुछ कह रहे हैं टीक है किन्तु जबतक इस प्रकार का लॉ में प्रोविज़न नहीं होगा उसका इन्टरप्रीटेशन इस प्रकार से नहीं हो सकता। For that you will have to make a provision in the law.

श्री नाथूराम मिर्धा : वे सारी चीजें कानून में लिखी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : यह धारा रिजर्व फोरेस्ट हैं उसी प्रकार की रख रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जैसा आप कहते हैं वह सही है तो मुझे अपना संशोधन पेश करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इस कानून से तो यह मन्शा जाहिर नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : जो माननीय मन्त्री महोदय ने स्पष्टीकरण दिया है, जो आश्वासन दिया है....

१० म० पू०

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस प्रकार की चिन्ता आप जाहिर करते हैं वह चिन्ता होने की आवश्यकता नहीं है। यह मुद्दा लोगों के फायदे के लिये ही लिया गया है। एक बार किसी तरह जो प्रोटेक्टेड एरिया बन गया है उसको हम छोड़ नहीं सकते फिर चाहे जैसे भी गलत सरकम्सटान्सेज में वह बन गया हो। लोगों के राइट कम करने की इसमें कोई बात नहीं है। प्रोटेक्टेड फोरेस्ट में तो उनको

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ज्यादा राइट और सहूलियतें मिलेंगी जो पहले उनको मिलती थी उनसे।

श्री पी. के. चौधरी

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री पी. के. चौधरी ने जो संशोधन रक्खा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ और प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लाज़ १ और प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान गोशाला विधेयक को ले लें पहले। या सीड वाला बिल लें।

श्री पुरुषोत्तमलाल : कार्य सूची में गोशाला बिल पहले है।

१०. ३. म० पू०

राजस्थान गोशाला विधेयक, ५८

(प्रवर समिति को)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान गोशाला बिल।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा है माननीय अध्यक्ष महोदय गोशाला बिल का पिछली दफा इस सदन में मैंने मोशन मूव किया था कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जावे। परन्तु इस सदन के ही बहुत से सदस्यों ने यह राय जाहिर की कि यह छोटा सा और सीधा सा बिल है और इसको राजस्थान की गोशालाओं के इम्पोर्टेन्स को देखते हुए सिलेक्ट कमेटी में न भेज कर सीधा सदन में ही ले लिया जावे। बहुतों की राय इस किस्म की जब मैंने देखी तो यह निश्चय किया कि इसमें रद्दो बदल किया जाय। इसलिये अब इस छोटे से बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की इच्छा नहीं है। तो मैं यह प्रस्ताव आपके द्वारा सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि मैं अपने इस प्रस्ताव को कि राजस्थान गोशाला विधेयक, १६५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे उसे वापिस लेने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूं।

Page No.44

श्री अध्यक्ष : यह है तो बहुत ही सिम्पल बिल।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : पर इससे काफी बातों पर उसके प्रबन्ध, नियमावली, कॉन्स्टिट्यूशन आदि पर असर पड़ने वाला है। इस दृष्टि से इसे सिलेक्ट कमेटी को देना ही ठीक रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): इसमें दो चार बातें जरूरी हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जल्दी हो तो दस दिन में नहीं एक दो दिन में ही इसको सिलेक्ट कमेटी से पास करवा कर यहां इसी सत्र में ले लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इसमें आपके नियम उप नियम बनेंगे। तो बहुत सी बातें नियमों पर निर्भर रहेंगी। अब इसमें यह है कि पिंजरापोल, गोशालाओं आदि में लोग चाहते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। अब इसमें सरकार अपने हाथ में यहां तक पॉवर ले रही है कि जुर्माना कर सकती है, हिसाब किताब ठीक मेन्टेन करने के आदेश हैं, कॉग्निजेन्स ऑफेन्स भी बताया गया है। मामला छोटा है, पर इसमें लोग सेवा भाव से काम करते हैं और सेवा का काम करने वाले लोग छोटे छोटे मामलों में सरकारी हस्तक्षेप को पसन्द नहीं करते। और आपने ठीक टाइम पर अकाउन्ट देने की बात इसमें रक्खी है अगर नहीं पेश करते हैं तो एक्शन लेने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में लिया है। तो इस तरह से हर जगह इस तरह के कानून नहीं लागू करने चाहिये। कानून इसलिये लाना चाहते हैं कि गोशालाओं में अव्यवस्था है, काम ठीक नहीं है, तो इसके ऊपर तो बहुत बारीकी से और समाज सेवा की भावना से इसमें काम करने वालों की दिक्कतों को देखते हुए विचार करना जरूरी है इसलिये इसको तो सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस बिल में १६ क्लॉजेज हैं। यह हो सकता है इसी सत्र में ले आवें। पर सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर यहां ज्यादा विचार नहीं हो सकता, वहीं हो सकता है। और आपका रुख जब सिलेक्ट कमेटी के साथ है तो हम भी इसी धोखे में रह गये और विचार नहीं कर पाये कि यह तो सिलेक्ट कमेटी में जाने को है पर आपकी इच्छा तो डोज करने की है। जैसी कि आपकी पुरानी आदत है।

श्री नाथूराम मिर्धा : डोज़ करने को आज भी इच्छा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो हमेशा की आदत है। हम तो धोखे में रह गये न फिर।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरा धोखे में रखने की मंशा नहीं है। ज्यादातर स्पीचें यहां जो हुई उनकी राय यही थी कि यह सिलेक्ट कमेटी में नहीं जाना चाहिये। यह प्रोसीडिंग्स उठा कर आप देख लीजिये

श्री अध्यक्ष : यह तो कभी कभी हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह : आपका ख्याल तो था पर विरोध किया। प्रश्न यह है कि इसकी आवश्यकता तो है कि इसको सिलेक्ट कमेटी

(श्री भैरोंसिंह)

में भेजा जावे। वह आवश्यकता आज भी है, कहीं चली नहीं गई। हाउस में एक दो माननीय सदस्यों ने विरोध किया तो मैं यह नहीं कहता नहीं विरोध किया। पर उनमें भी हो हो सकता है आज तक गुड सैन्स प्रिवेल हो गई हो और आज वे भी इसकी आवश्यकता महसूस करने लग गये हों। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप भेजना स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष : सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिये। ऐसी कोई जल्दी तो है नहीं इसमें।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसको भेजने में मुझे पहले भी कोई एतराज नहीं था। पर यहां इस पर दो दिन लगातार चर्चा हुई। पांच सात माननीय सदस्यों के भाषण भी हुए। सबने यही कहा कि छोटा सा बिल है इसे सिलेक्ट कमेटी में न भेजो, तो मैंने इसको समझ कर कि इतने उत्सुक हैं। इसको पास करने में तो मुझे कोई एतराज नहीं था और इसीलिये मैं इसको नहीं भेजने की बात आपसे कह रहा हूं। जयपुर, भरतपुर और धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्यों का भाषण मौजूद है और सब ने यही कहा कि न भेजा जावे। तो मैंने यह महसूस किया, चूंकि मैंने मना कर दिया है इसलिये ये यहां रखना चाहते हैं, वही बात आज आप कह रहे हैं, मैं यहां रखना चाहता हूं तो अब सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये इसका विरोध हो रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो आज अगर आपकी यह राय है कि यहां न लिया जाकर सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे तो मुझे इसमें एतराज नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : इसलिये इसको भेजा जाना ही ठीक है।

श्री अध्यक्ष : पर इसका भी तो विरोध हो गया।

सिलेक्ट कमेटी में भेज ही दीजिये।

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे। सूची माननीय मन्त्री बाद में दे देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो मैंने दे दी है आपको।

श्री अध्यक्ष : कुछ चेन्ज करना हो तो फाइनल कर लीजिये। प्रश्न यह है कि इस गोशाला विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

१०.८ म०पू०

राजस्थान बीज तथा बीज-पौध विधेयक, ५८

(प्रवर समिति को)

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सीड्स और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सीडलिंग्स बिल, १६५८ को विचारार्थ लिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : अब इसके बारे में थोड़ा बता दीजिये ताकि मालूम हो जावे ।

श्री नाथूराममिर्धा (कृषि मन्त्री) : ऐसा है कि हम राजस्थान में अच्छे किस्म की बीज का सिचुएशन सारे राजस्थान के एरियाज़ में करना चाहते हैं । परन्तु अच्छे बीज की अभी तक कमी है जिसकी वजह से हम राजस्थान में उन सारे बीजों को सारे स्थानों पर एक साथ सिचुएट नहीं कर पाये हैं। अब हम इलाकों में सुधरे हुए बीजों का सिचुएशन करना चाहते हैं उनमें अगर हमारे पास में वे शुद्ध तरीके का बीज हैं उन इलाकों में कायम नहीं रख पाये हैं और उनके मूवमेंट के बारे में, वितरण के बारे में कन्स्ट्रक्शन हमारे विभागीय तौर से नहीं रख पाते हैं तो इसमें वह पर्टिकुलर इलाकों में लाना चाहते हैं और इस तरह ये धीरे धीरे सारे राजस्थान में उसे फैलाना चाहते हैं । इसलिये यह छोटा सा कानून प्रस्तुत किया है । इसमें यह कहा है कि जिन इलाकों में अच्छे बीज का सिचुएशन करना चाहेंगे उनको हम नोटिफाई करेंगे ।

उन इलाकों को नोटिफाई करने के बाद में उन अच्छे बीजों को जो पैदा करने वाले हैं अपनी जमीनों पर और जो लोग उन बीजों को खरीदकर वितरण करने वाले हैं । उनकी जानकारी रख कर उसके बारे में उनको कृषि विभाग के जो ऑफिसर्स हैं वह उनको पर्टिकुलर तरह की डाइरेक्शन्स दे सकते हैं कि वह इस तरह से ज़मीन में बीज लगायें, इस तरह से उन बीजों का वितरण करें । यह सारी व्यवस्था है जो कि इस बिल की धाराओं में रखी गई हैं । इसके बारे में अगर कुछ अनियमिततायें होती हैं तो उसके हमने डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को यह पॉवर्स दी हैं कि वह प्रोसीक्यूशन करें, शिकायत करें और उस शिकायत के बारे में कोर्ट से जिस प्रकार का ऑफेन्स है । उस प्रकार की पेनल्टी इन कानूनों की धाराओं में दी हैं । यह छोटी सी मन्शा इस बिल में है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बीज तथा बीज-पौध विधेयक, १६५८ सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है । इसके संबंध में मेरा संशोधन है कि इसको प्रवरसमिति को सौंप दिया जाय । यह तो ठीक है और इसमें हम सब सहमत हैं कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे विशुद्ध और प्रमाणिक बीज और बीज पौध जनता को उपलब्ध हो सके । हम सब के सामने अधिक अन्न उपजाने का लक्ष्य है और उस में जनता और सरकार सब मिलकर के सहयोग करेंगे और अधिक अन्न हमारे अच्छे बीज और बीज पौध पर निर्भर करता है । लेकिन जिस रूप में यह विधेयक है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसको तुरन्त पेश नहीं कर के इस पर थोड़ा सोच विचार की आवश्यकता है । हम जानते हैं कि बीज और बीज पौध को देने की बात एक नया प्रयोग हमारे लिए होगा और उस नये प्रयोग की सफलता और विफलता का आगे चल कर के हमारे उत्पादन पर बहुत कुछ असर पड़ने वाला होगा । इसमें सबसे पहले लिखा है कि बीज राजस्थान राज्य के कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित होना चाहिए । अब

(डॉ० चन्द्रकला)

प्रश्न यह है कि हमारा कृषि-विभाग जिसको अनुमोदित करेगा वही बीज या बीज पौध उपयोग में लाया जा सकेगा। हम सब जानते हैं कि हमारे कृषि-विभाग ने अभी इतनी सफलता प्राप्त नहीं की है और वह अभी भी विकास की अवस्था में है। आज तक हमारे कृषि-विभाग ने इतनी प्रमाणिकता प्राप्त नहीं की है कि उसका बीज ही अनुमोदित हो सकता है वही प्रमाणित हो सकता है। आज हमारा कृषि-विभाग कई फॉर्म चलता है और वह सब जगह काम करता है लेकिन वहां के जो बीज और बीज पौध हैं वह जनता में लोकप्रिय नहीं हो सके हैं। जनता ने उनको नहीं अपनाया है और उसको नहीं अपनाने का खास कारण यही है कि जनता में अभी विश्वास पैदा नहीं हो सका है। कई जगह मुझे मालूम हुआ है और कल ही गंगानगर के कुछ आदमी थे। उनके साथ जब हम बात कर रहे थे तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करके हमारे लिए क्या करने जा रही है। उन्होंने दो चार उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि अभी जो गेहूं का बीज मिला था उसमें सात तरह के अनाज थे। उसमें चने का दाना था, जौ का दाना था। वह गेहूँ का बीज नहीं था बल्कि सतंजा का बीज था। इस तरह का वह सतंजा का बीज तो अनुमोदित माना जायेगा और किसान जो अपने पुराने अनुभवों द्वारा चुन चुन कर बीज रखेगा वह अनुमोदित नहीं होगा, सरकार उसको अनुमोदित नहीं करेगी। इसलिए वह घटिया हो जायेगा। इसलिए मुझे इस बात की आशंका है। इसके अलावा जो अभी बीज वितरण हुआ है। उसमें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से यह बात आई है कि जो शुद्ध बीज के नाम से बीज दिया गया है वह उतना शुद्ध नही निकला है। वैसे हम सब जानते हैं कि जो किसान खेती करता है वह बढ़िया से बढ़िया चोज बीज के लिए रखता है। जो सबसे अच्छा बीज के लिए अनाज हो सकता है उसको वह रखता है और सबसे बढ़िया पौध वह रखता है। क्योंकि उनको अनुभव होता है। उसके साथ ही हमारा कृषि-विभाग एग्रीकल्चर कॉलेज के ग्रेजुएट के आधार पर चलता है। जिनको केवल किताबी ज्ञान होता है और व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। और आगे चलकर किताबों के आधार पर चलकर उनके नियम बनेंगे और इससे उसका नियन्त्रण होगा। मुझे ऐसा भी बताया गया कि कभी २ यह बीज और बीज पौध जो सरकार द्वारा अनुमोदित होते हैं। वह इतने मंहगे होते हैं कि दूसरे बीज जो नर्सरी के निकलते हैं वह जितना सस्ता और अच्छा बीज देते हैं उसके मुकाबिले में हमारी सरकारी फॉर्म के बीज और बीज पौध वगैरह बहुत मंहगे होते हैं। दूसरे नर्सरी वगैरह से जो हम बीज और बीज पौध लेते हैं फूल और फल वगैरह के और उनको हम लगाते हैं तो एक तो वह सस्ते आते हैं और दूसरे जल्दी ही लग जाते हैं और वह जल्दी ही फल देने लगते हैं और हमारी सरकारी फॉर्म के बीज ऐसे बहुत कम तैयार होते हैं। हालांकि हम बढ़िया से बढ़िया सारी शक्ति लगाते हैं, बढ़िया खेती के औजार होते हैं, बढ़िया बैल और हल होते हैं और हमारे तथाकथित विशेषज्ञ होते हैं, अच्छी खाद डालते हैं, समय पर पानी की सुविधा है यह सब होते हुए भी आज तक कृषि विभाग ने अच्छा उत्पादन करके नहीं बताया है। यह रेकॉर्ड है कि जो कृषि के लिए

Page No.48

(डॉ० चन्द्रकला)

सरकारी फॉर्म हैं वह घाटे में चल रहे हैं, और उनमें एक कारण अच्छे बीज का भी नहीं होना होगा। तो उन्हीं फार्मों के आधार पर हम सारे प्रान्त की पैदावार को बढ़ाने की कल्पना करते हैं। हम यह चाहते हैं कि इन्हीं बातों को अपना कर के उत्पादन बढ़ाया जायेगा। यह कैसे सम्भव हो सकता है ? यह ठीक है कि सरकार ने योजना बनाई और इस योजना से हम सब सहमत हैं कि किसान को अच्छे से अच्छा बीज दें लेकिन जो तरीका इस विधेयक में अपनाया गया है। वह कतई ठीक नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि पहले तो किसी तारीख से अमुक क्षेत्र को ले लिया जायेगा उसके लिए तो यह सोचने की बात है कि किसी क्षेत्र को लिया जाये और कब से लिया जाये। यह मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि यदि कोई हमारा सबसे अक्षम्य विभाग है तो वह कृषि विभाग है। इसमें कोई प्रमाण की बात नहीं है। अगर हमारा यह विभाग सक्षम है तो वह बताये कि फॉर्म में घाटा क्यों होता है ? जब कि सारी सुविधायें उसको प्राप्त हैं ? वही चीज़ किसान को मिल जाती है तो किसान बहुत कुछ करके बता देता है। तो क्या कारण है कि हमारा कृषि विभाग उसको नहीं कर सकता है ? कृषि सहायक को अगर कुछ भी काम करना है तो नहीं कर सकेगा। वही अधिकारी बीज को अनुमोदित करेगा। तो यह तो हमारी समझ में नहीं आया और शासकीय प्रक्रिया की बात आती है तो जो कोई व्यक्ति अनुमोदित बीज का प्रयोग नहीं करेगा उसको १०० रुपये तक दण्ड दिया जायेगा। यह तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है आप उनको अच्छा बीज़ दीजिए, लेकिन इसके साथ ही साथ किसान को यह भी छूट होना ज़रूरी है कि वह चाहे तो आपका बीज ले। उसके अलावा जो नहीं लेना चाहते हैं उनको आप इसके लिए बाध्य करें, यह तो समझ में नहीं आता। किसान के ऊपर १०० रुपये दण्ड करने का क्या मतलब होता है ? यह हमारी सरकार अच्छी तरह से नहीं समझती है। दूसरी बात यह है कि हम सब देखते हैं कि सरकार का जो बीज़ आया है और सदन में मंजूर किया गया है कि पंजाब से जो बीज़ आया है उसकी प्योरिटी ६० पर्सेंट रही है। उसकी सेन्ट पर्सेन्ट प्रायोरिटी नहीं रह सकी है। जिससे अगली फसल से गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन जब उसमें कोई आपत्ति उठायेगा तो उसको ५०० रुपये तक दण्ड दिया जायेगा....

तो दण्ड देने से ही काम नहीं चलता है। मैं तो सरकार को यह बताना चाहती हूं कि यह सब काम सहयोग से चल सकता है। एक दूसरे के प्रति सद्भावना से चल सकता है। ऐसा कानून बना देने से और कानून के मुताबिक बीज और बीज पौध बोना पड़ेगा तो इससे जबरदस्ती उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इससे किसान को कोई प्रोत्साहन मिलने वाला नहीं है। आज आपके विभाग के सहयोग को लें तो डाइरेक्टर इस बात का कन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है।

एक तो इसमें जो शास्तियां और प्रक्रिया लिखी हुई है इनको सोचने की जरूरत है। हमारी सरकार को क्या इस तरह की शास्तियां रखनी चाहिये ? क्या किसान पर कानून लागू किया जा सकता है उस स्थिति में जब कि किसान कानून से परिचित नहीं होता है ? कानून बन गया और गज़ट में निकल गया। नियम बन गये और नियम

(डॉ० चन्द्रकला)

बनकर लिखे हुए एग्रीकल्चरल अधिकारियों के पास जायेंगे। उनको कुछ ही पढे लिखे शिक्षित किसान समझेंगे और बाकी किसान समझेंगे नहीं। नहीं समझने के बाद उलझन खड़ी होगी। वे पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए उनको काम में नहीं ला सकेंगे। कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित बीज़ लाना पड़ेगा। तो शास्तियों और प्रक्रिया के बारे में सोच विचार करने की आवश्यकता है।

यह इस सब के होने के साथ साथ "दावे अथवा अन्य वैध कार्यवाही पर रोक" यह धारा जो है इसमें जिस बात का सरकार विधि विधान करने जा रही है वह सचमुच में ही विचारणीय है। इसमें कहा गया है :

"इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत, ऐसी कोई बात जो सद्भाव से की गई हो" तो 'सद्भाव' शब्द ऐसा, इतना बड़ा बहुरूपिया है, बहुरंगी है कि चाहे जो अर्थ लगा लें, चाहे जो रूप उसका निकाल लें। आगे है

"जो सद्भाव से की गई हो या जिसका सद्भावना से किया जाना अभिप्रेत हो :

किसी तरह से यह सिद्ध कर दें कि वह सद्भावना से किया गया था। किसानों की हालत ऐसी है कि समय पर बीज नहीं मिला तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। समय पर बीज मिलना चाहिये, पौध मिलना चाहिये। जुताई का समय चूक जाता है। गलती अधिकारी करें कि बीज समय पर नहीं देंगे, लेकिन वह कह देंगे कि चूंकि यह सद्भावना से किया गया था या सद्भावना से अभिप्रेत है तो उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। लोक-सेवकों पर मेहरबानी क्यों नहीं करते हैं। अगर करना चाहते हैं तो सब को छूट दें। मान लें सद्भावना से किसान ने गलती की है और सद्भावना से ही लोक सेवक या पब्लिक सर्वेन्ट ने गलती की है तो उसी बात के लिए एक जगह छूट देते है और दूसरी जगह छूट नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार को बताना चाहती हूं कि बीज और बीज पौध का सवाल कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। यह बहुत बड़ा सवाल है। कृषि हमारा मूलभूत उद्योग है कृषि हमारा महान् लक्ष्य अन्न उत्पादन का है, जिसके साथ जनता और सरकार का संबंध व्यापक रूप से है, जिसमें हम सारी शक्ति लगा रहे हैं और जिसके लिए हम बड़े प्रयत्नशील हैं। उस तरह के कार्यक्रम पर यह विधेयक पर असर डालने वाला है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य कानून बनाना नहीं है। कानून ही आखिर हमारा लक्ष्य नहीं है, कानून चाहे कुछ पास कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने लक्ष्य इस कानून के जरिये अच्छे से अच्छे बीज देकर उत्पादन को बढ़ाना है। तो मेरी मान्यता है कि जिस तरह का विधेयक अभी है, जिस तरह की धारायें इसमें है, जिस तरह का विधि विधान हम करने जा रहे हैं तो उससे हम उस लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकेंगे, क्योंकि बीज का संबंध केवल सरकार से ही नहीं है। सरकार दे सकती है, सरकार अनुमोदित कर सकती है, सर्टिफाई कर सकती है, उसके बारे में मेरी आशंका है, और मेरी आशंका, मैं सोचती हूं, सरकार महसूस करेगी। सर्टिफाई करने वाले कि अच्छा बीज है या नहीं, प्रमाणित करने वाले, अनुमोदित करने वाले जो हमारे सरकारी

Page No.50

(डॉ० चन्द्रकला)

अधिकारी हैं उनको ज्ञान वास्तव में किसी व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर नहीं है । उनको केवल सैद्धान्तिक ज्ञान है । किताबी ज्ञान है । कक्षा में दिया हुआ ज्ञान है । उनको प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं है जो कि अनुमोदित करने वाले हैं । जो कि अनुमोदित करेंगे, प्रमाणित करेंगे वे व्यक्ति ऐसे हैं, जिनको कि उनको कार्य रूप में परिणित करना है, जो किसान खेती करने वाले हैं वे उससे सहमत हैं उसकी परवाह नहीं । ऐसी दशा में कानून आयेगा तो कानून का उन पर प्रभाव पड़ने वाला है । जहां तक यह आयोजन है,

प्रावधान है अच्छे से अच्छे बीज और बीज पौध देने का वहां तक तो इसका विरोध नहीं है । विधेयक होना चाहिये, लेकिन विधेयक की धारायें इस तरह की होनी चाहिये जो अधिक से अधिक हमारे लक्ष्य के निकट पहुँच सकती हैं । जो प्रस्तुत विधेयक है उसमे अपना लक्ष्य पूरा होता नहीं दिखाई पड़ता है । इसलिए मेरा यह संशोधन है, यह प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति में रखा जाय । ताकि अच्छी तरह से सोच विचार कर किया जाय । हमारा उद्देश्य है इससे पहले थोड़े से क्षेत्र में लागू किया जाय । किसी क्षेत्र से लागू करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से किसी छोटे क्षेत्र से लागू किया जाय । जब छोटे क्षेत्र से लागू हो तो सज़ा देनेकी जरूरत नहीं है । इस प्रावधान में इतने बड़े दण्ड, १००) रु० और ५००) रु० के रखे हैं । ऐसी बातें उस समय होनी चाहिये या उसमें होनी चाहिये जो कि पूरा प्रान्त व्यापी हो । एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं और वहां पर इस तरह का दण्ड विधान हो तो ठीक है । जिस दिन हम छोटे क्षेत्र में किए हुए प्रयोग में सफल हो जांय उस दिन राजस्थान भर में लागू कर दिया जाय । कोई एक जगह सफल हो चुके हो तो अधिकार के साथ कह सकते हैं । कोई अधिकृत ऐसा प्रमाण होगा तब चाहे दण्ड विधान ऐसा कर सकते है, क्योंकि वह दण्ड विधान होगा वह सचमुच हमारे अच्छे के लिये होगा, कृषकों की अच्छाई के लिये होगा, लेकिन सीमित क्षेत्र की बात को लेकर इस तरह से करेंगे तो प्रयोग सफल नहीं होने वाला है । इन सब दृष्टियों से मैंने यह प्रस्ताव रखा है । आशा है मन्त्री महोदय उस पर विचार करेंगे और विचार करके इस विधेयक को प्रवर समिति में देने का निश्चय करेंगे ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सीड्स और सीडलिंग्स के पूरे बिल का विरोध करता हूँ और इसका भी विरोध करता हूँ कि यह बिल प्रवर समिति को भेजा जाय, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है । यह कैसे मालूम हुआ क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ रीज़न्स में कतई नहीं है, गवर्नमेंट को महसूस कब हुआ कि आज तक राजस्थान के काश्तकारों के ज़रिये अच्छा बीज नहीं बोया जा रहा है, क्योंकि यह चीज़ कतई स्टेटमेंट ऑफ रीजन्स में नहीं दी हुई है, और राजस्थान के काश्तकारों द्वारा जो काश्त हुई है उस काश्त से गवर्नमेंट को ऐसा अनुभव हुआ हो कि गलत तरीके से सीड या खराब बीज के अन्न से उपज कम हो रही है । अगर ऐसा होता तो ऐसा माना जा सकता था । आज तक हमारे किसी डिस्ट्रिक्ट से ऐसी कोई शिकायत नहीं है, बल्कि शिकायत तो इस बात की है कि गवर्न–

Page No.51

(श्री मदनसिंह)

मेंट द्वारा जो बीज दिया गया है, जितना गवर्नमेंट ने एप्रूव करके बीज दिया है, वह बीज रद्दी रहा है, क्योंकि किसान स्वेच्छा से जो बीज रखते हैं वह अच्छा बीज रखते हैं। एक जगह का काश्तकार जो वाजिब समझता है कि वह बीज अच्छा है तो वह उस बीज को रखता है। इसलिए स्टेटमेंट ऑफ रीज़न्स में ऐसी बात आती तो समझा जा सकता था कि राजस्थान में ऐसे ऐसे इलाकों में जहां स्वेच्छा से, अपने तरीके से जो बीज बोया गया है उस बीज के अन्दर खेती कम हुई है, तब भी हम मान सकते थे। परन्तु बात इसके विपरीत है। जहां सरकार का बीज वितरण हुआ है, जहां जहां गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नियुक्त हुए हैं उनको अभी तक राजस्थान में काश्तकारों को खेती के संबंध में जो अनुभव है उसका पासंग भी उनको नही है। अध्यक्ष महोदय, आजसे एक महीने की बात है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक मीटिंग के अन्दर एग्रीकलचर ऑफिसर से काश्तकार विवाद कर रहे थे कि कौन कौन सा बाजरी का बीज अच्छा होता है। वह कौन सी जमीन में होना चाहिए। तो उन्होंने किसानों से कहा कि मैं यहां इस-लिए नहीं आया हूं। मैं तो आप लोगों से मदद चाहता हूं कि आप मुझे बतायें कि कौन सा बीज कहां पर अच्छा लग सकता है। मैं काश्तकार नहीं हूं। यहां के राजस्थान के एग्रीक्लचर ऑफिसर्स की यह हालत है। गावों में जाकर ऐसे भाषण देते हैं वहां एक तरह से खींचतानी हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप एग्रीकलचर ऑफिसर है और आप इस तरह से काश्तकारों से कह रहे थे कि मुझे पता नहीं कॉलेज में पढ़ा हूं, किताबें देखी हैं। खेती और बीज के जानने वाले तो आप हैं। इस तरह की दशा है वहां इस दशा में गवर्नमेंट की तरफ से कौन देखेगा कि बीज कैसा है। इस दशा में जिस किसी को सजा दिलाना चाहेंगे उसको सजा देंगे। पटवारी की रिपोर्ट की आप बात कह रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का केन्द्र फिर खोलने जा रहे हैं। इसके जरिये उलझा रहे हैं किसानों को। क्या राजस्थान का किसान जानता नहीं है कि कौन सा बीज कहां बोना चाहिए इसलिए गवर्नमेंट का बीज बोया जाय। मुझे डर है कि काश्तकारों और किसानों के पीछे जो रुख है वह ऐसा हो रहा है कि राजस्थान का किसान अब सोच चुका है कि हर तरह से अब खेती के अन्दर कोई फायदा नहीं रह गया है जहां कि कम से कम बीज भी स्वेच्छा से नहीं ले सकते हैं। जिस किसान से लगान लेते हैं तो क्या अधिकार है, आपको कि उसको इस तरह से कानून के जरिये मज़बूर किया जाय कि अमुक अमुक बीज ही लगा सकतेहैं। मैं समझता हूं कि मजबूरी जब हो सकतीहै जब लगान न लिया जाय। आज राजस्थान में लगान बन्द हो जाता तो मैं मानता हूं कि सरकार को कानून बनाना चाहिये जिससे काश्तकार को जबरन कह सकते हैं कि फलाना बीज बोना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि शायद राजस्थान सरकार अब यह कहने लग जायगी कि अमुक तरह का हल अमुक हाथ से चलना चाहिए, अमुक बैल के ज़रिये चलना चाहिए, अगर ऐसा न होगा तो ५०० रुपये जुर्माना हो जायगा। मैं समझता हूं इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसी कोई शिकायत नही आई है। शिकायत उल्टी आई है कि राजस्थान में जो बीज वितरण हुआ है, वह गलत हुआ है, खराब हुआ है और वह बीज अभी तक पड़ा हुआ है।

(श्री मदनसिंह)

विधान सभा में सैकड़ों दफा शिकायत और सवाल आये हैं कि सीकर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट अन्य जगह सरकारी ऑफिसर्स ने जो बीज दिया था, वह खराब बीज था, गलत बीज था, उससे अधिक अनाज की पैदा नहीं हुई। इसके विपरीत स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में दिया जाता है कि अनाज की अधिक पैदावार के लिए अच्छा बीज देंगे। मैं, अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं कि अच्छा बीज देंगे कहां से? यह अच्छा बीज लाते कहां से? यदि कोई यहां मिनिस्ट्रीयल लेवल पर खेती हो और यहां से बीज वितरण हो। वे स्वयं पैदा करें बीज को, उसी बीज को काश्तकारों से लेते हैं और उन्हीं को देते हैं। मैं समझता हूं कि इससे एक नई चीज काश्तकारों के दिमाग में पैदा होगी। काश्तकार यह समझेंगे कि हम हमारे ढंग से खेती कर रहे थे, उस ढंग से अच्छी उपज हो रही थी, उसमें हस्तक्षेप करके, नया कानून बना कर उसे काश्तकारों पर लगाया जाता है, उसके अनुसार मैं समझता हूं कि अपने ढंग से अच्छे और अधिक अनाज की पैदा होते हुए भी उन पर ५०० रुपये जुर्माना १०० रुपये का जुर्माना और ५० रुपये का जुर्माना किया जायगा, और एक दो महीने की कमाई गलत बीज की पैदावार करने के कारण उसे देनी पड़ेगी। इधर आप राजा, महाराजा और जागीरदारों की बात करते हैं कि उनके जमाने में बड़ा अत्याचार था, वे चाहे जैसी सजा दे देते थे। मैं समझता हूं कि आज तक ऐसा कोई राजा महाराजा नहीं हुआ जिससे काश्तकार को फोर्स किया हो कि अमुक तरह का बीज लगाओ। मैं समझता हूं कि किसी बनिया या महाजन का बीज़ पड़ा है, उसे बेचना है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर देगी कि अमुक बीज़ को काम में लेना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे सरकार पूंजीपतियों को प्रोत्साहन दे रही है, इनके हाथ में जैसा बीज़ होगा, वह जबरदस्ती काश्तकार को खरीदना पड़ेगा, अन्यथा, मैं समझता हूँ काश्तकार अच्छे जानने वाले होते हैं बीज के संबंध में, अपने खेत आदि के बारे में, वे इतना बीज अपने पास रख लेते हैं कि उन्हें किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े। डेवेलपमेंट ब्लॉक्स की तरफ से बीज वितरण हुआ, उसकी नये काश्तकारों ने भिक्षा मांगी है अन्यथा जो रेग्युलर काश्तकार हैं, जिसने काश्त की है, जिसकी पीढ़ियां काश्त में बीती हैं, वे काश्तकार आज तक किसी से बीज मांगने नहीं गये हैं, वे खेती में मस्त हैं। आज यह प्रश्न उठा है काश्तकार खेती कर रहे हैं, एक मनमाने ढंग से खेती करने पर और बीज लगाने पर भी अगर उनकी फसल अच्छी हो गई तो उसे १०० रु०, ५० रुपए जुर्माना देना होगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो बीज दिया गया है, उससे कम अनाज उपजा है,और जो काश्तकार ने स्वेच्छा से बीज लगाया है,उससे अधिक अनाज पैदा हो गया है तो भी ५० रुपये जुर्माना देना होगा। इसका मतलब यह है कि जो अधिक अनाज उपजाता है और अधिक अनाज राष्ट्र को देता है, उसको ५०० रुपये जुर्माना देना होगा। यह कौनसा रूल हुआ? यह तो बादशाहों के जमाने की चीज हुई कि इस तरह की कार्यवाही करो, इसका रिजल्ट अच्छा हो या न हो, अगर नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। मैं यह समझता हूं कि यह प्रजातन्त्र का कानून तो है नहीं। मैं समझता हूँ कि इस तरह का कानून कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए लगाया जाता तो मैं एग्री कर जाता।

Page No.53

(श्री मदनसिंह)

क्योंकि वहां घास फूस बोया जाता है, चाहे जैसा वे बीज बोयें, चाहे जैसे बीज बो दें। कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिये इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेते हैं तो मैं विरोध नहीं करता। परन्तु इन्डिविजुअल काश्तकार पर लगाते हैं जिसकी अपनी जमीन है, अपना बैल और अपनी खेती की उपज उसके पास आती है, उसके लिये इस तरह कानून लगाते हैं। तो मैं समझता हूं कि उनके ऊपर जुल्म करके उनकी काश्त छीनना है। मैं समझता हूं जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है वह राजस्थान में फ्लोर हो गई है, इसलिये कल बीड़ और जोड़ छीने गये हैं, और अब गरीब काश्तकारों की खेती छीनेंगे। मैं समझता हूँ यह न्यायसंगत नहीं होगा। जहां जहां गवर्नमेंट ने बीज वितरण किया है, उसकी खिलाफत काफी हुई है कि सच्चा बीज नहीं था और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की और कलेक्टर की रिपोर्ट है कि जिस जिस गांव में बीज वितरण हुआ है, वह कामयाब नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने खुद के खेत की मिसाल दी...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उनके खेत में कुछ पैदा होता नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़):क्या हो गया? चूंकि सरकार से बीज लिया, वह बीज इतना गन्दा था कि उससे कुछ पैदा नहीं हुआ, जहां इस प्रकार...

श्री होतीलाल (भरतपुर) : बीज गन्दा था या जमीन खराब थी?

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं कि जो बीज वितरण हुआ, पर समय पर नहीं हुआ। किसानों की कौनसी जमीन पर कौनसा बीज देना चाहिये, इसका ख्याल नहीं रखा। इसके अलावा, मैं समझता हूं कि बीज उनके द्वारा दिया जायगा, जो जानते नहीं कि खेती कैसे होती है, जिन्होंने आज तक खेती की नहीं। उन लोगों को अधिकार देंगे, मैं समझता हूँ कि ऐसा कानून बनायेंगे तो इस कानून से भ्रष्टाचार होगा, जिसकी मर्जी आयेगी, उसके मालिक करेंगे। अगर किसी ने अधिक अनाज पैदा किया, अच्छी खेती कर ली तो उस पर इल्जाम लगायेंगे कि तुमने दो हजार मन अनाज पैदा कर लिया है लेकिन सरकारी बीज नहीं लगाया है, इसलिये यह दंड दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह प्रजातान्त्रिक ढंग का कानून नहीं है। जहां पुलिस के अत्याचार होते हैं, वहां उनके लिये कानून नहीं है कि अगर पुलिस कर्मचारी अत्याचार करेगा तो उस पर ५०० रु० जुर्माना होगा। जिसके द्वारा हमारी बहिन बेटियों पर अत्याचार होते हैं, उनके लिये कानून नहीं हैं। ऐसा कानून राजा महाराजाओं के जमाने में भी नहीं था। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। सलेक्ट कमेटी में जा कर कोई बीज अच्छा नहीं हो जायगा, ठीक ढंग से कोई उत्पादन नहीं होगा, सलेक्ट कमेटी में ज्यादा से ज्यादा कानूनी बातों पर विचार हो सकता है। इसलिये मैं पूरे बिल का विरोध करता हूं कि इस प्रकार का कानून नहीं होना चाहिये क्योंकि इससे यह बात पैदा होगी कि जो अच्छी से अच्छी खेती करेगा और उसकी किसी रेवेन्यू ऑफिसर से खटपट हुई, या किसी तरह कोई अधिकारी सोचे कि फलां काश्तकार को तंग करना है तो वह फौरन शिकायत कर देगा और उस पर ५०० रु०,

(श्री मदनसिंह)

१०० रु० या ५० रु० जुर्माना हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार धीरे २ काश्तकारों के साथ अन्याय कर रही है इस तरह के कानून बना कर। मैं कहता हूँ कि यह कहां तक वाजिब है कि काश्तकार अपनी जमीन का मालिक होते हुए भी अपने ढंग से खेती नहीं कर सकता, अपना बीज़ नहीं लगा सकता, जो आदमी वर्षों से बीज लगाता आ रहा है, जो आदमी गवर्नमेंट को लगान दे रहा है, उस किसान के लिये ऐसा कानून बना रहे हैं। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बीज और बीज पौधे विधेयक, १६५८ विचारार्थ प्रस्तुत है और उस पर एक संशोधन प्रस्ताव है, उसके विरोध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज इस वैज्ञानिक युग में यदि हम यह सोचने लगें कि अगर अच्छा बीज काम में लेंगे तो खेत में पैदावार कम होगी या अच्छी फसल नहीं होगी। ये इस प्रकार की बातें हैं कि हम प्रगति से मुख मोड़ना चाहते हैं। समझ में नहीं आता कि जिस प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति दुनिया में हो रही है उससे राजस्थान जैसे कृषि प्रधान देश के लिए लाभ क्यों न लिया जाय। यह सत्य है कि आज अपने देश की पैदावार है वह काफी गिरी हुई है बनिस्बत दूसरे देशों के। उसके कुछ कारण हैं, उन कारणों पर, अपने वैज्ञानिक लोगों ने इस बात की खोज की कि आखिर अपने यहां पैदावार है वह किन कारणों से कम है। मैं जहां तक समझता हूं, उसके तीन चार कारण हो सकते हैं, एक अच्छी खाद की कमी है, अच्छे बीज की कमी है और दूसरे कुछ साधनों की कमी है। इन सारी कमियों को दूर किस प्रकार से किया जाय। आज सवाल यह नहीं है कि अगर जमीन है और किसान का खेत है तो उस पर मन माफिक जुताई करें, अगर नहीं चाहे तो नहीं जाते, और वह जमीन बंजर पड़ी रहे, यह आज बरदास्त करने वाली बात नहीं है। आज यह लाजिमी है कि अच्छा बीज़ हो, अच्छे बीज़ की पैदावार हो और वह उन इलाकों में बोया जाय, सिलेक्टेड क्षेत्र में उस बीज को बोया जाय और अगर कोई गड़बड़ी करता है, या खराब बीज़ बोया जाता है तो हो सकता है कि जिस वक्त वह अनाज मंडी में जायगा, तो उस बीज की क्वालिटी में खराबी आ सकती है . . .

लेकिन मौजूदा कानून जो सदन के सामने विचारार्थ है उसमें कुछ खामियां हैं और उन खामियों पर हमें, क्योंकि यह एक छोटा सा बिल है अगर सदन में यहीं विचार करें तो अत्युत्तम होगा। इसमें कोई ऐसे विवादग्रस्त प्रश्न नहीं हैं। केवल एक ही ऐसा विवादग्रस्त प्रश्न है कि सरकारी कर्मचारियों में लोक सेवक को माना है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती इस सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है, मैं इसके लिये एक नजीर देना चाहता हूं। अपने यहां से राजस्थान सरकार द्वारा अच्छे बीज़ के वितरण की व्यवस्था की गई थी, ५५-५६ में हमारे यहां बड़ा भारी घोटाला हुआ था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से २२ हज़ार रुपये का अच्छा गेहूं खरीदने की व्यवस्था सरकार की तरफ से फील्डमैन के द्वारा की गई थी। अगर उसको खरीदना था तो कृषकों के पास से खरीदता पर उसने कृषकों से न खरीद कर व्यापारियों से गेहूं

(डॉ० बहादुरसिंह)

खरीदा और स्टोर में भर दिया। काफी कम्प्लेन्ट्स हुई थीं। यहां तक कि बोटेनिस्ट वहां गया, उसने जांच की, एन्क्वायरी हुई तो उसको काफी दबाया गया। राजस्थान सरकार चाहती है कि अच्छा बीज़ बोया जाय, और उससे किसानों को काफी पैसा मिले। सरकार मार्केट रेट से एक दो रुपया ज्यादा दे कर अनाज़ खरीदती है पर जब राजस्थान सरकार खरीदती है तो सरकारी अधिकारी जो कृषकों से अनाज़ नहीं खरीदते तो उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी इस बिल में कुछ न कुछ प्रावधान होना आवश्यक है।

तो अन्त में मैं यही कहूंगा कि सरकारी अधिकारियों के लिये भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाय और इस साधारण से बिल पर यही विचार करना चाहिये। इसमें जो खामियां हैं उनके लिये ऐसी व्यवस्था कर दी जानी चाहिये कि यदि सरकारी अधिकारी अच्छे बीज़ की खरीद में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ अमुक २ प्रकार की कार्यवाही की जा कर उसे अमुक अमुक दण्ड दिया जावेगा। तो इन सब बातों पर यहां सदन में विचार कर लेना चाहिये, मैं समझता हूँ इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नही।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा प्रश्न है। जहां तक इसको पारित करने का प्रश्न है मैं तो यह आवश्यक नहीं समझता कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज कर इसको तय करना चाहिये। मेरा निवेदन है कि पचास पचास पर्सेंट दोनों तरफ से मिस-अन्डर स्टेन्डिंग हो रही है। किसान से जुर्माना लेने का जो प्रावधान रखा गया है वह मेरे विचार से कतई नहीं होना चाहिये। ऐसे मामलों में कानून बना कर प्रश्न उठाना उचित नहीं है क्योंकि दण्ड देने का ऐसा कड़ा कदम उठाया जाय उससे जनता को और काश्तकारों को ऐज्युकेटेड करने की आवश्यकता है।

अब तक एग्रीकल्चरिस्ट्स और एग्रीकल्चर की तरक्की का काम मेल्टिंग पोट में है। अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि कौनसा बीज़ कहां के लिये अच्छा है अभी तक काश्तकार ही इस मामले में हर एक चीज़ के लिये ज्यादा जानकार हैं बनिस्बत नये निकले हुए स्टुडेन्ट्स के।

हर एक तहसील में या बी. डी. ओ. के क्षेत्र में हर जगह से बराबर यह प्रश्न आता रहता है कि किस जगह कौनसा बीज़ बोया जाय। मुझे मालूम है कि जिस प्रकार दूसरे उपजाऊ प्रान्तों में जहां की उत्पादक सोइल है वहां यू. पी. और पंजाब के इलाकों में सारे के सारे इलाके में बराबर एक ही तरह की ज़मीन और एक ही तरह का हिसाब रहता है। पर हमारे यहां राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट की बात जाने दीजिये, तहसील की बात भी जाने दीजिये एक गांव में ही कई तरह की ज़मीन मिलेगी और वहां काश्तकार खुद अपना अन्दाज कर लेता है कि यह ज़मीन थोड़ी सख्त है यहां किस प्रकार का बीज़ बोना चाहिये, यह ज़मीन अधबिचली ज़मीन है न

Page No.56

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

सख्त है और न नरम है यहां किस प्रकार का बीज बोना चाहिये और यह ज़मीन बालू की है, यहां इस प्रकार का बीज बोना चाहिये तो वहां काश्तकार को छूट होनी चाहिये इस बात की कि अपनी जरूरत के माफिक बीज ले ले। मैं तो कृषि मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि उनसे छुपा हुआ नहीं है, यह प्रश्न कृषि डिपार्टमेंट से उठा और यहां भेजा गया है तो वे खुद अपने हृदय से सोच कर देखें कि इस प्रकार का बीज किसी काश्तकार पर थोपना कहां तक वाज़िब होगा क्योंकि आपके सरकारी अधिकारियों को कर्मचारियों को इस बात का कतई पता नहीं है कि कौनसा बीज किस जगह बोना चाहिये।

पहले बोहरों के यहां से बीज़ लिया जाता या बाजरा काट कर जिसको अनाज भेजा गया वहीं से आ गया, बारानी से आया वह बोहरे को दे दिया तो कहां तक साठिया बाजरा जो केवल ६० दिन में आ जाता है और कहां आरडू बाजरा जो साढ़े तीन महीने लेता है तो साठिये बाजरे को आरडू की जगह और आरडू बाजरे को साठिये की जगह बोने से एक बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जायगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जुदा जुदा जगह जुदा जुदा बीज़ का प्रावधान नहीं हुआ तो बड़ी भारी दिक्कत आयेगी। इसके लिये प्यूनिटिव एक्शन लेना, जुर्माना करना अनुचित होगा इससे लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि किसान लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस ज़मीन में किस तरह का बीज़ बोना चाहिये और अच्छे किसान अच्छे बीज़ को तूंबियों में बन्द कर के रखते थे कि बीज़ को सर्दी नहीं पहुँचे, बहुत से बीज़ को राख में, पानी में रखते थे तो वे जो बीज़ को रखने का तरीका जानते हैं, उन चीज़ों को जानने के लिये आज के एक्सपर्ट्स को समय लगेगा।

किसान लोग अच्छा बीज़ रखते हैं और अच्छे बीज़ को भी जब अपने कुटुम्ब के भरण पोषण का प्रश्न आता है अपनी जीवन रक्षा का प्रश्न आता है तो कहतसाली वक्त में उस बीज़ को खाते थे। तो मैं यह कहूंगा कि इसके लिये एक छोटा सा हिस्सा कायम कर लिया जाय और पीस मील में इस बीज़ को काम में लिया जाय कि कहां कितना फायदा होता है। जैसे गवर्नमेंट के फार्म्स के के अन्दर एग्रीकल्चरल वेजेज हैं, उनके फार्म्स अन्दर बहुत अच्छे तरीके पर बीज लगाया जाय और वह बीज अगर उम्दा तरीके से लगा हुआ होगा उससे अच्छी पैदायश होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो काश्तकार स्वयं ही उस बीज की मांग करेगा, क्योंकि काश्तकार नकल करने में सबसे ज्यादा पेशेवार और होशियार है। काश्तकार नकल करने में सबसे जबर्दस्त होते हैं। अगर वह देखेगा कि उसकी चीज़ में कोई कसर रह गई है और अच्छी चीज़ का प्रबन्ध किया गया है तो वह बिना किसी उपदेश के अपने आप नकल कर लेगा और इससे जो चीज़ पैदा होगी वह ज्यादा अच्छी रहेगी। यह चीज तो अभी मेल्टिंग पोट में है और इसमें काफी समय लगेगा। काश्तकार बहुत जल्दी बिना किसी ट्रेनिंग के पकड़ लेंगे। इसलिये मेरे ख्याल से इसको न तो सिलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत है क्योंकि इसमें समय लगेगा और इसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है। किसान ऐसा ठीक नहीं समझेंगे। कई दफा ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बीज़ दिया जाता है

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

और अच्छे बीज कह कर दिये जाते हैं। वह क्या करता है कि वह अच्छे बीजों को जो उसके पास होते हैं अच्छे समझता है और जो सरकार की तरफ से दिये जाते हैं उनको खाने के काम में लेता है और उनको खत्म करता है। उसके लिये समय पर ही लाता है और समय पर ही पाता है। इसके लिये शीघ्रता नहीं की जावे। काश्तकार जितनी पार्टी हैं उसको फील करता है। ऐसा प्रश्न पैदा नहीं करना चाहिये जिससे वे चमक जावें। अगर एक दफा चमका देंगे तो लाभ के बजाय हानि ज्यादा होने की संभावना है। इसलिये जुर्माना जो रखा जाता है वह कतई नहीं होना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, यह कानून कहां तक पहुँच रहा है। एक बहुत छोटा सा सवाल है और अगर आप यह चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच में सम्बन्ध हैं उनको स्थापित करने के लिये कानून बनाये जावें, समाज में जो व्यवस्था कायम होनी चाहिये उसको कायम करने के लिये कानून बनाये जाते हैं, समाज में उन्नति करने के लिये कानून बनाते हैं। आप कानून बनाते बनाते राजस्थान की भूमि में जहां ८० प्रतिशत काश्तकार हैं जिनका जीवन काश्तकारी पर निर्भर है, जो अपना जीवन का सारा समय काश्त करने में ही गुजराते हैं, आपने कानून बना कर उनकी दशा को सुधारने का प्रयास किया है वह दशा सुधर नहीं सकी है। आपने यह कानून पास किया कि अफीम बन्द किया जावे और सारे राजस्थान में ओपियम को बन्द किया है, मगर आपने उसके साथ में यह भी क्लॉज़ रखी कि जो लोग अफीम के आदि हैं वह डॉक्टर से सर्टिफिकेट प्राप्त करके अफीम ले सकता है। मैंने अपनी तहसील में देखा कि जो कोई भी व्यक्ति अफीम का परमिट लेना चाहता है वह डॉक्टर से मिल कर कुछ रुपया उसको देकर परमिट हासिल कर सकता है कि मुझे अफीम लेना लाज़िमी है और न लेने से जीवन का खतरा है। तो मैं समझता हूँ कि हजारों रुपया इन डॉक्टरों ने काश्तकारों से लिया और इस बात के लिये कि गांव के रहने वालों की यह आदत पड़ गई है कि वे बिना अफीम के जी नहीं सकते। आपके कानून की यह मंशा नहीं होनी चाहिये। किसी काश्तकार को कहा जावे कि तेरे खेत में अच्छा बीज मिलेगा तो मैं यह कहूंगा कि कोई बद-किस्मत काश्तकार होगा जो यह कहेगा कि वह अच्छा बीज लेने से इनकार करेगा। जब उसको अच्छा बीज मिलता है तो वह यह सोचता है कि तमाम दिन मेहनत करने के बाद अगर उसको अच्छा बीज मिलता है तो वह उसको बोता है। किसान की मन्शा यह नहीं है कि छोटी २ बातों पर उसके लिये कानून बनाया जावे। अगर आप इस प्रकार का कानून बनायें कि सीधा चलना चाहिये। आदमी खुद समझता है कि तन्दुरस्ती के लिये सीधा चलना चाहिये। अगर आप छोटी छोटी बातों के लिये कानून बनाने लगेंगे तो इसका क्या असर होगा। उसका कोई असर नहीं होगा। आपने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स कानून पास किया। आपने सीमा निर्धारित की। छोटे छोटे काश्तकार इसके लिये कि उनको इन्कम टैक्स अधिकारी के पास कागज़ भेजने हैं एक एक काश्तकार वकील के पास जाता है। हर वकील उनसे ३०, ३५ रु० चार्ज करता है। इस तरह से इन्कम टैक्स लागू होने से हर काश्तकार अपने कागज लेकर वकीलों के पास जाता है और अपने ३०, या ४०) वकील को

(श्री मूलचन्द डागा)

भेंट करके आता है। इस तरह से आप छोटी छोटी बातों पर कानून बनाते हैं उसका मतलब यह कि हमारा समाज जागरूक नहीं है और हम सारी व्यवस्था कानून के ज़रिये उन पर लादना चाहते हैं।

१०.५७ म० पू०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

अभी हमने यह देखा है कि २५ हजार रुपये सरकार ने इसलिये रखे हैं कि सरकार की तरफ से इस बात का प्रचार हो कि लोग शराब न पीवें। आप प्रचार करें यह अच्छी बात है। आप लोगों को बीज़ अच्छे देना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि गांव वाले अच्छे बीज़ लेना पसन्द करेंगे। मगर आप कानून की व्यवस्था किन लोगों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। आपने इसमें लिखा है कि एप्रूव्ड डिजाइन्स के बीज़ होने चाहिये। आपने नये नये एग्रीकल्चरिस्टों की स्थापना की है। मैंने कल भी टाइम्स ऑफ इन्डिया में पढ़ा था कि आजकल के पढ़े लिखे इंगलिश का पेपर सेट नहीं कर सकते। काश्तकार उन अपटुडेट सूटेड बूटेड से ज्यादा बीज़ों में समझता है। वह यह चाहता है कि अपटुडेट डिज़ाइन के बीज़ हो। सूट बूट पहिने लोग काश्तकारों के पास जाते हैं। तो वे कहते हैं कि आप नये देवता पैदा हो गये हैं आप अपनी भेंट पूजा लेकर चलो। आप राजस्थान में अच्छा धान पैदा करना चाहते हैं। आप लोगों को अच्छे बीज़ वितरण करें। मगर हमें शिकायत तो इस बात की है कि आप अच्छे बीज़ मोहिया कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी मशीनरी इतनी अच्छी नहीं है और यह कहना चाहिये कि इस मामले में आपकी मशीनरी सतर्क नहीं है और आप खुद इस मामले में चुप हैं। आप खुद क्या करते हैं आप उसी एरिया में बीज़ खरीदने के लिये दो चार आदमियों से मिलते हैं और अच्छा बीज़ होता है खरीद लेते हैं। अब आपका एप्रूव्ड डिज़ाइन का बीज़ कहां पर मिलेगा। काश्तकार को या तो तहसील हैडक्वार्टर में या और किसी दूसरी जगह जो उसके यहां से करीब २०।२५ मील दूरी पर होता है। उसको सूखी रोटी को खाकर खेत पर काम करने की चिन्ता रहती है और वह यह नहीं चाहता कि कोई उसको दखल दे। जब आप नये नये कानून रोज एसेम्बली में बैठ कर बनावेंगे तो आपके कर्मचारी उन काश्तकारों के पास खेतों में जावेंगे और उनके खेतों की छाया में बैठ कर उनके लिये एक प्रकार की 'परेशानी पैदा करेंगे और उन पर एक प्रकार का एनक्रोचमेंट होगा। आपको चाहिये कि यह अधिकार पंचायतों को दें। अच्छे बीज पंचायतों के पास रहने चाहिये लेकिन आपने क्या किया है। ४५ एविडेन्स एक्ट कहता है कि एक्सपर्ट वही हो सकता है जो बीजों को अच्छी तरह समझता हो और उसके लिये काम करता हो। जो व्यक्ति काम करते करते इसमें अनुभव प्राप्त कर लेता है वही अनुभवी कहलाता है। जब उसका अनुभव हो ज्ञान हो उसको काम में लाना नहीं चाहते।

(गणपूरक घन्टी)

११ म० पू०

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : On a Point of order, Sir, सभापति महोदय, सदन में बार बार कोरम का न रहना

(श्री भैरोंसिंह)

और उसके लिये घंटी बजाना सदन के लिये एक अच्छी परम्परा नहीं है। इस परम्परा को बिगाड़ने की सारी जिम्मेदारी हमारी विधान सभा के जो मुख्य सचेतक हैं उनकी है। मैं देखता हूं कि वे सदन में बहुत ही कम बैठते हैं उनके दल के जितने भी सम्माननीय सदस्य हैं वे भी जब उनको यहां बैठे हुए नहीं देखते हैं तो वे भी उपस्थित नहीं रहते हैं। उनको चाहिये कि वे विधान सभा में बराबर उपस्थित रहें और अपने दल के कम से कम १७ सदस्यों को तो यहीं पर बैठे रहने का आदेश दें इतनी व्यवस्था वे ज़रूर रखें अन्यथा सचेतक महोदय, जिनके जिम्मे बहुत से काम हैं वे उनमें मशगूल रहते हैं। लेकिन जहां तक अन्य कामों का सवाल है वे गौण हैं उनको प्राथमिकता विधान सभा के कार्य को देनी चाहिये। मैं समझता हूं वे खुद स्वयं उपस्थित रह कर दूसरों के सामने आदर्श उपस्थित करेंगे ताकि सदन का कार्य सुचारू रूप से चल सके और बार बार कोरम घंटी बजाने की आवश्यकता न पड़े।

श्री हरिदेव जोशी (बांटौल) : सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि विरोधी दल के माननीय सदस्य भी मुझे सहयोग दें तो मुख्य सचेतक का काम बहुत आसान हो जायगा। इस सदन के अन्दर कोरम को रखने में मेरा कहना यह है कि विरोधी दल के जो मुख्य सदस्य हैं वे बराबर सहयोग नहीं देते हैं इसलिये मजबूरी हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि उनका सहयोग मुझे प्राप्त हो सके।

श्री सभापति : Shri Moolchand Daga to resume the debate Please.

श्री मूलचन्द डागा (जारी) : सभापति महोदय, कानून और व्यवस्था तो यहां लागू होनी चाहिये लेकिन हम कानून और व्यवस्था खेतों में और काश्तकारों में करना चाहते हैं। इसकी डेफीनेशन के अन्दर बीज के लिये बताया गया है बीज कौन सा होगा "Approved" when used with reference to seeds and seedlings, means approved by the Agricultural Department."

अब इसका मतलब यह होगा काश्तकारों के पास जो अच्छा बीज होता है वही खेती में बोते हैं और उसको बोने के बाद धान तैयार होता है। उसके बाद उसी धान को जमा कर लेते हैं और वे यह सोचते हैं कि सबसे अच्छा धान है। वह यदि एप्रूव्ड डिज़ाइन का नहीं होगा जब तक कि आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की मोहर छाप उस पर न लग जाय। यह एक नये तरीके की परिभाषा होगी एप्रूव्ड डिज़ाइन किसको मानेंगे हर एक काश्तकार यह चाहता है कि वह अच्छा बीज काम में लाये लेकिन आप तो उसे ही अच्छा मानेंगे जो आपके विभाग द्वारा एप्रूव्ड होगा उस बेचारे को अपना बीज एप्रूव्ड कराने के लिये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वार पर जाना पड़ेगा और वहां पर दो तीन दिन इन्तज़ार करना पड़ेगा तब वह कहेगा कि मेरा बीज है इसको आप एप्रूव्ड कर दो। लेकिन उस पर भी आपने लिखा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट माने या न माने। मतलब यह हुआ कि आपने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये जो कुछ हम कहेंगे वही बीज अच्छा बीज होगा। राजस्थान में ८० प्रतिशत ५० प्रतिशत काश्तकार हैं जो धान पैदा करते हैं, धान को

(श्री मूलचन्द डागा)

बोते हैं उनका बीज आयन्दा के लिये जब तक एप्रूव्ड नहीं कहलायेगा जब तक आपका विभाग उस पर अपनी सील छाप या मोहर न लगादे ।

दूसरी बात यह बतलाई गई है "If any occupier of land within the area in which this Act has come into force is found using or having used seeds or seedlings other than approved seeds or seedlings, he shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to one hunderd rupees", अब आपने एप्रूव्ड डिज़ाइन नहीं बोया । समय खेती का आ गया आपके बीज भंडार में बीज नहीं है, उसको समय पर नहीं मिलता है तो आप कहेंगे कि एप्रूव्ड डिज़ाइन के लिये आप इन्तजार करें । यानी कानून बनाने का मकसद क्या है, क्या आप जबरदस्ती किसान से यह चाहते हैं कि वह आपके कहे अनुसार बीज बोये । आपको इसके लिये कानून बनाने की आवश्यकता नहीं आपको इस प्रकार का प्रचार करना चाहिये ताकि किसान लोग आगे चल कर आपके एप्रूव्ड बीज को काम में लेवें । आपको कानून के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था करने से पहले यह सोचना चाहिये कि जो कानून आप लागू करना चाहते हैं कि क्या यहां के ६० प्रतिशत काश्तकार उसको चाहते हैं ? आप यदि इस कानून के बारे में काश्तकारों की राय लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ६० प्रतिशत काश्तकार इसका विरोध करेंगे । क्या आप ऐसा कानून पास करना चाहते हैं जिसका विरोध ६० प्रतिशत किसान करें मेरा आपसे अनुरोध है कि यह बिल जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाना चाहिये । मैं आपसे कहता हूं इसका विरोध एक आवाज़ से सब काश्तकार करेंगे । वे नहीं चाहते कि छोटे छोटे मामलों को लेकर जो अपनी स्वतन्त्रता अनुभव करते थे इसमें भी कृषि विभाग के पास जाय ।

आपने डिजीज कन्ट्रोल कानून लागू किया आपने और भी कई प्रकार के किसानों के लिये कानून पास किये । मैं समझता हूँ गान्धी जी की आज्ञा थी हर बात पर कानून का उपयोग न किया जाय, अच्छा होता हम लोग प्रचार के द्वारा अपनी योजनाओं के द्वारा किसानों को यह अनुभव कराते तो बहुत श्रेष्ठ होता । हम तो आपसे यह चाहते हैं कि आप कोई भी ऐसा प्रमाण दीजिये जहां पर अच्छा बीज उपलब्ध होते हुए भी किसान ने उसे नहीं बोया । मैं नहीं चाहता कि सिद्धान्त के आधार पर किसी कानून को लादा जाय । आज राजस्थान का कृषि विभाग इतनी उन्नति नहीं कर पाया कि हर जगह जाकर वह बीज मुहैया कर सके, इन सारी परिस्थितियों में कृषि मन्त्री महोदय विचार करेंगे कानून को लाने के पहले सारे काश्तकारों का बहुमत हासिल करें तभी कानून को लायें । आज हम देखते हैं रोजमर्रा के इस प्रकार के कानून से काश्तकार परेशान होता जा रहा हैं इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है इन शब्दों के साथ सरकार ने जो यह कानून पेश किया है उसके प्रति मैं असन्तोष और अशान्ति व्यक्त करता हूँ ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान बीज तथा बीज पौध विधेयक, १९५८ पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है

(श्री गिरधारीलाल)

उसका समर्थन करता हूँ। सभापति महोदय, आज हमारे सामने सब से पहली समस्या यह है कि अनाज का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाय आज दिन किसान पुराने तरीकों से खेती करता आ रहा है। जिसके लिये किसान यह नहीं समझता कि अगर नये प्रकार के हल या बीज बोये गये तो इसमें काफी सुधार हो सकता है इस पुरानी प्रणाली में रद्दोबदल होना चाहिये। वैज्ञानिक तरीके खेती के लिये होने चाहिये। माननीय सभापति महोदय, इसके लिये मैं सोचता हूँ सब से बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर है सरकार को चाहिये कि वह जनता में और खास कर किसान वर्ग में इस प्रकार का वातावरण पैदा करे कि किसान वर्तमान समय में जिस प्रकार का हल या बीज या अन्य साधन प्रयोग कर रहा है। उन साधनों को छोड़ कर वह वैज्ञानिक साधन अपनाये। मैं समझता हूं इस विधेयक के लाने का यही उद्देश्य है। सरकार अच्छा बीज तैयार करेगी उससे उत्पादन में कुछ बढ़ोतरी होगी। सभापति महोदय, मैं समझता हूं आज दिन सरकार ने कुछ सेन्टरों में हर तहसील में हर जिले में इस प्रकार के बीजों को इकट्ठा किया है और सरकार ने आज दिन भी किसानों को बीज दिया है। अगर बीज अच्छा है तो किसान मूर्ख नहीं कि उसको प्रयोग में न लाये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आप ही ने बीज के लिये शिकायत की है कि जो दिया गया है वह खराब दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल (जारी) : तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर खराब बीज दिया और किसान ने नहीं लिया तो क्या आप उस पर केस चलावेंगे और जुर्माना करेंगे? अगर आपका बीज अच्छा है और किसान को यह निश्चय हो गया कि इससे उत्पादन बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ कि किसान उसे खुशी के साथ खरीद लेगा।

इस विधेयक में सबसे बड़ी खामी यह नज़र आई क्लॉज़ ३ के भाग (क) की। इसमें किसान को मजबूर किया है कि जिस बीज को हम नियत करेंगे उसको उस घोषित एरिया में लेना अनिवार्य है। दूसरा बीज वह नहीं ले सकता। मुझे इसमें शंका है कि इससे भ्रष्टाचार पनपेगा, मुकद्दमेबाज़ी बढ़ेगी और किसान के पल्ले हैरानी पड़ेगी और हमारा जो मकसद है अन्न की अधिक उपज का वह पूरा नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण आज की सरकारी मशीनरी की अकर्मण्यता और हर कानून का दुरुपयोग करने की उनकी मनोवृत्ति है। मुझे यह भी भय है कि राजस्थान का एरिया और किसान बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत दूर दूर गांव हैं। आप बीज के गोदाम हर गांव में नहीं बनावेंगे आप अधिक से अधिक तहसील हैडक्वार्टर और जिला हैड क्वार्टर पर अपने बीज के गोदाम बनावेंगे। अब आपके हर हैड क्वार्टर से एक गांव चालीस और पचास मील तक दूरी पर होगा। अब बरसात होने पर किसान को बीज की जरूरत पड़ी, बरसात कब होती है यह कोई निश्चित नहीं कि फलां दिन ही बरसात होगी, अगर आगे पीछे बरसात हुई और आम तौर पर आपके सरकारी अधिकारी जुलाई में बरसात मानकर प्रबन्ध करते हैं पर अगर बरसात पहले हो गई तो पहली दिक्कत तो किसान को चालीस पचास मील जाकर बीज लाने में आवेगी और उस समय

Page No.62

(श्री मदनसिंह)

अगर उसको बीज नहीं मिला और अगर दो चार दिन की भी देरी हो गई तो उसका तो बोने का समय गया यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि बरसात होने के एक दो दिन के अन्दर ही बीज बो देना चाहिये, नहीं तो बाद में बोना बेकार होता है। इस स्थिति में अगर किसान ने जो कुछ बीज उसके पास से उसको मिला और उस को ही उसने अच्छा समझ कर बो दिया तो आप सौ रुपया तक जुर्माना और करेंगे। इस भय से हो सकता है किसान बोये ही नहीं और बिना बोये ही खेत रह जाय। तो इस तरह से होगा यह कि आपका उत्पादन कम होगा, किसान बेकार बैठ जायगा। अब इन सब दिक्कतों का जिक्र आपके इस बिल में कहीं नहीं है कि आपका प्रबन्ध क्या होगा, बीज के गोदाम आप कहां कहां कायम करेंगे। तो इन सब बातों का जिक्र न करके केवल यह कह देना कि हम बीज देंगे और उसके लिये एक एरिया निश्चित करेंगे उचित नहीं होगा। अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो जनता में पहले आप ऐसा वातावरण पैदा करें कि वे स्वतः ही अच्छा बीज लेकर बोना प्रारम्भ कर दें, नहीं तो सारी व्यवस्था आपके अधिकारियों के हाथ में अगर रही तो इनके काम करने के तरीके दुनिया और आप और हम सब जानते हैं। तो इससे अन्त में होगा क्या ? आपके अनाज का उत्पादन घटेगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार का अगर कानून ही बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा रद्दोबदल करें, आप किसान को जुर्माना में न घसीटें, उनको समझा कर उनकी इच्छा से ही उनके काम में मदद करें। उसे ऐसी परिस्थिति में कि आपके अधिकारियों की अकर्मण्यता और लापरवाही के कारण दिक्कत हो वहां उसे अपने पसन्द का बीज समय पर बो लेने की छूट दें। वह अच्छा ही खरीदेगा, कोई किसान नहीं पसन्द करता कि उसको अच्छा बीज न मिले और उसकी पैदावार न बढ़े। वह स्वयं चाहता है। पर आपके अधिकारी ईमानदार नहीं हैं। अगर आपके अधिकारी ने अच्छा बीज नहीं दिया तो किसान वह नहीं खरीदेगा। आपके अधिकारी अच्छा ही बीज देंगे और समय पर सब तक पहुँचा देंगे इसकी क्या गारन्टी है। तो इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Mr. Chairman, while I go through the statement of objects and reasons, I believe, there will be none to disagree with the Government. Objects and reasons are certainly good enough but the question still remains, should we necessarily pass a legislation like this ? First of all I start thinking that Government must have tried to see that the occupiers to use the improved and approved seeds or seedlings before this. Then what is the reason that the Government has not succeeded so far ? And if at all we try to understand the situation, we will have to consider that the approved seed so far supplied by the Government has not much favour with the occupier. But...

श्री किशनसिंह बाटड़ (लछमनगढ़) :

(श्री किशनसिंह बाटड़)

हिन्दी में बोलें ताकि हम समझ लें कि वे क्या बोल रहे हैं।

श्री अर्जुनदास : यह कानून अंग्रेजी में है, ऐसा ही पास करना है और कचहरियों में उपयोग होगा इसका। इसलिये अंग्रेजी में बोलूं तो मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा।

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मनगढ़) : और मेरे ख्याल में हिन्दी में बोलें तो अच्छा होगा।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : मेरे साथी के लिये तो चाहे हिन्दी में बोलूं या अंग्रेजी में, एक ही बात है। वे हिन्दी भी नहीं समझते हैं।

श्री किशनसिंह बाटड़ : और कोई तो समझ जावेगा।

श्री सभापति : You resume your debate, please.

श्री अर्जुनदास : तो सभापति महोदय, मैं तो यह अर्ज कर रहा था कि हमें देखना चाहिये कि इस विधेयक की गवर्नमेंट को क्या आवश्यकता हो गई है ? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने कई बार कोशिश की होगी कि एप्रूव्ड सीड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो और आज तक गवर्नमेंट को इसमें सफलता नहीं मिली है और इसलिये इस कानून की आवश्यकता पड़ी है। परन्तु कामयाबी हांसिल नहीं हुई इसका कारण एक ही हो सकता है कि वह सरकार अपने सीड को जो देता है उसको ज्यादा अच्छा समझता है, पर लेने वाला उसे ज्यादा अच्छा नहीं मानता है। अगर वह ज्यादा अच्छा नहीं है तो आप इसको कैसे उनके ऊपर मजबूरन डाल सकते हैं और मुझे तो ऐसा भी कहा गया है कि राजस्थान भर में आम तौर पर बाजरा की हालत में मोटा बाजरा खाते हैं। अगर मोटा बाजरा खाते हैं और गवर्नमेंट उसको दूसरा बाजरा देती है तो उस पैदावार को खावेगा कौन ? मवेशी भी खावेंगे नहीं। फिर क्या जानवरों के लिये पैदावर करनी है क्या ? इसलिये हमें तो वह बाजरा देना है जिसकी शहर में बिक्री हो सके। न कि मजबूरन जानवरों के लिये रखना पड़े।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): वह सिन्ध से आये उनके लिये है।

श्री अर्जुनदास : आपको मालूम होना चाहिये कि सिन्धी बाजरा खाते नहीं। यह तो आपकी बदौलत है। आप यदि कहें सिन्धी बाजरा नहीं खाते हैं ?

That is an admitted fact. Probably it is due to his ignorance that he does not know this. I should tell him that Sindhies don't take Bajra.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): सिन्धी बाजरा खाते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : सिन्धी फिर बाजरा न खाकर घूस खाते होंगे ?

श्री सभापति : खाने पीने की बात हाउस में नहीं करनी चाहिये।

श्री अर्जुनदास : Sindhies do not take Bajra

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : लेकिन जवार ज़रूर खाते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जवार कभी कभी खाते हैं।

श्री सभापति : You resume the debate.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : बाज़रा और किशनगढ़ का गेहूं का मेल है। यह मुझे मालूम है।

श्री अर्जुनदास : Now coming to the Bill itself, I find that there are certain defects in the Bill which I explain here so that they may try to rectify them. I find three defects. One is in Section 3 and the other is in Section 6. Under Section 6, the Government is going to lay down that anybody who has used un-approved seeds or seedlings, he shall be...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : On a point of Order Sir... अभी मुक्तिलाल जी ने जैसा निवेदन किया कि वह घूस खाते हैं। यह समझ में नहीं आया। सभापति महोदय, उनको यह घूस शब्द वापिस लेना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (वैराठ) : बाजरा न खाकर घूस खाते होंगे, मैंने तो यह कहा।

श्री सभापति : It is too late now to raise it. Yes please resume your debate.

श्री अर्जुनदास : I will just refere to clause 6. As suggested by the Hon'ble member in charge of the Bill, it says that any occupier of the land who has used the seed of unapproved type.

श्री किशनसिंह बाटड़ : बहुत कहते हैं कि हिन्दी में कहना चाहता हूँ। हिन्दी में कहना चाहिये उनको।

श्री सभापति : वे बिल के क्लॉज़ पढ़ रहे हैं और वे अंग्रेजी में हैं।

श्री किशनसिंह बाटड़ : पर बोलें तो हिन्दी में।

श्री अर्जुनदास : Then I think he has to translate it in to Marwari Bhasha.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : बिल तो हिन्दी में भी है, चाहें तो हिन्दी में बोल सकते हैं।

श्री सभापति : Now it is for him to go through the Bill. It is at his convenince that he speaks in Hindi or English.

श्री अर्जुनदास : So I was just referring to clause 6 which tries to lay down further that any body can be convicted for having used unapproved seeds or seedlings but the limitation is not shown in the Bill. Limi-

(श्री अर्जुनदास)

tation not being shown that the Government wants to suggest, if it so chooses any body can be prosecuted even after 10 years. I think the Government should not have possibly thought of this. Some time limitation must be prescribed, one harvest, two harvests, one year or two years. There must be some limitation. I would therefore request the Government and suggest that they should better keep some provisions laying down some period of limitation during which the occupier can be prosecuted and not thereafter.

Another difficulty that I find in this Bill is that in Clause 3, the Government wants to lay down :

"In the areas in which this Act has come into force:–

(a) approved seeds and seedlings alone shall be used by every occupier, and

(b) the movement of approved seeds or seedlings from one area to another may be prohibited by the the State Government." But the Government has not said that for every kind of cultivation the Government shall keep the approved seed or seedlings. The Government may keep the approved seed but for a particular cultivation the Government may not keep. What happens when the Government has not tried to keep approved seeds or seedlings for a particular type of cultivation. There is no provision. In the definition clause– "Approved" when used with reference to seeds and seedlings, means approved by agriculture Department." But what happens when there is no approved seed for a particular type of cultivation. There is no mehtion at all Therefore it should be made quite clear here that if there be any approved seedsor seedlngs by the Government then and then alone and not otherwise.

The third difficulty that I can possibly apprehend is that if unfortunately during the prescribed season, the approved seed is not available for a particular area then what will happen ? There is no provision at all that if it is not available, of thé approved seeds or seedlings, the occupier can use his own seeds. There is no such provision in the whole Bill.

I think, therefore, it is necessary to draw the attention of the Government and suggest them to make certain amendments.

श्री दलपतसिंह (आबू) : प्रत्येक कृषक यह चाहता है कि उसकी प्रोडक्शन सबसे अच्छी हो और अगर सरकार अच्छा बीज देती है तो कोई कृषक ऐसा नहीं होगा कि उस बीज को ठुकरा दे। किसी को यदि ठंडा पानी ऑफर किया जाय तो उसे पीने से कोई मना नहीं करेगा और यदि किसी को दूध ऑफर किया जायगा तो कोई मना नहीं करेगा। इसी तरह अच्छे बीज को लेने से कोई कृषक इन्कार नहीं करेगा।

(श्री दलपतसिंह)

पर इस क्लॉज़ में यह दे दिया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से बीज के सम्बन्ध में डिक्लेअर हो जायगा कि अमुक एरिया में अमुक बीज दिया जायगा अगर कृषक उस बीज को नहीं बोयेगा तो उसको दण्ड दिया जायगा। इस प्रकार का जो प्रावधान रखा गया है वह किसानों को हेरेसमेंट करने वाला है, यह किसानों को मानसिक वेदना पहुंचायेगा। मेरी तो यह राय है कि इस प्रकार का बिल ही नहीं होना चाहिये यह अनावश्यक है। मैंने अपने एरिया में इसी वर्ष शिकायत की है कि गवर्नमेंट द्वारा दिये गये बीज में से ६० प्रतिशत बीज तो उगा ही नहीं है। और इस कारण साइकोलोजिकली यह चीज किसान के दिमाग में घर कर गई है कि गवर्नमेंट द्वारा दिया गया बीज उग ही नहीं रहा है। दूसरे इस तरह का बिल ला कर गवर्नमेंट किसानों के लिये हेरेसमेंट का कदम उठा रही है। फील्डमैन यदि समय पर कृषक के पास तक नहीं जा सकेंगे तो भी वे लोग गलती कृषक की ही बतायेंगे, जैसा कि आपने क्लॉज़ ७ में लगा दिया है कि :

"No suit, prosecution or legal proceeding shall lie against any public servant in respect of anything in good faith done or intended to be done under this Act"

फील्डमैन के द्वारा सिर्फ इतना कह देना काफी होगा कि हमने गुड फेथ के लिये बहुत कुछ कहा था पर कृषक ने बीज लिया ही नहीं। तो इस प्रकार यह कृषक के ऊपर बजन डाल दिया है। यह कहीं नहीं कहा गया है कि पंचायतों की मार्फत बीज का वितरण किया जा सके ताकि कृषक को थोड़ा बहुत संरक्षण मिल सके।

इसके अलावा आपके पास एक्सपेरिमेंटल फार्म्स भी नहीं हैं। आपके ऑफिसर्स एक्सपर्ट नहीं हैं। जहां ७८ का बीज देना हो वहां ३१ डेश १ का बीज दे देते हैं तो बड़ी भारी गड़बड़ हो जाती है। यह मान कर मत चलिये कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक तरह की सोइल है। ३१ डेश वन का बीज अच्छा है पर जहां की सोइल जैसी है उसके लिये उसी तरह का बीज होना चाहिये। तो इसके लिये डिक्लेरेशन हो कि इस सोइल के लिये यह बीज अच्छा है और वही बीज वहां दीजिये। यह अगर नहीं किया तो किसानों को बड़ा हेरेसमेंट होगा और राजस्थान के प्रोडक्शन में बाधा पड़ेगी और कृषक अपने आपको उत्थान के स्थान पर लोस में आयेगा।

इसके अलावा एक बड़ा टेक्निकल पॉइन्ट है कि बक्तसर बीज का वितरण नहीं होता है तो अपनी इस गलती को अधिकारीगण और फील्डमैन कृषक पर थोप देंगे और छोटे छोटे कृषकों के लिये बड़ा हरेसमेंट हो जायगा। फील्डमैन वितरण नहीं करेंगे और कह देंगे कि इन इन लोगों को बहुत कहा गया पर इन लोगों ने बीज नहीं लिया।

प्रथम तो यह बात है कि मैं तो इस बिल के सख्त खिलाफ हूं। आज कल मन्त्री महोदयों के लिये फैशन सी हो गई है, मन्त्रीगण को शौक हो गया है कि छोटी छोटी बातों के लिये यहां बिल ला देते हैं। मेन चीज एग्रीकल्चरिस्ट्स के उत्थान के लिये यह

(श्री दलपतसिंह)

है कि अच्छे बीज के सम्बन्ध में जगह जगह पब्लिसिटी की जाय । प्रथम तो यह बात है कि यह कानून अभी नहीं लाना चाहिये पर फिर भी यदि मन्त्री महोदय नहीं मानें तो जैसा कि जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति को भेज दिया जाय, इससे मैं सहमत हूं । क्योंकि कृषक की उन्नति के लिये बाधक सिद्ध होने वाली चीजें इसमें हैं, इस लिये इसको प्रवर समिति में भेज देना चाहिये । इसमें यह रखा गया है : "approved seeds or seedl ngs..."

पहले वहां एक्सपेरिमेंटल फार्म्स खोल देने चाहिये कि अमुक डिस्ट्रिक्ट के लिये अमुक प्रकार का बीज अच्छा होगा और उस डिस्ट्रिक्ट के लिये उस सीड का डिक्लेरेशन एक साल पहले हो जाना चाहिये ताकि अच्छा हो तो सारे कृषक उस बीज को लेने के लिये तैयार हो जायेंगे । और यदि बुरा होगा तो सरकार को भी पता चल जायगा और कृषकों को भी पता चल जायगा कि यह हानिकारक है । यदि एक साल पहले डिक्लेरेशन कर के फौरन ही डिक्लेरेशन किया गया और किसानों को कह दिया गया कि यह बीज अच्छा है, इस बीज को बोओ तो किसान हर्गिज इसके लिये तैयार नहीं होंगे और इससे प्रोडक्शन में बड़ी बाधा पड़ेगी । इसलिये एक साल पहले डिक्लेयर करना चाहिये कि यह बीज अच्छा है । यह नहीं किया तो काश्तकारों के लिये बाधा होगी । अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर उन लोगों को टाइम से बीज वितरित नहीं किया जायगा जैसा कि १० साल से हम देखते आ रहे हैं तो उनको बड़ा नुकसान होता है । इसके अलावा जैसा कि सही हुआ सीड आता है और लोगों ने ले लिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उसमें ६०, ७० पर्सेन्ट सीड सड़ा हुआ आता है । आपने कानून बना दिया इसलिए उनको लेना पड़ता है, और अगर वह लोग नहीं लें तो इस कानून के तहत में आप कह देंगे कि because we are distributing the seed. और आप नहीं ले रहे हैं इसलिए उस पर १०० जुर्माना होगा । यह बहुत बड़ा हेरेसमेंट होगा । १० साल का एक्सपीरियन्स लेकर बताए कि एक साल भी अच्छा बीज दिया हो । इसलिए मेरी अर्ज है कि यह आप लोगों को हेरेस करने के लिए कानून ला रहे हैं । कम से कम अभी काश्तकारों के माइन्ड की साइकोलाजी को ठीक नहीं कर सके हैं । यह अभी तक राजस्थान गवर्नमेंट की कमी है । उनके दिमाग में अभी अच्छी तरह से यह नहीं बैठ पाया है कि सिंसियरली आप बीज अच्छा दे रहे हैं । उसके उपरान्त आपने देश के अन्दर प्रोपेगण्डा कर दिया कि अच्छे बीज के लिए विधेयक ला रहे हैं और कोई दूसरे बीज को नहीं बोने देंगे । यह डिक्लेरेशन हुआ है कि यह विधेयक काश्तकारी के लिए निहायत जरूरी है ।

तीसरी बात यह कही है सेक्शन ७ के अन्दर तो इसके लिए मेरी राय यह प्रकट करता हूं कि उसके लिए पंचायतों की तरफ से बीज वितरण हो ताकि न काश्तकार को कहने का मौका मिले, कि फील्डमैन और गवर्नमेंट के ऑफिसर ने उन्हें टाइम से इत्तिला नहीं दी । नहीं तो ऐसा हो सकता है कि पहले तो टाइम पर इत्तिला नहीं दी और फिर बाद में इसके कारण से हेरेसमेंट हो सकता है । इससे गवर्नमेंट ऑफिसर भी सेव

(श्री दलपतसिंह)

हो जायेंगे और शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो छोटे काश्तकारों के लिए यह बात हो जायगी कि उनके लिए हेरेसमेंट की एक चीज हो जायगी। फील्डमैन उनके इलाके में कह देगा कि हमने बीज दे दिया था। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि बीज वितरण करने का जिम्मा सरपंच और पंचों के ऊपर हो। प्रत्येक फील्डमैन या एग्रीकल्चर ऑफिसर को बीज वितरण करते समय अपने साथ रखना निहायत जरूरी है। इन्हीं सुझावों के साथ अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस कानून की अभी तक जरूरत नहीं है। फिर भी मन्त्री महोदय के दिमाग में हो कि कानून लाना जरूरी है। जो पिक्चर बनाई गई है वह वास्तव में ठीक है, और अच्छे बीज का कानून लाना जरूरी है तो मुझे आशा है कि प्रवर समिति के टाइम में यह सब बातें ध्यान में लाई जायगी।

श्री सभापति : श्री किशनसिंह।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषिमंत्री) : मैं इसमें कुछ निवेदन कर दूं और मुनासिब हो कि मै इस चीज को मान लूंगा।

श्री सभापति : The Hon'ble members to resume their seat. I have already given my observation. Shri Kishan Singh.

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन में जो एक विधेयक कृषि मंत्री महोदय की ओर से रखा गया है उसके विरोध में बोलता, लेकिन मेरे से पहले जयपुर से आने वाले...

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : कौन बोल रहे हैं ?

श्री सभापति : श्री किशनसिंह।

श्री किशनसिंह : जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने एक यह प्रस्ताव रखा है कि यह विधेयक प्रवर समिति में चला जाय इसलिए अपने दिल को समझाने की बात कहूंगा नहीं तो यह कहता कि इस विधेयक के आने की जरूरत नहीं थी।

मैं यह मानता हूं कि प्रवर समिति में जाने के बाद इसमें संशोधन हो जायगा। जो क्लाज़ रखी है दो अगर जुर्माना करने की वह नहीं रहेगी। मुझे यह अनुभव है। हमारे जिले के हैडक्वार्टर पर अगर एक दूकान हो तो हमारा ज़िला इतना लम्बा चौड़ा है, और मान लें कि तहसीलवाइज़ भी वह दुकान कर देगें तो भी तहसील का एरिया लम्बा है और ४०, ५० मील दूर के गांव चलकर आयेगा। ऊंट उसके पास है और अगर नहीं है तो किराये का लेगा। आने जाने में उसे दो दिन लगेगें। जिस दुकान से बीज लेगा अगर वहां के कर्मचारी को यह पता हो कि वह ४० मील से चलकर आया है और उसको उस रोज़ बीज नहीं मिले और उसको परेशान करने के लिए कह दे कि आज समय नहीं रहा, चाबी नहीं है, अथवा बीज नहीं है, इस तरह से कहेगा, और कल भी नहीं देगा और इस तरह से एक दो रुपये उससे लेने की कोशिश करेगा। मैं यह मानता हूं कि कानून बना दिया तो हर किसान से आपके कर्मचारी हर घर से रुपया लेगा और तब बीज देगा। जो बीज आज आप वितरण करने जा रहे हैं। उस बीज के बारे में आपने तय कर लिया है

(श्री किशनसिंह)

क्यों कि जो बीज आप देंगें वह ठीक है ? पिछले साल जलराने या किसी गांव के नाम से बाजरी दी गई, खाचरियावास की बाज़री दी गई। खाचरियावास की थी या जलराने की थी या दूसरे गांव की थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई किसान बिना बीज के रह गये। न तो कर्मचारियों पर जुर्माना हुआ और न गांव वालों का कुछ गया लेकिन किसान जो उपज करता उसको घाटा रह गया । वह डूब गया । यह आपनें रखा है कि किसान नही लेगा बीज तो उस पर जुर्माना करेंगे। इस बात को उड़ा दें। प्रवर समिति में जाने के बाद में समझता हूं कि वहां पर ऐसा संशोधन हो जायगा, और यह कह दिया जायगा, मैं यह मानता हूं, पंचायतों के सरपंचों से कि पहले वे अपने खेतों में वह बीज लेजाकर बोयें और उसकी फसल अच्छी हुई तो अगले साल और किसान भी उत्साहित होगें। वह आयेगें और बीज लेगें। उनको मज़बूर नहीं किया जाय । यह नहीं कहा जाय कि मज़बूरन बीज लेना पड़ेगा और नहीं लेंगे तो जुर्माना होगा। इस बात को करेंगे तो किसानों को नाराज़गी होगी और किसान घाटे में रहेगें। किसान अपने बीज के लिए....

श्री **अर्जुनदास** : आप किस में बोल रहे हैं ? हिन्दी में बोल रहे हैं या शेखावाटी में ?

श्री **सभापति** : Let him have his say. He is speaking in Hindi.

श्री **किशनसिंह** : आप नहीं जानते हैं किसी चीज में क्यों बोलते हैं ? किसान अपने खेत में से अच्छा बीज तोड़कर रख लेता है और आयन्दा बरसात के दिनों में उस बाजरी को निकालता है और फिर बोता है। इस तरह से जो बीज अपने यहां से टालता है उसको रखता है और बीज बोने के दिनों में बोता है, लेकिन जो उस ज़िले का रहने वाला नहीं है वह नहीं जानता है कि किस तरह से रखते हैं। यह कानून लागु होगा कि इस इलाके में इस तरह की बाजरी बोनी चाहिए और वह बाजरी अनुकूल नहीं पड़ती है जमान में तो ऊगेगी नहीं। इसलिए पहले आप देखिये कि कौन से ज़िले में कौन सी बाजरी बहुत अधिक होती है। इसका एक साल प्रयोग करके देखें। प्रयोग करने के बाद यदि यह लगे कि भरतपुर जिले की बाजरी नागौर जिले में बोई जा सकती है और नागोर जिले की बाजरी झुन्झुनू ज़िले में सफल हो सकती है। तो अगले साल कानून लगा दें तो ठीक है, नहीं तो एक गाव की बाजरी के लिए आप किसान से कहेगें और वह खेत में बोयेगा और उसमें किसी तरह से सफल नहीं हुआ तो वह घाटे में रह गया और आपने जुर्माना कर दिया। तो इस बारे में सारी बातों को देख लें उसके बारे में मैं अर्ज़ करूं कि यह विधेयक पास नहीं होकर प्रवर समिति में चला जाय। वहां जैसा होगा उसके बाद में विचार हो जायगा। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्या ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री **मुक्तिलाल मोदी** (बैराट) : माननीय सभापति महोदय...

श्री **नाथूराम मिर्धा** : माननीय सभापति महोदय....

श्री **सभापति** : आनरेबल मिनिस्टर....

कई माननीय सदस्य : इन्हें बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़ा सा स्थान ग्रहण करें। मैं समझता हूं कि उनके बोलने का अधिकार है और वे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसमें काफी वाद-विवाद हो चुका है। सेन्स हाउस का आ चुका है। अगर सम्बन्धित मन्त्री महोदय उत्तर दे देंगे तो हाउस का टाइम सेव होगा। एक व्यवस्था बिठाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर काफी वादविवाद हो चुका है। इस पर अपनी सहमति देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी और श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय...

श्री गिरधारीलाल : श्री मुक्तिलाल हमें रूस के बारे में बतायेंगे जिसका हमें कुछ पता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय सभापति जी, आज राजस्थान बीज तथा बीज पौध विधेयक, १६५८ हाउस के सामने लाये माननीय मन्त्री जी क्योंकि वे किसानों के भी लीडर हैं और खुद भी किसान हैं परन्तु उसके पहले जो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों के लिए बिल हाउस के सामने लाया जाता

(हंसी)

और बिल इस हाउस में पास होता तो ज्यादा सुन्दर होता बनिस्बत उस धरती के लिए जिसके अन्दर सैकड़ों चीजें पैदा हो सकती हैं और उस धरती के सहारे, आज पृथ्वी के, हिन्दुस्तान और बाहर के जितने मनुष्य हैं, वे जिन्दा हैं। उस धरती के लिए हाउस के सामने बिल लाना कहां तक उचित है। इस राजस्थान के अन्दर माननीय सभापति जी,....

श्री सभापति : इस धरती के लिए बहुत से बिल आये हैं साहब।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वह आप पर लागू होगा नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मुझ पर लागू क्या होगा, लागू होगा आप पर।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : बच्चे वाला आप पर नहीं होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह बच्चे वालों पर लागू होगा, मेरे ऊपर क्यों लागू होगा ?

माननीय सभापति जी, यह बिल इस हाउस में लाया गया, यह हाउस के अन्दर जब लाना चाहिए था जब कि करीब ६० परसेन्ट ६६ परसेन्ट राजस्थान के लोग पढ़े लिखे होते और राजस्थान के लोग इस बिल की भाषा को, इस कानून को समझ पाते। माननीय मन्त्री जी जानते हैं कि आज जो किसान हैं उनमें से कितने परसेन्ट लोग पढ़े हुए हैं। इस राजस्थान के अन्दर अभी किसान पढ़े लिखे नहीं हैं और बगैर पढ़े लिखे होने के कारण आज कोई भी बिल किसानों की तकलीफ को दूर करने के लिए लाने की बनिस्बत आज किसानों की तकलीफ

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

को बढ़ाने वाला बिल लाना कहां तक उचित है। आज उधर के बैठने वालें माननीय सदस्य ज्यादा उम्मीद में दिखाई पड़ते हैं, परन्तु आज जिनके वोट लेकर इस हाउस के अन्दर आवाज उठाते हैं, वह नहीं उठा सकेंगे। इसलिए मुझे दुःख है। इस बिल को इस हाउस के अन्दर जब लाते जब कि करीब ६० पर्सेन्ट ६६ पर्सेन्ट लोग पढ़े लिखे होते राजस्थान के अन्दर और प्रत्येक स्त्री और पुरुष इस तरह पढ़ा लिखा होता, तब इस बिल को हाउस के सामने लाना चाहिए था। मेरा माननीय सभापतिजी, बार बार इस सरकार से यह निवेदन है कि इस राजस्थान की असेम्बली में ऐसे बिल आने चाहिए जिनसे दूसरे प्रान्तों की बनिस्बत राजस्थान की एसेम्बली की उन्नति दिखाई पड़े और राजस्थान की असेम्बली के जो माननीय सदस्य हैं, उनकी दूसरे प्रान्तों में तारीफ हो कि राजस्थान की असेम्बली में जो बिल आये हुए हैं, उनसे राजस्थान की उन्नति होगी। परन्तु आज इस तरह का बिल राजस्थान की असेम्बली में लाये हैं जिससे राजस्थान के लोग बगैर पढे लिखे हैं, उन्हें परेशानी होगी और, माननीय सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि इस बिल के द्वारा घूसखोरी, रिश्वतखोरी और बेईमानी बढ़ जायगी। आज राजस्थान की जनता परेशान है कई बातों से, वह इस बिल को लेकर और ज्यादा परेशान होगी। कल ही मैंने एक ऑफिसर से बात करी कि मेडीकल डिपार्टमेंट के अन्दर लाइसेन्स बनाने का तरीका क्या है, आज राजस्थान के अन्दर काफी व्यापारी बगैर पढ़े लिखे हैं, गांवों के अन्दर वे इतने परेशान हैं, माननीय सभापति जी, जिसका मैं कुछ आपसे जिक्र नहीं कर सकता। आज वे बगैर पढ़े लिखे लोग यहां आते हैं, पांच पांच, दस दस दिन तक पड़े रहते हैं, रिश्वत देते हैं। उसके बाद १० दिन के बाद चालान जमा कराये जाते हैं, कभी कहते है, फलां जगह जाओ, कभी कहते है, बैंक में जाओ, वे जानते है नही, बैंक को, दफ्तर को। आज यह हालत है। मैं उन व्यापारियों की बातें कह रहा हूं, बनियों की बात कह रहा हूं। काश्तकार इनसे भी कम पढ़े लिखे हैं, वे कई चीजें जानते नहीं हैं। इस हालत में यह बिल हाउस में पेश करते हैं यह कहां तक उचित है।

(हंसी)

थोड़े दिन पहले वेटरनिरी का बिल पास हुआ था। उसके अन्दर था कि जो काश्तकार गाय बैल ले जाते हैं, उनको रोकना चाहिए। उसमें भी जुर्माना रखा था, उससे काश्तकारों को काफी तकलीफ है। आज लाखों रुपये अमेरिका से कर्ज लेकर हिन्दुस्तान में और राजस्थान में खर्च हो रहा है। जिस हिन्दुस्तान को सोने की चिड़िया मानते थे, वह दूसरे देशों से कर्ज लेकर अपने यहां रुपया खर्च कर रहा है और वह रुपया व्यर्थ जा रहा है। मुझे दुःख है कि एग्रीकल्चर के काम के अन्दर जितना रुपया खर्च किया जा रहा है जो ब्लॉक्स खोले हैं, उनमें रुपया व्यर्थ जा रहा हैं, उसका उपयोग नहीं हो रहा है।

(करतल ध्वनि)

मैं इस बात को गारन्टी के साथ कहता हूं कि जितना रुपया राजस्थान सरकार ब्लॉक्स

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

के अन्दर एग्रीकल्चर के नाम के लिए खर्च करती है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। एक साल एक काम होता है, दूसरे साल दूसरा काम होता है और तीसरे साल काम खराब होता है।

श्री सभापति : आप बीज की बात भूल गये। बीज की बात याद रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : बीज ही ब्लॉक है। ब्लॉकस में होता क्या है? बीज बांटेंगे। इसमें पांच लाख ऑफिसर्स के लिए खर्च है, चार लाख रुपया तकावी के लिए और तीन लाख रुपये स्कूल औषधालय और कुंए बनाने के लिए है। आप बजट देखलें, अगर मैं झूठ बोलता हूं।

(हंसी)

श्री सभापति : आप सच कह रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं जो कह रहा हूँ, वह सच है। कोई भी कर्ज दे सकता है। आठ आना, छः आना सैकड़ा ब्याज पर कर्ज देता है बनिया। ज्यादा से ज्यादा १२ आने ब्याज ली जाती है। जिसमें से १०० रुपया खर्च हो जाता है, वह तहसीलदार के पास जाय, पटवारी के पास जाय, गिरदावर के पास जाय और बी० डी० ओ० के पास जाय और रिश्वत दे। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरे यहां की परसों की बात है, सारे काश्तकारों ने मेरा गला पकड़ लिया।

(हंसी)

मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में बीज बांटे थे, इतने इतने गेहूँ आये। लोग मेरी जान खा गये कि साढ़े, सात सेर बाढ़ी देनी पड़ेगी। आपने हमें डुबो दिया। यह परसों की बात है।

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : रूस का अनुभव क्या है?

श्री मुक्तिलाल मोदी : जी।

डॉ० बहादुर सिंह : कल का दिन बीच में गया।

श्री मुक्तिलाल मोदी : हां, कल का दिन बीच में गया है। ऐसी हालत है। रूस की बात है।

(हंसी)

वहां भी थोड़ी थोड़ी जमीन काश्तकारों को दे रखी है। वहां एग्रीकल्चर के बड़े बड़े फार्म है, फिर भी थोड़ी थोड़ी जमीन दे रखी है।

डॉ० बहादुर सिंह : वहां बीज कैसे बांटा जाता है?

श्री मुक्तिलाल मोदी : वहां पैसा लेकर बांटा जाता है। उन पर कोई कानून नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह बीज नहीं बोओगे तो जुर्माना देनाहोगा। आज देखें कि चीन तिब्बत पर आ रहा है। ऐसी हिन्दुस्तान की हालत क्यों करते हैं कि हमें पूरा कम्युनिस्ट बना लें। कम्युनिस्ट लोग चाहते ही हैं। आप कांग्रेस की दृष्टि से सोचते है, और कम्युनिस्ट बना रहे हैं फिर कांग्रेस की दृष्टि से क्यों सोचते हैं। लोगों को परेशान कर रहे हैं और यहां बिल झूठे सच्चे पास कर रहे हैं

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

इस प्रकार हमें कम्युनिस्ट के साथ जाना पड़ेगा।

श्री सभापति : आप धीरे धीरे उस ओर पहुँच रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इसलिए आप रूस गये थे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं।

(हंसी)

श्री गिरधारी लाल (नोखा) : जन संघ में है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं गांधीवादी विचार रखता हूं और अपने स्वतंत्र विचार रखता हूं। मैं कम्युनिस्ट के विचार नहीं रखता।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): आपकी शक्ल रूसी क्यों है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इस बिल को आप वापिस ले लें, दो चार साल के लिए ले लें जब कि किसान ६०पर्सेन्ट ६६ पर्सेन्ट पढ़े लिखे न हो जाय। इसके साथ ही इसको पास कर देने से पहले आंकड़े देख लें कि कितने राजस्थान में पढ़े लिखे हैं। राजस्थान में आपने प्रौढ़ पाठशालायें खोली, प्राईमरी स्कूलें खोल दीं, और खोल रहे हैं दिन प्रति दिन लेकिन फिर भी ५० पर्सेन्ट से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, समझे। ऐसी हालत में मैं मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है, मैं आपके स्वार्थ की बात कर रहा हूं, मेरे लिये नहीं है।

(हंसी)

उधर बैठने वालों के लिए कह रहा हूँ कि आप कब्र क्यों खोद रहे हैं, काश्तकारों को क्यों बहका रहे हैं? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस बिल को वापिस ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपके बीज अच्छे होंगे, अच्छी चीज होगी तो उसके लिए आपके ग्राहक बढ़ेंगे। अगर अच्छा बीज देंगे, उससे ज्यादा अनाज पैदा होगा तो कानून को बनाने की आवश्यकता क्या है, कोई जरूरत नहीं है। अगर अच्छा बीज होगा तो हजारों आदमी आयेंगे आपकी खुशामद करने के लिए। अगर खराब चीज होगी तो कोई नहीं आयेगा। इसलिए काश्तकारों के प्रति खराब दृष्टिकोण के बनिस्बत अच्छे दृष्टिकोण से इस बिल को पास करें। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बिल को वापिस ले लें और इसको पारित नहीं करें। फिर आपकी मर्जी है, महाराज।

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : श्री अनोपसिंह।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : अभी माननीय मंत्री जी को कुछ बोलना नहीं है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मैं तो दो बार खड़ा हुआ हूं और मैं कहता हूं कि इस पर वादविवाद भी काफी कटडाउन किया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : यह बीज की पवित्रता का मामला है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, बीज की पवित्रता का मामला है तभी तो माननीय सदस्य इसे इतनी अहमियत दे रहे हैं ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या मेरी प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश भी मानते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रवर समिति को सौंप दूंगा, ऐसी बात नहीं है । माननीय सभापति महोदय ।

श्री सभापति : Since I have given my observations for Shri Anoop Sing , he will begin.

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि शायद अपने को भी प्रायरिटी ऑफ सीड एण्ड सीडलिंग को रखने की जरूरत थी और रखा जाये इसमें मैं एतराज नहीं करता बशर्ते कि आप रख सकें । आप कोई कानून बनाकर उसको लागू कर सकें तब तो अच्छा है लेकिन जो कानून अच्छी तरह से लगाया नहीं जा सकता प्रेक्टीकली उसके एग्ज़ीक्यूशन करने में मुश्किलें आ जायें तो मैं कहता हूं कि वह कानून सैद्धांतिक रूप से गलत होगा । मैं यह नहीं मानता लेकिन मैं अर्ज़ करूंगा कि जिन माननीय सदस्या ने इस बिल को प्रवर समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव किया है वह तो बहुत मामूली सी चीज है इस एक्ट मे जो कुछ खराबियां हैं वही तो इसमें से सुधारी जा सकेंगी, उन्हीं का तो सुधारा हो सकेगा । तो मैं तो यह मानकर चलता हूं कि इस बिल की हमारे यहां अभी तक तो कोई आवश्यकता नहीं है । हो सकता है कि इस सिद्धांत को माना जाये कि सीड और सीडलिंग को प्योर रखें । यह सब कुछ अच्छा है लेकिन इस कानून के तहत ऐसा प्रावधान रखकर यह सोचें कि अच्छे सीड का हम उपयोग कर सकेंगे यह आज के वक्त में मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल है । अगर आप जानते हैं कि कोई भी कानून जिसका दुरुपयोग होगा और उसको ठीक तरह से नहीं लगाया जा सकता या जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जनता के मन में किसी तरह का असंतोष होगा और उस कानून को तोड़ने की मन्शायें पैदा होंगी । तो यह अच्छा होगा कि आप ऐसा कानून हो न बनायें जिसको एग्ज़ीक्यूट अच्छी तरह से न कर सकें । अभी हमारा रबी अभियान हो गया और आगे खरीफ अभियान होने वाला है और जो बिल हमारे सामने पेश हुआ है यह भी वही काम कर सकता है जो कि पहले हुआ है ।

अब सभापति महोदय, मैं इस बिल के खास खास मुद्दों को लेता हूं । आपने इस बिल में रखा है कि ऑथोराइज्ड एजेन्ट एक पर्टिक्यूलर आदमी होगा किसी गांव में । वह किस मन्शा से इसकी ऑथोरिटी लेगा और किस तरह उसको ऑथोरिटी दी जायेगी और उसको ऑथोरिटी देने वाला कौन होगा और किन किन को पैसे खिलाकर या रिश्वत देकर बनाया जायेगा और वह ऐसे आदमी करीब करीब बनेंगे जो कि भ्रष्टाचार कर सकते हैं और करने का माद्दा रखते हैं । ब्लैक मार्केटिंग का भी माद्दा रखते हैं । अपने माल को छिपा करके रख देना और फिर बाद में बेचना

(श्री अनोपसिंह)

इसलिए कि उसके ऊपर बाद में ज्यादा प्रोफिट ले सकें ऐसे आदमियों को ही आप एजेन्ट बनायेंगे। हमने कई चीज़ों में देखा है कि गवर्नमेंट के सीमेन्ट का कोटा पत्थरों का कोटा ऐसा है कि यह उन्हीं को दिया जाता है कि जो कि भ्रष्टाचार कर सकते हैं और उसी को आप ऑथोराइज्ड एजेन्ट बनायेंगे। वह गांव में एक बड़ी भारी बला हो जायेगी। वह किसी भी समय कह देगा कि मेरे पास स्टाक में नहीं है और काश्तकार लोग अपना सा मुंह लेकर वापिस चले जायेंगे। इसके अलावा काश्तकार इस डर से कि अगर सरकारी सीड को काम में नहीं लेंगे तो उसके ऊपर जुर्माना हो जायेगा। तो एक तरफ तो सज़ा का डर और एक ओर ऑथोराइज्ड एजेन्ट के हाथ में आप ऐसी सत्ता दे देंगे कि वह चलते रास्ते कह देगा कि मेरे पास सीडलिंग नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो वह कम्पलसन में आकर एजेन्ट को कुछ खिलायेंगे और इससे भ्रष्टाचार होगा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि आप नई नई चीजें निकालते हैं लेकिन उस नई चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कराने के लिए उसको प्रेक्टीकल रूप देने के लिए आपके पास मशीनरी क्या है? आपकी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है हो सकता है आप उसकी तारीफ करें लेकिन मैं यह मानूंगा कि आपकी मशीनरी जनता के लायक नहीं है। आज हमारे अन्दर मोरल ड्यूटी की भावना नहीं है। हमारे पास मशीनरी स्प्रीट नहीं है कि हम जनता के लिए हैं और जनता को फायदा देंगे और गवर्नमेंट भी यह सोचे और जनता भी सोचे कि हम गवर्नमेंट में होते हुए जनता के फायदा के लिए रखे हुए हैं और हर तरह यह कोशिश करेंगे कि काश्तकारों को नुकसान न हो। काश्तकारों को मौके पर बीज़ मिले और अच्छा बीज़ मिले इन सब बातों को देखने का माद्दा पता नहीं कैसे आ रहा है। आप देख रहे हैं कि आज तो गवर्नमेन्ट मशीनरी चल रही है लेकिन एक दिन ऐसा आयेगा कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ जायेगा कि आपका जो प्रोडक्शन है धान का, उसका लेवल इतना आयेगा कि आप मुश्किल में पड़ जायेंगे। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि आप ऑथोराइज्ड एजेन्ट को गांव में एक नया पटवारी या नया ज़ागीरदार बनाकर बैठा देंगे। वह ब्लैक मार्केटिंग करेगा तो उसको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। जनता उस एजेन्ट की शिकायत करेगी आपके ऑफिसर्स जाकर इन्क्वायरी करेंगे और आप की इन्क्वायरी जिस तरह की होगी वह होगी। अगर कोई वाकई में सज़ा का अधिकारी है तो इनको सज़ा नहीं मिलती। आप ऊपर से टेलीफोन करके हेरेस करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई दुख पाता है। तो जनता दुख पाती है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, रिश्वतखोरी बढ़ेगी और जो माल टाइम पर मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। इसके सिवाय मैं यह अर्ज करूंगा कि ऑथोराइज्ड एजेन्ट के पास कौन सा गोदाम है वह उस बीज़ को कहां रखेगा। अगर सीड या सीडलिंग खराब हो गया तो आप समझेंगे कि वह वापिस जायेगा वह उसी किसान को देने की कोशिश करेगा और उसी पैसे में देने की कोशिश करेगा जिसमें कि अच्छा बीज़ आता है। वह कहेगा कि मैं सीड को तो वापिस नहीं भेज सकता खराब हो गया तो मैं नुकसान थोड़े ही भुगतने बैठूंगा। वह उसी काश्तकार को देगा और वह काश्तकार उस सड़े हुए बीज़ को इस डर से ले लेगा कि अगर मैंने नहीं लिया

(श्री अनोपसिंह)

तो प्रोसीक्यूशन करके मेरे ऊपर जुर्माना होगा। इसलिए आप यह मानते हैं कि वह ऑथोराइज्ड एजेन्ट ईमानदारी से काम कर सकेगा, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा क्या आप यह समझते हैं कि वह एजेन्ट उस बीज के भण्डार को अपने पास सुरक्षित रख सकेगा ? कहां हैं उसके पास ऐसे वेयरहाउसेज़ कहां रखेगा वह उस माल को ? उसके पास ऐसा कौनसा गोदाम है कि जिसमें वह रख दें कहां हैं उसके पास ऐसे कन्डीशन्ड वेयर हाउसेज़ कि जिनमें वह उस माल को रख दें और माल को खराब नहीं होने दे। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि आलू का सीड दिया गया उसमें से ७० पर्सेन्ट खराब निकला और वह खराब तो अब भी निकलेगा। क्योंकि आपके पास वेयरहाउसेज़ नहीं हैं इसलिए वह सड़ा हुआ माल जनता के पास जायेगा। आप इस ख्वाब में बैठे हुए हैं कि आप काश्तकारों को अच्छा बीज़ देंगे और उत्पादन बढ़ायेंगे लेकिन वह सड़ा हुआ बीज़ काश्तकारों को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका ऑथोराइज्ड एजेन्ट किस प्रकार से गांवों में काम करेगा और जो जनता में असन्तोष फैलता है उसमें आजकल तो आप को कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि आप किसान कभी रहे ही नहीं। इसलिए मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कुछ राहत देने के लिए अगर जनता के पास आज बीज़ नहीं है और उसकी कुछ कमी है तो मैं मानता हूं और सैद्धांतिक रूप से मानता हूं कि आप जो कानून आज बना रहे हैं उससे आप जनता को राहत नहीं दे सकेंगे। यह मुझे साफ अर्ज करना पड़ेगा।....

१२ मध्यान्ह

अब यह देखने की बात है कि आप उसको किस एरिया में लगावेंगे। आप उसके लिये पर्टिक्युलर एरिया सिलेक्ट करेंगे। मैं अर्ज करूंगा कि उस पर्टिक्युलर एरिया में चार तरह की ज़मीन पाई जाती है। वहां पर चार तरह का पानी आपको मिलेगा कहीं पर पानी मीठा होगा तो कहीं पर खारी पानी होगा। एक जगह बीज़ पानी के साथ सूट होता है तो दूसरी जगह नहीं होता और कहीं बीज़ ज़मीन के साथ सूट होता है तो वहां पानी के साथ सूट नही होता। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह टैक्निकल चीज़ है। आपके इस सम्बन्ध में काम करने वाले लोग इस बात का अनुभव रखते है। एक मील में चार पांच तरह की ज़मीन मिलेगी और वहां पर चार पांच किस्म का पानी मिलेगा। और यह मैं अपने अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि जहां पानी और ज़मीन के साथ बीज़ सूट नहीं करेगा। आपकी किताबी नॉलेज़ रखने वाले लोग यह कह देंगे कि यह अमुक एरिया में अच्छा होगा लेकिन वास्तव में वह उस पानी में सूट होता है या नहीं यह आपको मालूम नहीं होगा। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके कर्मचारी उनको एक तरह के बीज़ देंगे लेकिन उस तहसील के लोग चार या ५ किस्म के बीज़ों को जानते हैं कि इस प्रकार का बीज़ इस ज़मीन के लिये उपयुक्त है क्योंकि वे यह जानते है कि यहां पर पानी मीठा है और यहां पर पानी खारा है यह बीज़ इस ज़मीन के लिये ठीक होगा जो आपके कर्मचारी नहीं जान सकते। आपके पास लेबोरेट्री नहीं है जहां से की आपके पास रिपोर्ट आ सके। आपके यहां लेबोरेट्री अब बनने लगी है। आपको यह

(श्री अनोपसिंह)

मालूम होना चाहिये कि कहां पर ज़मीन में कितना एलकलाइन होना चाहिये या कहां पानी में कितना एलकलाइन इन सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिये जो आपके पास नहीं है। आप इस सम्बन्ध में अगर कानून बनायेंगे तो किसान को मज़बूर होकर वही बीज़ बोने पड़ें और जिस समय फसल अच्छी नहीं होगी तो आपके कर्मचारी यहां कहेंगे कि समझता नहीं है। बीज़ को अच्छी तरह से काम में नहीं लिया। पानी ज्यादा दे दिया होगा। या फर्टीलाइज़र कम दिया होगा इसलिये पनपा नहीं और इसका नतीजा यह होगा कि आपकी पैदावार, हिसाब से कम होती चली जाएगी और आपको नुकसान होगा और काश्तकार को भी नुकसान होगा तथा इससे असंतोष फैलेगा जिसको आप खुद देखेंगे।

अब मैं अर्ज करूं कि सबसे बड़ी चीज़ होगी जैसी अभी रवि अभियान के समय हुआ। आपने अफसर नियुक्त किये और उनको एक एक गांव सिलेक्ट करके दिया मगर मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि वे अफसर अपने गांवों में नहीं पहुंचे और जो सीड गवर्नमेन्ट ने दिया था वह गांवों में नहीं पहुँचा। यह मेरा खुद का अनुभव है। सीड वे गांवों में नहीं पहुँचा सके। यह गवर्नमेंट का प्रोग्राम था। आपके अधिकारी गांवों में आखिरी तारीख तक वहां पर बीज नहीं पहुँचा सके और वे इसलिये उस गांवों में नहीं जा सके। वे गांवों में इसलिए नहीं पहुँचे कि सीड तो हमारे पास नहीं है और पब्लिक यह कहेगी की आपने चार्ज रवि अभियान का लिया है। उन अधिकारियों ने सोचा कि न तो हमारे पास बीज है और न हम फर्टीलाइजर ही दे सकते हैं। जब हम जनता को यह नहीं देते हैं तो जनता हमारे सामने आवेगी। इसलिए उन्होंने वहां पर जाना छोड़ दिया और आपका रवि अभियान अधूरा ही रहा। आपके अफसर गांवों में नहीं पहुँचे। आपका बीज गांवों में लोगों को नहीं दिये गये। इसकी तहत में यह होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ दिखेगा। हमने उस बीज को काम में लिया है और जिस बीज को हम अच्छी तरह से जानते हैं उसको लेना चाहिये। सरकार यह कहेगी कि इस बीज को जो एप्रूव्ड है लिया जाना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, आज की एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की मशीनरी ठीक नहीं है और सिर्फ उनमें किताबी नॉलेज है। उनमें टेक्निकल हैन्ड की कमी है और लेबोरेट्री की कमी रही है। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए यह न कहें कि एक बीज हर जगह ठीक हो सकता है। हर एक जगह का पानी उस बीज को मानता है या नहीं यह नहीं कह सकते। मैं तो यह कहूँगा कि आपका इतना मोरल करेज होना चाहिये कि आप यह कह दें कि हम कई जगह फेल हो गये हैं। हम अनुभव कर के बैठे हैं। किसी का इससे नुकसान नहीं होने वाला है। हमारा यह फर्ज था कि इन बातों को हम आपके ध्यान में ले आते। अगर आप इसको नहीं मानते हैं और थर्ड डिग्री समझ कर नहीं मानते हैं तो इसका नतीजा जो होगा जो आपके सामने होगा। आप किसानों को बतायें कि अमुक बीज काम में लें, अगर आप वह बीज उनको पहुंचा नहीं सकते। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें और माननीय सदस्य ने बड़े

(श्री अनोपसिंह)

विचार के साथ सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया है, सलेक्ट कमेटी में तो क्या जावें यह तो विथड्रा होना चाहिये कि सीड की प्रायोरिटी रखनी चाहिये। इसलिए आप इस कानून को लागू मत कीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान बीज तथा बीज-पौध विधेयक, १९५८ आज सदन के सामने विचारार्थ पेश करने के लिये माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है। मैं इसका विरोध करता हूं और जयपुर से आनेवाली सदस्या ने जो इसको सलेक्ट कमेटी में जाने के लिये प्रस्ताव रखा है उसका भी मैं विरोध करता हूं। मैं इस प्रकार के विधेयक का जो जिस रूप में हमारे सामने है उसका सिद्धान्त: विरोध करता हूं, जिस रूप में वह सामने है। मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री महोदय का विशेष दृष्टिकोण हो कि जिस रूप में यह विधेयक आज हमारे सामने आया है, जिस विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि किसानों को बीज या बीज-पौधे के रूप में जो बीज राज्य सरकार द्वारा दी जावेगी वह बीज उनको काम में लाने होंगे वह बीज पौधे वह काश्तकार काम में लावेगा और यदि वह बीज और पौध काम में नहीं लाया तो उस पर डिपार्टमेंट के लोग उसका इन्स्पेक्शन करने के बाद यदि इन्स्पेक्टर इस प्रकार की रिपोर्ट दे दें कि उस स्थान पर वह एक्ट लागू था और एक्ट के द्वारा उसको बीज दिया गया और उसने एप्रूव्ड बीज काम में नहीं लिये है इसलिये उसको इस कानून के अन्तर्गत जुर्माना किया जावे। और उसको सजा दी जानी चाहिये। इस प्रकार की रिपोर्ट डाइरेक्टर एग्रीकल्चर विभाग के पास आने पर उस पर जुर्माना किया जावेगा। अगर एप्रूव्ड सीड किसी स्टोर में होंगे और कोई रिपोर्ट हुई तो उस पर भी ५००) रु० का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। माननीय सभापति इसमें प्रश्न यह खड़ा होता है कि यह बात सही है कि उद्देश्यों और कारणों में लिखा है कि हमें बीज और बीज पौधों की शुद्धता बनाये रखना चाहिये तथा अच्छी प्रकार की कृषि उपज प्राप्त करना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि कोई भी काश्तकार यह नहीं चाहता कि हमारे यहां खराब क्वालिटी का अनाज हो कोई यह नहीं चाहेगा कि उसकी प्रोडयूस नहीं बढ़े। कोई यह नहीं चाहता कि उसको राजस्थान सरकार द्वारा अच्छे बीज नहीं दिये जावें, और जब दिये जावें तो उसका लाभ नहीं उठाया जावे। अगर आप अच्छे बीज देते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई भी नागरिक या किसान ऐसा होगा जो उसका फायदा और लाभ नहीं उठावेगा। मगर सवाल यह पैदा होता है कि राज्य सरकार ने कानून में यह तो लिख दिया कि अगर कोई काम में नहीं लेगा तो उस पर जुर्माना किया जा सकेगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यदि मौके पर और सीजन पर आपने बीज सप्लाई नहीं किये तो उसके लिये क्या डिपार्टमेंट वालों को दंड दिया जावेगा और कौन इसके लिये जिम्मेदार होगा, यदि फसल के मौके पर उनको बीज नहीं दिये गये तो कौन जिम्मेदार होगा क्योंकि राजस्थान की फसल तो मानसून पर निर्भर है Indian agriculture is a gamble in the monsoon. मानसून आवे या न आवे। वर्षा आवे या न आवे। हिन्दुस्तान में वर्षा मानसून पर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

निर्भर होती है। कभी कहीं वर्षा ज्यादा होती है तो कभी बहुत कम होती है। कभी तो हम देखते हैं यहां फ्लड्स आ जाते हैं कभी वर्षा का अभाव रहता है कभी वर्षा होती नहीं। राजस्थान की कृषि अधिकतर मानसून पर निर्भर करती है। राजस्थान के कई इलाकों में तो मई और जून में ही वर्षा होने लगती है। आपके ऑर्डर्स एक तरफ जारी होंगे और आप अन्दाज लगाइये इम्प्रूड सीड पहुँचा नहीं। हमारे यहां का अनुभव बतलाता है राजस्थान सरकार के प्रशासन का जो ढांचा है वह इस बात का साक्षी है कि इस प्रकार की ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी से किस प्रकार का काम होता है। आग आज एक जगह लगती है उसकी इत्तला यहां मिलती है उसका जवाब दस दिन बाद दिया जाता है कि आग को बुझाने के लिए आवश्यक सुविधायें प्रदान की जाय। डाके और चोरियां जहां हो जाती हैं पन्द्रह दिन बाद वहां उनके मुकाबिले के लिए पुलिस भेजी जाती है। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है उस समय आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते आपका यहां से आदेश जाता है जितने में वह समय निकल जाता। जहां इस प्रकार का प्रशासन का ढांचा हो जिसमें इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो उस सरकारी मशीनरी से किसान वर्ग क्या आशा रख सकता है कि उसे उचित समय पर बीज मिल जायेगा ? आज राजस्थान के अन्दर यह सवाल पैदा किया जाता है। सदन के सामने कई बार प्रश्नों के रूप में आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता नहीं इसका कारण क्या है ? एग्रीकल्चर का विभाग जो कि एक टेक्निकल विभाग है इसका डायरेक्टर टेक्निकल होना चाहिये। सदन के सामने यह कई बार आया। जनरलडिबेट्स के समय माननीय सदस्यों ने इस बात को दोहराया कि सरकार पर दबाव डाला कि उसको परसुएड करने की कोशिश की राजस्थान की खाद्य समस्या को हल करना है खाद्य प्रोडक्शन बढ़ाना है अगर राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को रेशनेलाइज और रिऑर्गेनाइज़ करना है। तो इस बात की मांग की गई कि इस विभाग का डायरेक्टर टैक्निकल आदमी हो। माननीय मंत्री महोदय के दिमाग में यह बात डालने की कोशिश की गई कि राजस्थान का एग्रीकल्चर विभाग अच्छा नहीं हो सकता जब तक इसका डायरेक्टर टैक्निकल आदमी नहीं होगा। अब सवाल यह खड़ा होता है, आप कहते रहिये माननीय सदस्य सदन में बोलते रहें लेकिन जो कुछ हमें करना है हम वही करेंगे। जिस राजस्थान में बी० डी० ओ० मिडिल पास व्यक्ति हो सकते हैं, जेबकतरे प्रोफेसर हो सकते हैं वैसी हालत में नोन-टैक्निकल आदमी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हो यह कोई असंभव बात नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : मेरे खयाल में माननीय सदस्य रिलेवेन्सी का ध्यान रखें ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको सुनने में दुख क्यों होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दुख तो नहीं होता है लेकिन परम्परा आप अच्छी बनावें यह मेरा कहना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या मैं अपनी राय नहीं दूं।

श्री सभापति : मैं समझता हूँ माननीय सदस्य काफी सचेत हैं और आगे भी सचेत रहेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, जो बातें मैंने कही यह जानते हुये भी कि वे अप्रिय हैं और अप्रिय लगनी भी चाहिये क्योंकि आखिर इस प्रकार की बातें होती रहें और उनके बारे में यहां बोलते रहें तो वे अप्रिय लगना स्वाभाविक है, अब मैं उनका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। मैं ये बातें कह कर माननीय मंत्री महोदय को इम्प्रेस करना चाहता हूं आखिर सदन में कई माननीय सदस्य इस प्रकार के विचार प्रकट करें एस्टीमेट्स कमेटी अपनी रिपोर्ट में जिस बात के लिए जोर दे कि एग्रीकल्चर विभाग का डायरेक्टर टैक्निकल होना चाहिये फिर भी उसकी सिफारिशें कार्यान्वित न हों तो दुख होता है। आल इन्डिया एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेन्स होती है उसमें इस प्रकार के विचार आते हैं कि एग्रीकल्चर का डायरेक्टर टैक्निकल हो फिर भी आप उस पर विचार नहीं करते आपके कानों पर जूं नहीं रेंगती। आप चाहते हैं कि रबी अभियान चालू करें अच्छा बीज दें। आप देखते हैं रबी अभियान समाप्त हो गया लोगों के पास बीज नहीं पहुँचा। बैराट से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने इलाके के उदाहरण देते हुए कहा था जिस तरह का बीज हमें दिया गया उससे हमारी फसल खराब हो/ गई। आखिर आपको इस प्रकार के कानून के लगाने से लाभ क्या है ? फसलें खराब होंगी तो उसकी जिम्मेवारी किस पर होगी। बीज देने के बारे में तो आपने लिख दिया पर बीज समय पर नहीं मिलेगा, तो किसकी जिम्मेवारी होगी। अगर आपके बीज की इन्तजारी करते रहे और समय पर बीज नहीं मिल सका और दूसरा बीज न बो पाये तो कल्टीवेशन कहां से होगा, उतने में बरसात का समय निकल जायगा ये सब बातें ऐसी हैं। जिन पर विचार करना नितान्त आवश्यक है। यह आपने कह दिया कि हमने तो कानून में प्रोविजन कर दिया कि राजस्थान सरकार की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी होगी कि जिस इलाके के अन्दर यह कानून लागू किया जायगा वहां पर एडवान्स तौर पर बीज और बीज पौध मिल सकेगा अगर नहीं मिलेगा तो राजस्थान सरकार की गलती के कारण स्टोर कीपर की गलती के कारण, ऑथोराइज्ड एजेन्ट की गलती के कारण, किसान को समय पर बीज नहीं मिल सका तो यह काश्तकार की जिम्मेवारी होगी आपको इस बात का आश्वासन देना चाहिये और इस प्रकार का प्रोविज़न भी कानून में रखना चाहिये कि काश्तकारों को यदि नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस पर माननीय मंत्री महोदय कह सकते हैं कि ऐसी दशा में किसान दूसरा बीज काम में ले सकता है दूसरे बीज की वह व्यवस्था कर सकता है। एन समय पर बीज की व्यवस्था करना उसके लिए मुश्किल होगा। आज किसान की यह स्थिति नहीं कि वह कई सालों तक के लिए अपने पास बीज इकट्ठा करके रख सके। वैसी हालत में इसके लिए दूसरे लोगों से बात करनी पड़ेगी ऐसे अनुभव भी सामने आये हैं कि कभी कभी गांव में बीज मिलना मुश्किल हो जाता है। एन समय पर नोटिस देते हैं तो उसका इन्तजाम होना मुश्किल है। हमारे यहां पर बीज उपलब्ध नहीं तो वैसी हालत में वह किसान काश्त से महसूस रहता है वैसी हालत में जहां हम एप्रूव्ड सीड देकर फसल को अच्छी बनाना चाहते हैं। वहां ऐसा प्रावधान रखने से फड़,

Page No.81

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रोडक्शन घट जायगा । कल्टीवेशन ठीक नहीं होगा। मान लीजिये किसी ने एप्रूव्ड बीज को काम में लिया और उसकी खेती अच्छी नहीं हुई खराब हो गई या प्रोडक्शन कम हुआ तो वैसी हालत में. ग्रोन दी होल जो अन्न अधिक उपजाना हम चाहते हैं वह अधिक पैदा नहीं होगा इसमें प्रावधान रख दिया कोई भी इन्स्पेक्टर एग्रीकल्चर विभाग का उसको अधिकार है कि वह जाकर खेतों में देखे कि उसने एप्रूव्ड बीज बोया भी है या नहीं। यह बड़ा डिसप्यूटेड मामला है। यह कैसे मालूम कर सकेगा कि इसने एप्रूव्ड बीज बोया है। मान लीजिये उसने एक सेर तो एप्रूव्ड बीज लिया और उसके साथ चार सेर अन्य बीज बो दिया तो कौनसा बीज बोया गया यह कैसे पता चल सकेगा। ये सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें सही निर्णय नहीं हो सकता। राजस्थान की भूमि के बारे में भी हमें निर्णय लेना होगा यहां किस प्रकार सीड पैदा हो सकता है सारी भूमि के लिए एक सा बीज उपयोग में नहीं ला सकते। जब बीज का निर्णय हो जाता है तो, उसके बाद सोइल क्लासिफिकेशन का सवाल आयेगा क्लाइमेट और रेन का सवाल पैदा होगा। रेतीले इलाके में कौन से समय कौनसा बीज अच्छा पैदा हो सकता है काली भूमि में कौनसा बीज किस समय ज्यादा पैदा हो सकता है इन सब बातों का भी परीक्षण करना होगा। इसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिए यह जरूरी था कि हम, परीक्षणात्मक फार्म या डिविजन या डिस्ट्रिक्ट में खोलते उनके अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था करते। वहां पर बीजारोपण किया जाता सीड इकट्ठा किया जाता हर जिले में भूमि कैसी है ? कैसा बीज कहां कामयाब हो सकता है ये स्टेटिस्टिक्स जब आपके सामने आ जाते इस प्रकार का प्रयोग करने के बाद राजस्थान सरकार इस नतीजे पर पहुँचती तो मैं समझता हूँ वह उचित था। आपने एक्सपेरीमेन्टल फार्म खोले नहीं, सीड के प्रोक्योर करने के बारे में व्यवस्था नहीं की। इन सारी अवस्थाओं के बावजूद आप इसको लागू करना चाहते हैं तो मैं आपसे दावे के साथ कहना चाहता हूं फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं कोम्प्लीकेन्स पैदा हो जायेंगी किसानों को मुश्किल हो जायगी, आपकी डिस्ट्रिब्यूटिंग मशीनरी है वह इतने कोम्पलीकेटेड और करप्टेड हैं कि उससे यह काम ठीक प्रकार से नहीं होगा। आज हम प्रशासन का ढांचा जिस प्रकार का देखते हैं यह निश्चित है कि इसमें कोई शक का कारण नहीं कि बीज वितरण के बारे में प्रोडक्शन के बारे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

१२.१६ म० पू०

(श्री अनोपसिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारी को अगर कोई खुश नहीं कर सका फसल काटने के समय गाजर मूली की सब्जी उसको भेंट नहीं कर सकता छोले उसको दे नहीं सका तो इन्स्पेक्टर कहेगा अच्छी बात है, उसको एक साधारण सा तरीका मिल गया वह उसके खेत में जायगा और कहेगा कि तुमने एप्रूव्ड बीज काम में नहीं लाया जैसा कि कई बार मन्त्री महोदय भी कहते हैं अलग अलग बीजों का डिस्टिंशन करना बहुत मुश्किल है। गायें और भैंसों के बारे में कह सकते हैं यह सांड नागोर का है, या गाय हरियाना की है, लेकिन बीजो का पता करना मुश्किल है।

Page No.82

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसका बीज एक तरह का नहीं हो सकता । पौधा एक सा नहीं हो सकता । ऐसी परिस्थितियों में यह भी हो सकता है एप्रूव्ड सीड काम में लाया जावे जो आपके द्वारा माना हुआ है इसके बाद भी मानो बिगाड़ खड़ा हो गया । किसान कहता है मैं इसे ठीक नहीं मानता, आपका कर्मचारी कहता है यह ठीक है, इसे लेना ही पड़ेगा अब अगर खराब बीज भी कर्मचारी देना चाहे तो वह कहेगा कि या तो मेरे को कुछ दो नहीं तो मैं रिपोर्ट करता हूं, अगर कर्मचारी की नीयत बिगड़ जावे और रिपोर्ट अगर करना चाहे तो फिर क्या होगा ? कर्मचारी जरूर शिकायत करेगा । प्रोसीक्युशन चलेगा, इन्क्वायरी चलेगी, मामला लम्बा खिचेगा, लोग परेशान होंगे किसान हैरान होगा, उधर काश्त का समय होगा और उधर कोर्ट में प्रोसीक्युशन चल रहा होगा । नतीजा भयानक होगा, मुकद्दमेबाजी बढ़ेगी, आपका उत्पादन कम होगा, किसान हैरान होकर काश्त करना छोड़ देगा, बेकारी बेरोजगारी बढ़ेगी । आप चाहते हैं गांवों में मुकद्दमेबाजी कम हो, पंचायतों को काम करने दिया जावे, दूसरी तरफ आप विधान सभा में ऐसे कानून पास करने जा रहे हैं जिनके द्वारा आज लिटीगेशन का क्षेत्र बढ़ता है । आज गांव का छोटा से छोटा सकीन अपने गांव की पंचायतें द्वारा अपने मुकद्दमों का निपटारा करता है पर आपने इसमें कोई प्रावधान नहीं किया कि यह प्रोसीक्यूशन किस कोर्ट में चलेगा ? क्या पंचायतों में चलेगा, जूडिसियल कोर्ट में चलेगा, सिविल कोर्ट या मजिस्ट्रेसी में चलेगा । किनके सामने चलेगा ? अगर ये सारे केस क्रिमिनल कोर्ट में जावेंगे या पंचायतें एस्टेब्लिश करने का जो आपका उद्देश्य था, आप जो नारा लगाते थे कि न्याय सस्ता होगा, न्याय लोगों को घर बैठे मिल जावेगा, न्याय को लोगों के दरवाजों तक पहुँचा देंगे तो आप कोरा नारा लगाते हैं । काम आपके इसके खिलाफ होते हैं । एक तरफ आप इस तरह के नारे लगाते हैं दूसरी तरफ किसानों से आप कहते हैं कि अदालत में जाओ सिर्फ इस बात के लिये कि आपने कौनसा बीज बोया । आपने हमारा बताया हुआ, हमारे कर्मचारियों द्वारा बताया हुआ बीज नहीं बोया । आपने मन माना बीज बोया, चाहे भले ही उससे पैदावार बढ़ी हो या अच्छी हुई हो । आखिर आप कहते हैं कि हम तो जनता के भले के लिये हैं । यही तो बात अंग्रेज भी कहते थे । वे कहते थे कि हिन्दुस्तान पर हम हुकूमत इसलिये नहीं चाहते कि हमें हुकूमत करने का कोई शौक है, या राज कायम रखना चाहते हैं बल्कि इसलिये है कि हम आपको सभ्य बनाना चाहते हैं । हम आपको हुकूमत करना सिखाना चाहते हैं, सिविलाइज्ड बनाना चाहते हैं । दुनियां की वे सारी चीजें, विज्ञान का चमत्कार बताना चाहते हैं जो आपने आज तक नहीं देखा । This is nothing but यह हमारी परम्परा है । मैं समझता हूं कि किसान की गरीबी को मिटाने के नाम पर, खाद्य समस्या हल करने नाम पर सीड और सीडलिंग के नाम पर उन्हें वितरण के करने के बारे में कानून आप यहां लाये हैं । मैं समझता हूं इसकी चीज आप भले के नाम से लावेंगे पर वह भला करने वाले आप नहीं हैं । भलाई के नाम पर आप यह कानून लाये हैं । पर मैं कहता हूं यह कानून अभी बहुत प्रीमेचर स्टेज में है । अभी आपको राजस्थान में बीज पौध के बारे में बहुत एक्सपेरीमेन्ट करने हैं । आप

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पहले प्रयोग कर लीजिये । इसके बाद जब वातावरण तैयार हो जावे तो फ्री मार्केट में आवें । आप कानून के द्वारा ही प्रत्येक चीज को क्यों लागू करना चाहते हैं । यह कौनसी जिन्दगी का आपको तरीका है । आप जानते हैं आपकी मशीनरी करप्ट है, भ्रष्टाचार उसमें काफी फैला हुआ, है वह किस तरह से काम करती है, यह भी आप जानते हैं, हम सब जानते हैं । तो आपका यह तरीका ठीक नहीं है । आप तो कभी यह भी कहने लगेंगे और कानून भी बना डालेंगे कि पानी भी अगर खेत में देना है तो इसी नहर का देना होगा । हल भी ऐसा ही लाना होगा, इस प्रकार काटना बोना होगा । आप जा किस दिशा में रहे हैं ? समाज को और किसान को आप किस तरफ ले जा रहे हैं । जोर जब्बर का यह रास्ता आपको मंहगा पड़ेगा, सबको मंहगा पड़ेगा । यहां जोर जब्बर का सवाल नहीं खड़ा होता । आप एक और पंचशील की बात कहते हैं, नारा लगाते हैं सब का दिल मिलना चाहिये, सहकारिता का नारा लगाते हैं, और दूसरी तरफ आप विवाह के पवित्र बन्धन को तोड़ने का प्रावधान करते हैं । विवाह का पवित्र बन्धन आप नहीं मानते । कहते हैं दो का मन नहीं मिलता तो अलग हो सकते हैं । दो का मन मिले तो रहना चाहिये । पर आप उस पवित्र विवाह के बन्धन को भी आज तोड़ने की व्यवस्था कानून में करते हैं । दूसरी तरफ आप इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्था करने जा रहे हैं कि मन मिले या नहीं मिले, किसान चाहे या नहीं, पर हम कहेंगे वह बीज उनको बोना होगा, वही पौध उनको लगानी होगी । हम चाहते हैं इस प्रकार का कानून लाना, इस प्रकार समाज की व्यवस्था में हेर फेर करना और कानून के जरिये प्रत्येक चीज को लागू करने की हमारी यह मनोवृत्ति बड़ी कुत्सित और निन्दनीय मनोवृत्ति है । यह मनोवृत्ति लोकतन्त्र को पनपने नहीं देगी । आप प्रत्येक चीज को सेन्ट्रेलाइज़ करना चाहते हैं । हर एक चीज की ताकत अपने हाथ में रखना चाहते हैं । आप लोगों को डिक्टेटर की तरह डिक्टेट करना चाहते हैं । आप उन पर जबर्दस्ती यह डिक्टेट करना चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें इसी प्रकार का बीज काम में लाना होगा । इस प्रकार की प्रवृत्तियां नहीं एक और अव्यवहारिक होंगी दूसरी ओर फेल्योर भी होंगी और इसके अलावा इस प्रकार की बढ़ती हुई प्रवृत्तियां राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र के लिये खतरा होंगी । इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि इस सारे मसले पर गम्भीरता से विचार करें और कानून जो पेश किया है, मैं अन्त में फिर निवेदन करूंगा, कि इसको वापिस ले लें । एक परिस्थिति आ सकती है जब वह स्थिति आवे, वातावरण बन जावे, तो फिर विचार करेंगे इस पर । पर आज की परिस्थितियों में यह कानून विचारार्थ रखने के लायक नहीं है, पेश करने और पास करने का तो सवाल खड़ा नहीं होता । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : सभापति महोदय, एक बिल पर काफी दिनों से तो नहीं पर दो तीन दिन से बहस चल रही है । माननीय मन्त्री जी बार बार उठने की कोशिश करते है और यह आप समझते हैं कि यह छोटा सा बिल है खास उसमें कोई बात नहीं है । परन्तु सैद्धान्तिक रूप से देखा जावे तो

(श्री लच्छूराम)

किसान के लिये तो यह एक तरह की जबर्दस्ती की चीज है। एक तरफ आप जनतन्त्र का नारा लगाते हैं और उस जमाने में जैसा कि आजकल अखबारों का नया टापिक है तिब्बत के मामले में तो इस प्रकार से उन भोले भाले किसानों पर इस प्रकार का कुठाराघात करना....

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य मुंह माइक से पीछे रखें तो हमें भी थोड़ा सुनाई दे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह बीज वितरण न करके माइक को ठीक तरह रखाने की व्यवस्था करें तो अच्छा हो।

(हंसी)

श्री लच्छूराम : यह बीज नियन्त्रण का कानून किसान के ऊपर उसकी व्यक्तिगत अधिकारों पर कुठाराघात होगा।

सब से बड़ी खामी जो इसमें नज़र आई वह यह है कि गवर्नमेन्ट ने तो किसान को ऑर्डर दे दिया कि वह हम जो बीज दें वही बोये पर अगर गवर्नमेन्ट ने समय पर बीज उसको नहीं दिया और स्वयं गवर्नन्ट ठीक व्यवस्था न कर पावे तो उस पर क्या जुर्माना की व्यवस्था है ? उस पर क्या जिम्मेदारी है। किसान पर तो जुर्माने की भी व्यवस्था आप कर रहे हैं, पर आपके लिये क्या व्यवस्था है अगर आप समय पर बीज उसे न दे सकें तो, जैसे एक फसल वाला इलाका है कोई, और वहां बरसात पर ही बीज बोया जाता है और बरसात का समय नियत नहीं है। प्रायः कर के जुलाई में बरसात होती है। अब अगर अचानक जून में हो गई और बाजरे का नियम होता है कि बरसात होते ही एक दो दिनमें बीज बो देना चाहिये अब उस समय अगर सरकार बीज न दे पाई और किसान इस तरह से बीज बोने से महरुम रह गया तो इसके लिये सरकार पर क्या प्रतिबन्ध है ? यह तो किसान पर ही क्यों ? क्योंकि वह गरीब है, भोला है इसलिये उसी पर प्रतिबन्ध हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, सरकार समर्थ है, सत्ताधारी है उस पर कोई प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं है। अब तक किसान चारों तरफ से बन्धन में था यही उसको एक आजादी थी कि बीज वह अपने मन का अपनी मरजी से बो सकता था। किस जमीन में किस बीज की आवश्यकता है इसको समझ कर वह बीज बो सकता था, किस जमीन में ग्वार की आवश्यकता है, किस में ज्वार की और बाजरे की आवश्यकता है इस आवश्यकता के अनुसार उसको समझ कर किसान बीज बो सकता था पर आज वह स्वतन्त्रता भी उसकी नहीं रह गई है। परन्तु हमारी यह किसान विरोधी सरकार है। किसानों को सब तरफ से दबाना चाहती है। खाते दारी के राइट्स तो छीन ही लिए हैं और अब तक जो किसान अपनी स्वेच्छा से खेती किया करते थे और अपने खेत में अपने मन चाही चीज़ बोते थे उस अधिकार को भी अब सरकार अपने हाथ में ले रही है। तो इस प्रकार का जो नियंत्रण है यह बिल्कुल ही जनतन्त्र के ज़माने में बहुत ही बेहूदा है। दूसरी बात सभापति महोदय, यह है कि इस बिल को बनाने के पहले हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास इतने शिक्षित अधिकारी हैं कि जो इन कानून को अच्छी तरह से लागू कर सकते हो। क्या हमारे

(श्री लच्छूराम)

कृषि अधिकारियों को इतना ज्ञान है कि वह बता सकें कि किसी प्रकार की ज़मीन में किस प्रकार के बीजों की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हमारे पास टैक्निकल हैंड्स की बहुत कमी है जो कि इस कानून को लागू कर सकें। इसलिए इतनी जल्दबाज़ी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि हमारे पास काफी टैक्निकल हैंड हो जायेंगे उस समय इस प्रकार का कानून बनाया जाये तो ठीक हो। हमारे यहां इतनी अशिक्षा है तो इस समय इस प्रकार के कानून को थोपने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक माननीय कृषि अधिकारी कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी में चलते चलते सत्यानाशी के कुछ पौधे आये, वह पौधे किसी काम के नहीं होते और यों ही उग आते हैं तो गाड़ी से जाते जाते अधिकारी महोदय ने फर्माया कि गेहूं की फसल तो बहुत अच्छी है। सत्यानाशी के पौधे के पीले पीले फूल आते हैं तो उसने कहा कि गेहूँ की फसल तो बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार के अधिकारियों को इस प्रकार के अधिकार दे दें तो बन्दर के हाथ में कुल्हाड़ी के सिवाय कुछ नहीं है। अगर इस प्रकार का बिल पास करना है तो हमें ठहर कर दो वर्ष या पांच वर्ष जब तक हम कृषि के बारे में काफी प्रयोग कर लें और फिर उस समय इस प्रकार के बिल को लायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

दूसरी बात यह है कि हमारे सामने विकास खण्डों द्वारा इस दिशा में हुई उन्नति के आंकड़े हैं। हमारे हर एक माननीय सदस्य जानते हैं कि विकास के अन्दर बीज समय पर सप्लाई नहीं होता। क्योंकि विकास विभाग बीज टेन्डरों के अनुसार बीज लेता है और वह सड़ा गला बीज होता है और इसके बारे में सदन के अन्दर ही कई बार वादविवाद हो चुका है। किसानों ने अपने मन से जो धान बोया उससे तो दो–तीन मन फी बीघा पैदावार हुई और जो सरकार द्वारा बीज मिला उसको बोया तो २०–२५ सेर फी बीघा ही पैदावार हुई। तो इस प्रकार हम यह सब जानते हुए कि अभी तक हमारी सरकार इस पर अच्छी तरह से कन्ट्रोल नहीं कर सकी है। कृषि के अन्दर फिर भी इस प्रकार के कानून को थोपने की क्या आवश्यकता है? क्या यह जनतंत्र के खिलाफ नहीं होगा। हां, इसका जो उद्देश्य है वह तो माननीय मंत्री जी ने ठीक फर्माया है। इससे क्या होगा कि वैज्ञानिक आधार पर खेती होगी और देश केअन्दर उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन बात बिलकुल इसके विपरीत रहेगी। हमारे उत्पादन के मामले में हो सकता है कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करने से उत्पादन बढ़े। पर यह तो तभी हो सकता है कि हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करना जानते हों। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे पास टैक्निकल हैंडस नहीं होते हैं उस समय तक इस प्रकार के कानून पास करने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरे जैसा कि एक माननीय सदस्य ने फरमाया कि एक दम से हम एकीकरण करने की सोच रहे हैं और न्याय को नज़दीक से नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी बलवंतराय मेहता कमेटी के अनुसार एक हजार की आबादी पर पंचायतें होंगी और इधर अगर किसी काश्तकार ने कृषि अधिकारी का बीज नहीं बोया तो कृषि अधिकारी उस पर जुर्माना करेगा और उस जुर्माने को माफ कराने के लिए अदालत के पास वह

(श्री लच्छूराम)

काश्तकार जायेगा। तो एक तरफ तो हम डी-सेन्ट्रलाइजेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे मुकदमों को बढ़ावा दे रहे हैं जिनके लिए उसको अदालत में जाना होगा। मेरे खयाल से इस कानून के पास हो जाने के बाद इस तरह के बहुत से केसेज़ होंगे...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : There is no Minister on Treasury Benches.

श्री लच्छूराम : मंत्री महोदय उपस्थित तो तब हों जब कि वह इन्टरेस्टेड हों वह तो सत्यानाशी के पौधे को गेहूं की फसल बताते हैं। इस प्रकार से कोई खास असर नहीं होता। आज हम प्रयत्न तो इस बात का करते हैं कि लिटीगेशन को कम किया जाये पर इससे तो लिटीगेशन के केसेज़ और भी ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि इस समय यह प्रजातंत्र का युग है और हर आदमी को अधिकार हैं और कृषि अधिकारी अपने अधिकारों का नाजाइज़ फायदा उटायेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे पास टैक्नीकल हैंड्स नहीं हों उस समय तक कानून बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको अभी ही जरूरी समझते हैं तो फिर इसको जनमत के लिए प्रसारित कर दिया जाये। तो मेरी यह मंशा है कि इस बिल को आप जनमत के लिए प्रसारित करने के लिए भेज दें। अगर जनमत इसके पक्ष में है तो आप इसको रख दें वरना फिलहाल इसकी कोई आवश्ककता नहीं है नहीं तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार के बिल पास कराना किसान विरोधी कार्य करना है और मैं यह कहूँगा कि इससे साफ जाहिर है कि सरकार किसान विरोधी है।

श्री सभापति : श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह एक छोटा सा बिल है और इसके ऊपर वादविवाद बहुत ही जोश और खरोश के साथ हुआ और यहां तक यह कह दिया गया कि इस बिल के पास होने से प्रजातंत्र को खतरा है, काश्तकार बरबाद हो जायेंगे और जहां विकेन्द्रीकरण हो रहा है वहां वापिस केन्द्रीयकरण हो जायेगा। मेरी समझ में नहीं आया कि इस प्रकार से कैसे कहा जाता है। यह जो बिल है यह बिल इसलिए है कि अच्छा बीज जहां भी सरकार एरिया निश्चित करे वहां बोया जाये और उससे वापिस लिया जाये। और जिस एरिया को सरकार मुकर्रर करे उसमें दूसरा बीज नहीं बोया जाये, जो बीज बोया जाये वह सरकार वापिस ले ले। लेकिन यह कहना कि इससे प्रजातंत्र को खतरा है और सारी दुनियां को खतरा है, यह कैसे हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब जानते हैं और राजस्थान के लोग जानते हैं और सारे देश के लोग भी जानते कि देश में अन्न की काफी कमी है और यह भी जानते हैं कि हमारे यहां राजस्थान में अच्छा बीज नहीं मिलता है। अभी यह भी कहा गया कि राजस्थान सरकार अच्छा बीज नहीं देती और फिर इतनी मात्रा में भी बीज नहीं है कि वह बीज बेच सके। यह सब होते हुए भी इसका कारण भी आपने कभी सोचा ? क्या इसके कारणों को देखा कि आज हमें जो बीज लाना पड़ता है, वह बाहर से लाना पड़ता है और जो बीज हम बाहर से लाते हैं उसकी व्यवस्था आज हमें अपने ही राज्य में करनी है और इसीलिए आज

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

यह कानून लाने की व्यवस्था करनी पड़ी। हम यह कह दें कि आज सारे राजस्थान को मुहैया नहीं कर सकते और दूसरे प्रदेश हमें उतना अच्छा बीज दे नहीं सकते इसलिए यह कानून आया। जहां जो बीज अच्छी पैदा हो सकती है और वह बीज पैदा करेंगे और उस बीज को ज्यादा से ज्यादा अपने यहां इकट्ठी करेंगे और दूसरे इलाकों में वितरण करेंगे, इस कारण आज यह बिल हमारे सामने है। अब यह कहें कि हर आदमी अपनी तरक्की सोचता है, हर आदमी अपना अच्छा चाहता है। लेकिन साथ ही हमें यह भी सोचना है कि अगर आप सारे राजस्थान में जिस प्रकार आजकल बीज वितरण किया जाता है सरकार की ओर से उसका कोई उपयोग नहीं होता। हर साल दूसरे प्रदेशों से हजारों मन गल्ला हमें लाना पड़ता है और फिर भी हमारे यहां अच्छा बीज नहीं प्राप्त होता। क्यों नहीं होता? कहीं एक बीज के दूसरे बीज चले जाते हैं तो इस प्रकार से न तो वह इकट्ठा किया जा सकता है और न काश्तकार उसको इकट्ठा करके रखते हैं और वह तो उसे बेच देते हैं आखिरकार सरकार को ही मुश्किल होती है। उसमें फिर यह आलोचना होती है कि काश्तकारों को अच्छा बीज़ नहीं दिया जाता है। समय पर कैसे बीज़ दे और समय पर बीज नहीं दे पाने का कारण यही है कि दूसरे प्रदेशों से लकर बीज़ सरकार को काश्तकारों को देना पड़ता है, जब हमारे पास आयेगा तभी तो वितरण किया जायेगा....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): इसका मतलब यह हुआ कि अब कानून से बीज़ होगा और दूसरे प्रदेशों से बीज़ नहीं आयेगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: माननीय सदस्य बड़े ही व्याकुल हैं कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने शांतिपूर्वक आपका भाषण सुना सभापति महोदय इनको भी आदेश दें कि शांति से सुनें तो अच्छा होगा। आज काश्तकारों की भलाई की वह बात करते हैं। हो सकता है कि यह कहें कि हम काश्तकारों के लिए भलाई की बात सोचते हैं मैं कहता हूं कि अगर वह काश्तकारों की भलाई की बात सोचते तो आज देश की हालत यह नहीं होती। आज देश को ऊंचा उठाने के लिए और काश्तकारों की हालत सुधारने के लिए सरकार यह कानून बनाना चाहती है और देश में अच्छे बीज़ का उत्पादन कराना चाहती है। पर ये तो चाहते हैं कि कहीं कांग्रेस का शासन अच्छा न चल जाये इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। यह इनका दिमाग है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बातें बताई जाती हैं कि यह तो काश्तकारों के नुकसान की है और जो आज उनको गुमराह करने की कोशिश की जाती है पर मैं आपको बता दूं कि काश्तकारों का ज्यादा फायदा सोचने वाली आज कांग्रेस ही है और जो कुछ कांग्रेस ने कानून अब तक पास किये हैं वह काश्तकारों की भलाई के लिए किये। यह कानून पास हो जाने दीजिए, आपको प्रोपेगन्डा का मौका मिलेगा लेकिन कांग्रेस सरकार जो चाहती है वह यह चाहती है कि हमारे प्रदेश का अन्न का उत्पादन बढ़े। देश अपने पैरों पर खड़ा हो और जो बीज़ दूसरी जगह से लाना पड़ता है वह न लाना पड़े।...

श्री होतीलाल (भरतपुर) : सभापति महोदय, इस भाषण की यहां क्या रिलेवेन्सी है कि हमारे यहां हुआ नहीं हुआ....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करूंगा कि यह बिलकुल रिलेवेन्सी का सवाल है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर सिर्फ इतना सा सवाल कि हम जिस एरिया को मुकर्रर करना चाहते हैं वहां पर अच्छा बीज बोया जाये और वापिस उनसे एप्रूव्ड बीज ले लिया जाये, केवल इतना सा सवाल है अब यह कहा गया कि कांग्रेस वालों को कृषि का कोई ज्ञान नहीं है कहीं लाल मिट्टी होगी कहीं पीली होगी तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि काली मिट्टी को विरोधी पक्ष ही नहीं बल्कि कांग्रेसी पक्ष के लोग भी सब जानते हैं । वह यहां की स्थिति से वाकिफ हैं और यहां राजस्थान में ही उनके बाप दादे काश्त करते थे और खेती करते करते ही उनके दिन गुजरे हैं । ऐसी स्थिति में यह सोचना कि विरोधी पक्ष ही ऐसा सोचता है यह बात नहीं है । हमारे पास भी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जांच कराई जायेगी । यह सारे राजस्थान में लागू किया जायेगा तो ठीक होगा । यह तो पहले ही कह दिया गया है कि एक एरिया निश्चित होगा और उसमें ही यह लागू किया जायेगा । इसलिए मैं कहता हूं कि घबराने की बात नहीं है । यह बिल ऐसा है कि जिसको पास करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा प्रदेश आत्म निर्भर हो और दूसरों पर निर्भर न हो ।

श्री सभापति : अब माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि बहुत सी बातें जो उन्होंने कही हैं....

श्री मोहरसिंह (चुरू) : सभापति महोदय, कई बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं ।

श्री सभापति : वक्त कम रह गया है और मंत्री महोदय जवाब देंगे ।

श्री मोहरसिंह : आप सुन तो लीजिए । करीब करीब सभी बातें सदन के सामने आ चुकी हैं ।

सभापति महोदय, मैं केवल पांच मिनट ही बोलूंगा ।

श्री सभापति : अगर आप (श्री नाथूराम मिर्धा) चाहें तो पांच मिनट दे सकते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, इस सदन में दो तीन घन्टे से इस मुद्दे पर बहस हो रही है । अब ५ मिनट और अधिक दे दें तो मैं सारे पॉइन्ट को कवर नहीं कर पाऊंगा ।

श्री मोहरसिंह : अभी १५ मिनट हैं और ५ मिनट बोलने के बाद में फिर १० मिनट रह जाते हैं और दस मिनट में आप जवाब दे पायेंगे ।

श्री सभापति : Order please, order. I have given my ruling. He has to reply now.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति, यह विधेयक जो कि अच्छे बीज....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, अच्छे बीज की पौध को

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हम जिस एरिया को गज़ट में नोटीफाई करें उस एरिया में उस शुद्ध बीज़ को लोग उगायें और शुद्ध तरीके से बीज़ का वितरण हो यह व्यवस्था इस बिल के ज़रिये हम करना चाहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: आप सुन लीजिए। हमारे देश भारतवर्ष में जब ८० पर्सेन्ट लोग ज़मीन पर खेती करते हैं। यह भी मैं सदन में कई दफा कह चुका हूं और सदन के लोग जानते हैं कि हमारे देश की ज़मीन से फी एकड़ फी बीघा जो उत्पादन होता है वह दुनियां के दूसरे देशों से करीब करीब लोएस्ट हमारे देश का उत्पादन आता है। अगर हम हमारे देश की फी एकड़ और फी बीघा प्रोडक्शन खेती का बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे देशों के लेवल तक ले जाना चाहते हैं जिनकी पोटेन्शेलिटी हमारे देश में विद्यमान है वह प्रोडक्शन की पोटेन्शेलिटी दूसरे देशों के मुकाबिले में पीछे न रहे इन सारे प्रयत्नों को करने के लिए हमने पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में खेतीबारी के इन तरीकों को काम में लाना चाहते हैं जो कि वैज्ञानिक हों जिनके ज़रिये हमारे देश की फी एकड़ प्रोडक्शन बढ़ सके। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एग्रीकल्चर विभाग जो कि अलग अलग प्रान्तों के हैं वे इस दिशा में काफी प्रयत्नशील हैं। यह प्रयत्न इतने बड़े देश के लिए इतनी पापुलेशन को कवर करने के लिए इतने लिमिटेड समय में और बहुत लिमिटेड टाइम में नहीं किया जा सकता। यह प्रयत्न सब ग्रेजुएली होंगे और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यह बिल जो इस विधान सभा के समक्ष पेश किया है। माननीय सभापति महोदय, यह हमारे देश की निर्धारित नीति है कि हमें शुद्ध बीज़ का प्रयोग सब इलाकों में करना चाहिए। और शुद्ध बीज़ का उपयोग सभी जगह करवाना होगा। यह चीज़ हमारे सामने है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये हमने यह बिल इस विधान सभा के समक्ष पेश किया है। माननीय सभापति महोदय, अभी जो इस सदन में बहस हुई और एक प्रस्ताव इस सदन के समक्ष आया कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाये इसके साथ ही साथ जिन माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया उनमें से कुछ ने यह ज़ाहिर किया कि यह बिल अभी राजस्थान में पास नहीं होना चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए और इसके अलावा यह भी कहा कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। यहां तक भी कहा कि यह किसानों के ऊपर एक प्रकार से कम्प्लशन होगा कि हम इस प्रकार के कानून को किसानों के ऊपर थोपें। बहुत से माननीय सदस्यों ने जिन्होंने बहस में भाग लिया उन्होंने कहा कि हमारे देश के किसान पीढ़ियों से काश्त करते आये हैं और वे सब इन बातों को जानते हैं और देश की ज़मीन की अलग अलग किस्में हैं और एक ही गांव में कई तरह की ज़मीन है और यह किसान जानता है कि किस ज़मीन में कैसा पानी काम में लाया जाये, किस तरह से खेती को किया जाये और किस तरह का बीज़ काम में लाया जाये और आपका एग्रीकल्चर विभाग जो कि सर्वे सर्वा इसका क्लेम करने लगता है कि हम सुधरा हुआ बीज़ अमुक जगह कि जहां इस कानून को लागू किया जायेगा उस जगह काम में लेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा)

तो उनका जो किसानों का जो एक्सपीरियन्स है अभी भी डिपार्टमेंट के एक्सपीरियन्स से, कई माननीय सदस्यों की मान्यता थी कि बढ़ा हुआ है और ज्यादा अच्छे तरीके से वे काम कर सकते हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय आपके जरिये उन माननीय सदस्यों को नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हम हिन्दुस्तान के किसानों का जिक्र करते हैं तो मैं भी स्वयं कई दफा कह चुका हूं कि काफी अपने मामलों के अन्दर जो कि इस काम को पीढ़ियों से करते हैं खेती के बारे में समझते हैं, लेकिन उन तरीकों को नहीं समझते हैं जो कि बहुत साइन्टीफिक हैं और बहुत वैज्ञानिक हैं। जिनको यद्यपि समझने की शक्ति न पुराने में मौजूद थी और न आज दिन मौजूद है। वह ज्ञान पहले से लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से सब चीजों का विकास होता है तो कृषि के तरीकों में, कृषि के मामलों में भी निरन्तर बराबर विस्तार होता जा रहा है। लगातार उसमें रिसर्च हो रही है और रिसर्च के रिज़ल्टस को हम फील्ड्स तक पहुँचाना चाहते हैं, और उनके पहुँचाने से देश के किसानों की तरक्की हो सकती है, और होगी। इसलिए यह बात तो मानकर चलें कि हमारे यहां के किसान चाहे कितने ही होशियार हों वे अपने पुराने तरीकों को समझते हैं। इन सारी बातों को जो कृषि के ज्ञान का विस्तार लगातार हो रहा है, ज्ञान के उस विस्तार के ज़रिये, रिसर्च के जरिये और देशों में काम होता है उनको फील्ड्स में लागू करवाना बेटर रिज़ल्ट्स को प्रोडक्शन के काम में लाना लेजिस्लेचर का, जनता का और सरकार का फ़र्ज़ हो जाता है कि उस दिशा में लोगों को आगे लाया जाय और आगे बढ़ाया जाय। मैं आपके ज़रिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक बात है कि राजस्थान के अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की सोइल है। यह सब इलाकों में एक तरफ से सब जगह पर लागू नहीं किया जा सकता है। इस बात को विभाग भी मानता है। हम समझते हैं हम राजस्थान को इस प्रकार से कवर नहीं कर सकते हैं और कवर करने की क्षमता अभी है भी नहीं। न इतनी अच्छी किस्म के बीज सब प्रकार के उपलब्ध हैं। ज़मीनों के अन्दर फर्क है। जमीन की फर्टीलिटी, जमीनों में अलग अलग प्रकार की शक्ति है। उस कारण से सोइल के कन्टेन्ट्स क्या हैं, सोइल के कन्टेन्ट्स को एग्ज़ामिन लेबोरेटरी में करके इस कानून को लागू करने जायेंगे। इस बात की पूरी जानकारी हम किसानों के पास देंगे कि अमुक अमुक प्रकार के फर्टीलाइज़र्स अमुक प्रकार की जमीनों में दें और इस प्रकार से उस कमी को पूरा करके अमुक प्रकार की खेती को काम में लावें। अमुक प्रकार के सल्फेट और नाइट्रेट यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद अमुक प्रकार के बीज बोयें तो एक एरिया के लिए ज्यादा फर्क नहीं आता है। मैं मिसाल के तौर पर बताऊं कि हम चम्बल की योजना बनाने जा रहे हैं तो उस इलाके की सोइल को टेस्ट करके उस इलाके में क्राप का क्या पेटर्न होगा उसके आधार पर एक बुकलेट, एक किताब के रूप में वह चीज़ तैयार की है। और वह इस प्रकार से बतलायेगी कि अमुक एग्रीकल्चर का पेटर्न उस इलाके में होगा। उस सोइल में जितनी कमियां हैं उनको किस प्रकार से और किस तरह से दूर किया जा सकता है, सारे तरीके किसानों को समझा कर यह कहेंगे कि अमुक प्रकार का कपास उस इलाके में करो, या

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अमुक प्रकार का सोयाबीन का या व्हीट का बीज उस एरिया में लागू करो। यह सारी व्यवस्था आज हमारे पास मौजूद है। उसके बेसिक डेटाज़ इकट्ठे कर लिये हैं। ऐसे इलाकों में सुधरे हुए बीजों को बोयेंगे। यह सच है कि अच्छे बीजों की कमी है, परन्तु फिर भी बहुत सी जगह सरकार ने सीड मल्टीप्लीकेशन फार्मस कायम किये हैं। उनके रिजल्ट्स इस साल से आने चालू हुए हैं। काफी मात्रा में टेस्टेड, सुधरे हुए बीज इस तरह से आ सकते हैं। गवर्नमेंट फार्म पर पैदा होंगे। इस प्रकार का बड़ा फार्म एक सूरतगढ़ में है। वह काफी मिकदार में, काफी मात्रा में इस प्रकार के बीज पैदा करेगा। कुछ इलाकों में जहां कि निश्चित तौर से हम यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि इतने गांव इस स्कीम के अन्दर आ जाते हैं उसमें यह लागू करेंगे। उस इलाके के अन्दर किसी दूसरे प्रकार का बीज नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उसी प्रकार का बीज देंगे। उसको किसान काम में लाये जो जमीन इस प्रकार से टेस्टेड है उनमें वह उसी प्रकार के बीज बोये।

उसके बाद में जो एजेन्ट प्रेस्काइब्ड हैं उनके लिए कहा गया है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता की तरफ जोर चल रहा है। सहकारी समिति गांव के अन्दर बनेंगी वे बीज वितरण का काम करेंगी। वे गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड एजेन्ट होंगे उनके ज़रिये पार्टिक्यूलर क्राप एरिया में कुछ गांव सामूहिक रूप से मानलें एक ब्लाक है बीज वितरण होगा। इस तरह से एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में आगे बढ़ सकते हैं। जितने एरिया को अच्छी तरह से कन्ट्रोल कर सकेंगे, जिनकी व्यवस्था पूरी तरह से कर सकेंगे और इतनी मिकदार में बीज अच्छी किस्म का आजाता है सब किसानों के लायक और यह डेटा उस जमीन के बारे में हमारे पास होंगे कि इस प्रकार के फर्टीलाइज़र्स वहां पर काम में लाये जायं तो वह सुधरे हुए बीज हम उस अमुक इलाके में लागू करेंगे तो डेफिनिटली प्रोडक्शन में फर्क आयेगा। उस चीज को करने के लिए जब तक यह कन्ट्रोल नहीं रखें कि किसान एक ही तरह का बीज उस इलाके के अन्दर बोये और भिन्न भिन्न प्रकार के बीज चलते रहें....

श्री दलपतसिंह (आबू) : यह काम राजी से होना चाहिये न कि लॉ के एन्फोर्समेंट से ही सब काम होना चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : लॉ की सहायता कितनी ली है। वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। लॉ की सहायता इतनी ली है कि उस इलाके के अन्दर फिर भी कोई किसान जिद्द करता रहता है। सारे प्रयोग रिजल्ट्स यह हम बता देते हैं कि इसको करने से निश्चित् तौर से अच्छे रिज़ल्ट्स आयेंगे. लेकिन जिद्द के तौर पर नहीं करना चाहता है है, और वह एक प्रकार का वातावरण उस इलाके के अन्दर बनाता है, उस चीज़ को काम में लेता है, फायदे की बात नहीं करता है, मिसचीफ के तरीके से कर सकता है। बददियानती से कर सकता है। उसका कन्ट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं ? जानबूझ कर इस स्कीम को फेल करने के तरीके से ज़िद्द करता है तो निश्चित् तौर से हम उस आदमी से कहेंगे कि आप इस प्रकार के बीज काम में नहीं लाते हो तो जुर्माना करेंगें। और जुर्माना भी क्या है १००) रु०

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तक ही करेंगे, और उसके बारे में छोटे ऑफिसरों से यह जानकर कि हेरसमेंट नहीं हो इसकी कम्प्लेंट को प्रोसीक्यूट करने के लिए डाइरेक्टर को अख्तियार दिये हैं। वे प्रोसीक्यूट करेंगे या उसका मुकर्रर किया हुआ स्पेशल ऑफिसर शिकायत करेगा तभी इस संबंध में कदम उठाये जायेंगे और वह जुर्माना भी १००) रु० तक का है। फिर यह भी बात है कि गांव में ऑथोराइज्ड एजेन्ट मुकर्रर कर देते हैं वह सुधरे हुए बीज ऑथोराइज्ड एजेन्ट आदमियों को नहीं बेचता है देरी से करके देते है तो वह स्कीम को फेल कर देते हैं। वह बदमाशी ऑथोराइज्ड एजेन्ट अगर करता है तो आप जुर्माना कर सकते हैं। इसलिए यह जुर्माना रखा है।

दूसरी उसके अन्दर एक क्लॉज़ है कि आफेन्स को एबेटमेंट की है ....

श्री होतीलाल (भरतपुर) : On a Point of Clarification Sir. इसके लिए मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि उदाहरण के लिए कोई किसान यह चाहता है कि फला खेत में वह गेहूं बोना चाहता है या किसी में वह बोना चाहता है तो आपका क्या इतना ही हस्तक्षेप होगा या बढ़िया बीज गेहूँ के देने का ही सवाल है या सरकार यह कहे कि तुम सरसों नहीं बोओ केवल गेहूं ही बोओ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस वक्त इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्राप पेटर्न जिस तरह का है अगर वहां पर खेत में कोई सरसों बोना चाहता है तो सरसों बोये। अगर उस इलाके में गेहू का सुधरा हुआ बीज लागू किया जाता है तो जिस रकबे में वह गेहूँ बोना चाहता है उस रकबे में गेहूं का वह बीज उसको काम में लाना पड़ेगा। बाकी दूसरी क्राप के बारे में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेन्स नहीं है।

श्री होतीलाल : मेरा जो प्रश्न था वह यह था कि एक खेत में आज वह चना भी बोता है सरसों भी बोता है तो क्या आप उस इलाके में फार वन काइन्ड ऑफ ग्रेन की क्राप के लिए कहेंगे।

श्री नाथुराम मिर्धा : ऐसा नहीं होगा सारी क्राप बोता रहेगा। खरीफ के इलाकों से आने वाले माननीय सदस्यों ने बाज़री पर बहुत जोर दिया। हमारे पास में न तो बाजरी के इतने सुधरे हुए बीज हैं और न उसमें पूरी रिसर्च कर पाये हैं इसलिए उस क्रोप को अभी हम टच नहीं करना चाहते हैं, राजस्थान के उस इलाके को। जैसा कि हमने जिनके एक्सपेरीमेन्टस कर लिये है...

एक माननीय सदस्य : क्या रिज़ल्ट आया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कह रहा हूं कि कि सर्वे से अच्छे रिज़ल्ट्स गेहूं के बीज के बारे में और कपास के बीज के बारे में आये हैं।

श्री होतीलाल : मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना था कि आपने गेहूं के बीज को सिलेक्ट किया है और आप पर्टिक्यूलरली आप जिस एरिया को उस गेहूँ के लिए सिलेक्ट करेंगें अगर वह डिफरेन्ट वेराइटी बोता है किसान तो ....

श्री नाथूराम मिर्धा : सिर्फ गेहूं के लिए

Page No.93

(नाथूराम मिर्धा)

है तो वही गेहूं बोयेगा अगर गेहूं बोना चाहता है तो मैं समझाऊंगा लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ....

१.म०प०

मैं कह रहा हूं कि जैसे भरतपुर में अगर अलसी बोना चाहें तो अलसी बोलें, गेहूँ बोते हैं तो गेहूं बो लें। आप जो बोना चाहते हैं, वह बोयें, यह आपकी मर्जी पर है। लेकिन जितने रकबे के लिए हम कह देंगे कि भरतपुर के अमुक ब्लॉक में गेहूं ३१. आर डेस बीज को काम में लेना पड़ेगा। उस ब्लॉक के अन्दर, उस रकबे के काश्तकार अपनी खुशी से गेहूं बोने के काम में लगेंगे और उन्हें गेहूँ का ३१. आर डेस का बीज काम में लेना होगा....

श्री होतीलाल : सरसों बोना चाहे तो?

श्री नाथूराम मिर्धा : बोना चाहे तो बोयें। अगर सरसों बोना चाहे तो सरसों बोयें, अगर राई बोना चाहे तो राई बोयें, अगर रूई बोना चाहे तो रूई बोयें। हमने बीज की बात कही है कि जितने रकबे में हम चाहेंगे, उस रकबे में फर्स्ट क्लास बीज काम में लेना पड़ेगा। इस कानून में जो मन्शा है, जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं....

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा) : आपका भाषण कल जारी रखना, अब एक बज गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब मैं दो मिनिट में भाषण खत्म कर देता हूं मुझे भाषण जारी रखना नहीं है। मुझे सिर्फ इतना निवेदन करना था कि जिस मन्शा से हमने इस कानून को रखा है, उस मन्शा को देखने की बात है। जितने एरिया को हम नोटीफाई करेंगे उस एरिया के अन्दर फर्स्ट क्लास बीज बोने की पूरी जिम्मेदारी हमने ली है। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि एक एरिया को कंट्रोल कर इस प्रकार की योजना बनाना चाहते हैं। इस योजना को चलाने के लिए एक हिस्से से स्टार्ट करके तीन साल के ड्यूरेशन में धीरे २ पूरा राजस्थान में पहुँचा सकते हैं। नहीं तो जिस हॉच पॉच वे में बीज वितरण का काम कर रहे हैं, उससे शुद्ध बीज नहीं रह सकेगा और आने वाले दो तीन साल में जो शुद्ध बीज है वह डीजनरेट होकर खराब बीज में बदल जायगा। इसके पीछे जो भावना है, वह प्रोडक्शन बढ़ाने की है। यह देश के हित में है, किसानों के हित में है, सबके हित में है। बीज का प्रोपर एक्सपेरीमेंट करके एप्रूव्ड बीज के सम्बन्ध में कानून की पूरी व्यवस्था लेते हुए, एक एरिया में इसकानून को लागू करना चाहते हैं। फिर भी, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों की यह राय है कि इस कानून को सलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और सलेक्ट कमेटी में इस चीज़ की देख भाल करना चाहते हैं तो मुझे इतनी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे भी जिद नहीं है कि इसे जल्दी करके पास कर दिया जाय। परन्तु बीच में एक गलतफहमी हो गई, किसानों का मामला बीच में पड़ा गया। इसलिए बहुत से माननीय सदस्यों ने इसे पढ़ा भी नहीं होगा और उन्होंने देखा कि किसान की, बीज की बात कर रहे हैं और उन्होंने अपने दिमाग के दृष्टिकोण से बहुत सी बातें उठाईं, वे न इस बिल से सम्बन्धित

Page No.94

(श्री नाथूराम मिर्धा)

थीं, मैं उनका जवाब भी दे चुका हूँ । इस वक्त सबका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : जबरदस्ती वह अन्न बोया जायगा, जो नहीं बोते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप ठंडे दिमाग से बात सोचा करें और कोई कनफ्यूजन हुआ करे तो प्राइवेट में पूछ लिया करें, मैं ठीक तरह बता दिया करूंगा । नहीं तो इस बहस का अंत नहीं होता है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स की लिस्ट है, वह मैं पेश कर दूंगा ..वह आपके पास आ गई होगी । सलेक्ट कमेटी में माननीय सदस्यों को ठंडे दिमाग से विचार करने का मौका मिलेगा इस बिल को सलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सीड्स एन्ड सीडलिंग्स बिल, १९५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : On a poit of order.sir. पहले आप क्वेश्चन करेंगे कि इसे विचारार्थ लिया जाय और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे कि इसे सलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय । ताकि जो सदस्य प्रिन्सिपली अपोज्ड हैं, जो इस बात के पक्ष में नहीं है कि इसे प्रवर-समिति में भेजा जाय वे कह सकेंगे जो इसके पक्ष में हैं । that should be taken for vote. फिर यह क्वेश्चन हो कि इसे प्रवर-समिति में भेजा जाय ।

श्री सभापति : ऐसी चीजे नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : चीज नहीं है ? भाषण हुए हैं ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): अमेंडमेंट यह आया है कि इसे सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ।

श्री भैरोंसिंह : जो अमेंडमेंट पेश हुआ है, वह सलेक्ट कमेटी में भेजने के वास्ते है । पहले यह प्रस्ताव हो कि इसे विचारार्थ लिया जाय और और बाद में प्रश्न आता है कि इसे सलेक्ट कमेटी से भेजा जाय ।

श्री सभापति : यह विचारार्थ उस समय लिया जायगा जब सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो आपने मूव किया है ।

श्री सभापति : उसके बाद किया जा सकता है कि इसे विचारार्थ लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए । सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट रिजेक्ट करने के लिए भी हो सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का मतलब यह होता है कि हाउस प्रिन्सिपली एग्री करता है कि सलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय। लेकिन जो प्रिन्सिपली अगेन्स्ट सदस्य हैं, इससे उनका मतलब सर्व नहीं होता है। पहले वोट लिया जाय कि इस बिल को प्रस्तुत किया है, इसे हाउस मजूंरी देता है या नहीं। उसके बाद अगर यह राय हो कि सलेक्ट कमेटी को भेजा जाय तो सलेक्ट कमेटी को भेजा जाय।

श्री सभापति : सदन की मन्शा है तो वोट हो सकता है। प्रश्न यह है कि इसको विचारार्थ....

श्री पी. के. चौधरी : On a point of order Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : The Chair is on its legs.

श्री पी. के. चौधरी : On a point of order Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But there can be no point of order when the Chair is on its legs.

श्री पी. के. चौधरी : Uptil now, Sir, whenever a motion for Select Committee was moved, always this motion was taken first. The Hon'ble Member who is somewhat touchy about this, will have full opportunity to discuss the principles of the Bill when it comes before the House from the Select Committee. That has been the procedure before this.

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं है।

श्री सभापति : सदन की यह मन्शा हो सकती है कि इसे सदन में लिया ही न जाय।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : यह कैसे हो सकता है ?

श्री भैरोंसिं : इसके लिए वोटिंग हो सकता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इसको विचारार्थ लिया ही न जाय, इस प्रस्ताव को माना जाय या नहीं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : No Sir यह कैसे होगा ?

श्री पी० के० चौधरी : Point of order Sir. When there is an amendment....

श्री भैरोंसिंह : When the question has been put there is no point of order.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : When the quetion has been put there is no point of order.

श्री पी० के० चौधरी : Always in the procdeure it is like this that a motion...

श्री भैरोंसिंह : इस पर रूलिंग हो चुका है। चेअरमैन की रूलिंग हो गई है।

श्री पी० के० चौधरी : My point of order should be heard atleast. When

Page No.96

(श्री पी० के० चौधरी)

a motion has come and there is an amendment to it, always before the motion is taken the amendment is first considered. So the question for the Select Committee should be put first and if that is rejected, then you can put the question that it should be taken into consideration. That would come at later stage.

श्री सभापति : यह अमेंडमेंट इसे सलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए है।

श्री पी० के० चौधरी : It is same thing.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, क्वेश्चन यह है कि सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का अमेंडमेंट माननीया सदस्या ने पेश किया है, अब अगर उसके ऊपर मत लिये जाते हैं तो जो सदस्य सिद्धान्तत: इस बिल के विरोध में है, उसके सामने दो सजेशन हैं, एक तो यह कि सलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में हैं, या पक्ष में नहीं हैं।

श्री पी० के० चौधरी : उसको बाद में डील किया जा सकता है। अभी मंत्री महोदय ने सलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव मान लिया है। सवाल यह है कि सलेक्ट कमेटी वाला संशोधन मानते हैं या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : इसके सलेक्ट कमेटी के संशोधन को मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसे प्रिन्सिपली मानते हैं, जो इस बिल को ऑब्जेक्टस हैं, उस पर वोट नहीं होता 'Whether the Bill should be referred to the Select Committee' that question is put to vote and not the objectives or principles of the Bill. जो सदस्य उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में दिये गये ...

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : नये रूल्स ऑफ प्रोसीज़र को ले डाउन कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। जो इसके पक्ष में हो वे 'हां' कहे, जो विपक्ष में हो वे ना कहे।....

हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : ना पक्ष जीता।

श्री सभापति : You want a division ?

श्री भैरोंसिंह : Yes Sir. We want a division on this.

(मत विभाजन सूचक घंटी)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सीड्स एन्ड सीडलिंग्स बिल, १६५८ को प्रवर समिति को सौंपा जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(करतलध्वनि)

श्री सभापति : सलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम सुन लीजिये।

Page No.97

(श्री सभापति)

सलेक्ट कमेटी ओन राजस्थान सीड्स एन्ड सीडलिंग्स बिल, १६५८

(सदस्य)

१. श्री नाथूराम मिर्धा
२. श्री मानकचन्द कोठारी
३. श्री काना रेगर
४. श्री मोतीबाबा चौधरी
५. श्री लक्ष्मण होरात
६. श्री सुगनचन्द
७. श्री रावतराम (चूरू)
८. श्री ज्ञानचन्द
६. श्री हरिप्रसाद यादव
१०. श्री तेजपाल
११. श्री धन्नालाल
१२. श्री रामकरणसिंह
१३. श्री रामनारायण
१४. श्री दलपतसिंह
१५. श्री अनूपसिंह
१६. श्री गिरधारीलाल
१७. श्री महेन्द्रसिंह पंवार
१८. डॉ० चन्द्रकला

प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : गौशाला विधेयक को भी पढ़ दीजिये।

श्री सभापति : राजस्थान गौशाला विधेयक, १६५८ को आज ही एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया है उसके सदस्यों की सूचि इस प्रकार है :

१ श्री नाथूराम मिर्धा
२ श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
३ श्री अब्दुल गफ्फार
४ श्री श्रीनिवास शारदा (श्री रामनिवास शारदा बोले)

(हंसी)

५ श्री जयचन्द
६ श्री रावतराम
७ श्री नारायणलाल
८ श्री भैवरलाल 'कालाबदल'
६ श्रीमती गौरीपूनिया
१० श्री गोकुलचन्द
११ श्री रामचन्द्र
१२ श्री जयसिंह राणावत
१३ श्री रूपाराम
१४ श्री प्रभुलाल पुरोहित
१५ श्री लच्छूराम
१६ श्री मुक्तिलाल मोदी
१७ श्री मदनसिंह
१८ श्री लादूराम
१६ रावल श्री नरेन्द्रसिंह
२० श्री वीराराम

Page No.98

श्री भैरोंसिंह: इसमें कोई श्री रामनिवास शारदा कोई सदस्य नहीं है।

श्री सभापति : I am sorry. श्री श्रीनिवास शारदा है।

इसका भी प्रतिवेदन प्रवर–समिति आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे।

अब सदन की कार्यवाही सोमवार को ७ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही १ बजे कर ५ मिन्ट पर सोमवार दिनांक २७ अप्रेल, १६५६ के प्रातः ८ बजे तक लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार २४ अप्रेल, १९५९)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तरांकित प्रश्नोत्तर	८२६४	राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट की जीप नं० आर जे. के. १०१५ ।	
पुलिस हेडक्वार्टर्स जयपुर में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेण्ट ऑफ पुलिस श्री दुबे द्वारा मेस फंड के दुरूपयोग की शिकायत ।		पेशंन की मंजूरी ।	
अजमेर मेरवाडा क्रय विक्रय सोसयटी के फंड का अपहरण ।		शिवगंज क्षेत्र की नहर द्वारा सिंचाई ।	
गवर्नमेन्ट हाईस्कूल सिरोही में स्थानाभाव ।		सीकर से राधा कृष्णपुर तक सड़क निर्माण ।	
बामनवास से गड़मोरा तक सड़क का निर्माण ।		डूंगर कालेज बीकानेर में स्थान का अभाव ।	
पुलिस विभाग में शार्टहैण्ड रिपोर्टर का काम हैड कॉन्सटेबिलों से लिये जाने के सम्बन्ध में ।		चौली से सवाई माधोपुर तक पक्की सड़क का निर्माण ।	
भरतपुर शहर में साइकिलों की चोरी ।		डाकबंगला कोटपुतली के चौकीदार व हरिजन का बकाया वेतन ।	
जवाई बांध से पानी का वितरण ।		रामसागर व तालाब शाही से सिंचाई ।	
वाटर वर्क्स का बोर्ड ।		जयपुर शहर में सड़क दुर्घटनायें ।	
मदनगंज मिडिल स्कूल की इमारत ।		पाली जिले के अध्यापकों का दैनिक भत्ता व वेतन ।	
सब-इन्सपेक्टरों की नियुक्ति ।		**अनुपस्थिति के लिये अनुमति**	८३४६
अच्छी नसल की गायें पालने के उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना ।		श्री दलीपसिंह, सदस्य विधान सभा, को दिनांक २२ अप्रेल, १९५९ से सत्र के अन्त तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई ।	

स्कम्भ

विधायी कार्य
विचारार्थ लिये गये विधेयक

१. राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १९५९ । ८३४७

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव आज स्वीकार किया गया । तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

२. राजस्थान फॉरेस्ट (संशोधन) विधेयक, १९५९ । ८३६७

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री नाथूराम मिर्धा, मंत्री वन विभाग, द्वारा प्रस्तावित किया गया जो स्वीकृत हुआ ।

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

३. राजस्थान गौशाला विधेयक, १९५८ ८३७९

उपरोक्त विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया जिसके सदस्यों के नाम इस प्रकार है :—

१ श्री नाथूराम मिर्धा, प्रभारी मंत्री
२ ,, जुगलकिशोर
३ ,, अब्दुल गफ्फार
४ ,, श्रीनिवास शारदा
५ ,, जयचन्द
६ ,, रावतराम बालोत्रा
७ ,, नारायणलाल
८ ,, भैरवलाल 'कालाबादल'
९ श्रीमती गौरी पूनियां
१० श्री गोकुलचन्द
११ ,, जयसिंह राणावत
१२ ,, रूपाराम
१३ ,, प्रभुलाल पुरोहित
१४ ,, लच्छूराम
१५ ,, मुक्तिलाल मोदी
१६ ,, रामचन्द्र
१७ ,, मदनसिंह
१८ ,, लादूराम
१९ ,, रावल श्री नरेन्द्रसिंह
२० ,, वीराराम

समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी ।

४. राजस्थान बीज तथा बीज-पौध विधेयक, १९५८ । ८३८१

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, डॉ. चन्द्रकला ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन रखा । वाद-विवाद के पश्चात् विधेयक प्रवर समिति

को इस आदेश के साथ सुपुर्द किया गया कि समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम ये हैं :—

१ श्रीनाथूराम मिर्धा, प्रभारी मंत्री
२ ,, मानक चन्द कोठारी
३ ,, काना रेगर
४ ,, मोतीलाल चौधरी
५ ,, लक्ष्मण हीरात
६ ,, सुगनचन्द
७ ,, रावतराम (चूरू)
८ ,, ज्ञानचन्द
९ ,, हरिप्रसाद यादव
१० ,, तेजपाल
११ ,, धन्नालाल हरित
१२ ,, रामकरणसिंह
१३ ,, रामनारायण
१४ ,, दलपतसिंह
१५ ,, अनोपसिंह
१६ ,, गिरधारीलाल
१७ ,, महेन्द्रसिंह पंवार
१८ डॉ. चन्द्रकला

प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी।

सोमवार दिनांक २७ अप्रेल, १९५९ की कार्य सूची

(१) जनलेखा समिति, ५९-६० तथा प्राकल्लन समिति ५९-६० के नामजद उम्मीदवारों की नामावली

(२) याचिका समिति के प्रतिवेदन का उप स्थापन (राजस्थान हिन्दु सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, ५८ से सम्बन्धित श्री लक्ष्मीचन्द, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत याचिका पर समिति का प्रतिवेदन)

(३) पुरःस्थापित विधेयक-राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, ५९

(४) राजस्थान अनुशासिक कार्यवाही (साक्षी बुलाया जाना तथा दस्तावेज प्रस्तुत कराया जाना) विधेयक, ५९

(विचार विमर्श एवं पारण)

(५) राजस्थान हिन्दु सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, ५८

(प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने व जनमत के लिये प्रसारित किये जाने सम्बन्धी वाद-विवाद)

(६) राजस्थान ग्रामदान विधेयक, ५९

(प्रवर समिति को)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२०२ का उत्तर देखिये)

Statement showing the buildings taken on rent by various Departments for office accommodation in Bikaner.

S. No.	Name of building.	Name of partment by whom taken.	Rent per mensen.
	Police Department.		R.
1	Police outpost Gol Bazar Devasthan Deptt.	Police Department.	15/-
	Out-post Teliwara	,, ,,	20/-
	Out-post Hanuman Hatha	,, ,,	45/-
2	Labhuji-ka-Katla.	Civil Supply Offices.	128/-
3	Mahanatnji Ka Dera.	Sheep & wool Improvement Office.	150/-
4	Sri Amarchand Rathi's house on Gangashahr road.	Office of the Supdt. Wool Granding & Marketing organisation Bikaner.	150/-
5	Portion of Mahavidalaya. Near vety. Hospital.	Office of the Inspector of Schools and scruitiny Association Bikaner.	33/-
6	Portion of Daga Building.	Occupied by Branch Library.	25/-
7	House of Bhanwarlal Mehter Bari Gawar Harijan Basti.	Office of the Social Welfare Officer (Sanskar Kanda Cultural Centre)	10/-
8	House of Shri Kishenlal Bhagwatilal wool Merchant Bikaner.	Office of the Ayurvedic Deptt. Bikaner.	75/-
9	House of Capt Narainsingh of Ghantal.	Office and Store of the Independent Coy. N. C. C. Bikaner.	135/-

Page No.103

१		२	३
10	Dispensary of Bdmalsar.	Medical Department.	11/-
11	Shop of Shri Moolchand Parakh.	Govt. Hand loom Cloth Sales Depot at Bikaner.	30/-
12	House of Shri Amarsingh Sadul Nagar Colony.	Office of the Labour Officer Bikaner.	83/-
13	Sadulnagar Colony.	Asstt. Distt. Agriculture Officer.	51/-
14	Railway Station Bikaner.	Distt. Indistries Office Bikaner.	11/-
15	Shri Ram singhji' s House.	Colonisation Office Rajasthan Canal.	242/-
16	Shop on K. E. M. Road.	Emporium of Handicraft at Bikaner.	35/-
17	Jasana) Kubhilpure Bikaner. house.)	Director of Dy. Education Bikaner.	150/-
		Per Month.	1399/-
		Per Snnum.	16788/-

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२०६ का उत्तर देखिये)

Guage of tanks Ram Sagar and Talabshashi with date of closing and opening in Dholpur section - yr 1958-59

Name of tank.	Guage during the date of opening : sluice on 10-1-59.	of cloring sluice on 21-3-59	Depth of water utilised.	Remarks.
1. Ram Sagar.	22.20	15.90	6.30'	F T
2. Talshashi.	7.60'	5.30'	2.30'	F T

GUAGES IN CANALS OF RAM SAGAR & TALSHASHI IN DHOLPUR SECTION
FROM 10-1-59. TO 23-3-59.

Date and month.	Guage of canal Ramsagar Head	Guage of canal Talshashi Head	Date and month.	Guage of canal Ramsagar Head	Guage of canal Talshashi Head	Date and month.	Guage of canal Ramsagar Head	Guage of canal Talshashi Head
Jan. 59.			Feb. 59.			Mar. 59.		
10	4.50	0.40	1	5.00	closed	1	6.80	0.40
11	4.50	0.40	2	5.00	0.50	2	6.80	0.40
12	5.50	0.40	3	5.50	0.50	3	6.80	0.40
13	5.70	0.40	4	5.50	0.50	4	6.80	0.40
14	5.70	0.60	5	5.50	0.50	5	6.80	0.40
15	5.80	0.60	6	5.50	0.50	6	6.80	0.40
16	5.80	0.60	7	5.50	0.50	7	6.00	0.40
17	5.60	0.80	8	5.50	0.80	8	5.00	0.40
18	5.80	0.80	9	5.50	0.80	9	5.00	0.40
19	5.80	0.80	10	5.50	0.80	10	5.00	0.40
20	Sluice closed		11	6.00	0.90	11	5.00	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Do	Do	12	6.00	0.80	12	5.00	0.40
22	Do	Do	13	6.00	0.80	13	5.50	0.40
23	Do	Do	14	6.00	0.40	14	5.50	0.40
24	Do	Do	15	6.50	0.40	15	5.50	0.40
25	Do	Do	16	6.50	0.40	16	5.00	0.40
26	3.50	Do	17	6.80	0.40	17	5.00	0.40
27	3.53	Do	18	6.50	0.40	18	5.00	0.40
28	3.50	Do	19	6.50	0.40	19	5.00	0.40
29	3.50	Do	20	6 60	0.40	20	5.00	0.40
30	4.50	Do	21	6,60	0.40	21	Sluice closed	0.40
31	4.50	Do	22	6.60	0.40	22	Do	0.40
			23	6.80	0.40	23	Do Sluico closed.	
			24	6.80	0.40			
			25	6.80	0.40			
			26	6.80	0.40			
			27	6,60	0.40			
			28	6.60	0.40			

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ का उत्तर देखिये)

Details regarding road accidents referred to in Assembly Question No. 384/HM.

The number of road accidents since January, 59 to March, 59 monthwise is as under :--

During January, 59 in all 12 accidents took place in Jaipur City. Out of 12, 10 were from motor Vehicle and 2 from Tonga. Out of the 12 cases one was fatal, that took place at S. Jaisingh circle Banipark and the number of injured persons in rest of the cases was 9.

In February, 1959, the number of accidents was 6, and all were from Motor Vehicle. Out of these accidents one was quite an accidental one and also fatal, in which a man while trying to get down from a moving truck came under its rear wheel and died on the spot. The number of injured persons in rest of the 5 cases was 2 only.

In March, 1959, 11 accidents took Place, 6 involving motor vehicles, and the rest 5 from other slow moving vehicles. Out of the 6 accidents involving Motor Vehicles 2 were fatal. In one case 2 motor Cycles coming from opposite direction collieded. One of the Motor Cyclists died on the spot. In other case a child was struck by a truck and the injured expired in Hospital. The number of injured persons was 12..

Thus the total No. of accidents during the last 3 months comes to 29, Out of which 22 were from Motor Vehicles and 7 from slow moving vehicles. Out of them 4 were fatal and the number of injured was. 23.

शुद्धि-पत्र

(२४ अप्रेल, ५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
८२९५	३	corrcct	correct
८३०४	अन्तिम से ७	मौका लगाने	मौका लगने
८३१३	८	श्री नाथुराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
८३१६	१२	पेंशन	पेंशन
८३२०	प्रथमतः	(श्री नत्थसिंह)	(श्री नाथीसिंह)
८३२२	६	निर्माण	निर्माण
८३२६	१८	Govvernment	Government
८३३३	अन्तिम से ८	में	मैं
८३३८	शीर्षक	२५ अप्रेल६५	२४ अप्रेल, ५६
८३४६ व ८३४७	शीर्षक	७३४६ व ७३४७	८३४६ ८३४७
८३४६	शीर्षक	अनुपस्थिति की अनुमति	तारांकित प्रश्नोत्तर
८३४७	,,	रा प्रि स० वि० १९५६	अनुपस्थिति की अनुमति
८३६४	अन्तिम से ६	मेरिट्स	मेरिट्स
८३६५	२१	Juage	Judge
८३७२	प्रथमतः	(श्री पी० के० चौवरी)	(श्री पी० के० चौधरी)
८३७२	६	१९५८	१९५६
८३७५	१७	लागु	लागू
८३७६	२०	Ease men	Easement
८३८२	५	उनमें भी हो	उनमें भी
८३८२	अन्तिम से ३	इसका विरोघ	इसका विरोध
८३८६	१२	चलता	चलाता
८३९१	शीर्षक	२३ अप्रेल ५६	२४ अप्रेल, ५६
८३९३	७	विवान	विधान

(२)

१	२	३	४
८३६६	अन्तिम से१०	उत्पादन	उत्पादन
८४००	१४	डॉ० बहादरसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
८४०४	१२	कहा	कहां
८४१६	प्रथमतः	(श्री मदनसिंह)	(श्री गिरधारी लाल)
८४२३	८	mchtion	machine
८४२३	११	Seedsor Seedlngs	Seed or Seedlings
८४२६	१३	Seedl ngs	seedlings
८४५३	अन्तिम	फड्	फूड
८४६०	अन्तिम से६	गवर्नन्ट	गवर्नमेंन्ट
८४७७	१०	श्री नाथुराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
८४६६	५	Name of partment	Name of Department